राजस्थान विधान सभा

१४ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २३ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर ७ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १८६

सन् १९५४-५५ में डकैतियां एवं डाकुओं की गिरफ्तारियां

श्री चान्दमल मेहता—क्या गृह-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ५४-५५ के वर्ष में राजस्थान में कुल कितनी डकैतियां हुईं।

(२) उक्त डकैतियों में कितने रुपये का माल लूटा गया?

(३) उक्त डकैतियों में कितने का पता चलाने में पुलिस सफल हो चुकी है?

(४) उक्त डकैतियों का कितना माल बरामद कराया जा चुका है?

(५) उक्त डकैतियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह-मन्त्री)—(१) सन् १९५४ में ९६ तथा जनवरी ५५ में ९; कुल १०५ डकैतियां राजस्थान हुईं।

(२) इन डकैतियों में रुपये ८,८६,०९९ का माल लुटा।

(३) इनमें से ५० डकैतियों का पता लगाने में पुलिस सफल हुई है।

(४) रुपये १,२८,०२५-१२-० का माल बरामद हो चुका है।

(५) इन डकैतियों के सम्बन्ध में १७८ डाकू गिरफ्तार हुए तथा ११ मारे गये।

Page No.2

श्री चान्दमल मेहता--क्या यह सही है कि माल की बरामदगी के बारे में पुलिस अधिकतर निष्क्रिय रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास--प्रयत्न तो बराबर करती रही है ।

श्री चांदमल मेहता--८ लाख के माल में से सिर्फ १ लाख की बरामदगी का होना क्या यह नहीं बतलाती कि पुलिस काफी निष्क्रिय रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैंने कहा कि प्रयत्न तो बराबर करती रही है पर सब में सफल न हो सकी ।

श्री चान्दमल मेहता--इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास--कारण तो ट्रेस नहीं हुआ; यही हो सकता है और क्या हो सकता है ।

श्री चांदमल मेहता--क्यों नहीं हुआ ? क्या यह निष्क्रियता साबित नहीं करती ?

श्री रामकिशोर व्यास--ऐसा होता है कि बार-बार कोशिश करने पर भी पता नहीं चलता, एक्शन लेने पर भी सफलता नहीं होती है । निष्क्रियता तो तब हो, जब एक्शन ही न लें ।

श्री चांदमल मेहता--बाकी की डकैतियों के बारे में पता न लगने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास--७ तो झूंठी रही और ६ अनट्रेस्ड रहीं ।

श्री चांदमल मेहता--७ और ६ निकालने के बाद में बाकी का क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास--बाकी इन्वेस्टिगेशन में हैं ।

श्री चांदमल मेहता--वह ३६ अन्डर इन्वेस्टिगेशन बताई जाती हैं, इनमें से पुरानी से पुरानी कितने अर्से की है ?

श्री रामकिशोर व्यास--यह तो आप अलग प्रश्न पूछें ।

श्री चांदमल मेहता--भविष्य में अधिक माल की बरामदगी हो और डकैतियों का पता अधिक चल सके, क्या इसके लिए कोई नई योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास--नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस समय भी सारे सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री चांदमल मेहता--अब तक जो शिथिलता रही है उसके बारे में पुलिस के और सतर्क रहने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास—और हिदायत की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वह बरामदगियां करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि माल की बरामदगियां होने पर पुलिस वाले आपस में उसकी बन्दर-बांट कर लेते हैं और इस तरह वे माल की बरामदगी पूरी नहीं बताते।

श्री रामकिशोर व्यास—यह बिलकुल सही नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि राजियास की डकैती के बारे में यह शिकायत सरकार को की गई थी कि पुलिस ने डकैती के माल की बन्दर-बांट कर ली है और इस तरह से माल की बरामदगी माल-मालिक को नहीं होने दी ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी बात मेरी नॉलेज में नहीं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या इस तरह का एक रजिस्टर्ड पत्र राजियास की डकैती की बन्दर-बाट के बारे में मन्त्री महोदय को नहीं मिला और इस पत्र के द्वारा उनकी जानकारी में यह बात नहीं लाई गई ? क्या ऐसी कोई शिकायत उनको प्राप्त नहीं हुई ?

प्रश्न संख्या १८७

चित्तौड़ जिले में नये पुलिस थानों का निर्माण

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) चित्तौड़ जिले में कहां-कहां पर सरकार नये पुलिस थानों के लिये भवन निर्माण कर रही है ?

(ब) क्या बड़ी सादड़ी में भी एक भवन-निर्माण करने का विचार है ?

(स) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना खर्च होने की आशा है और कितने समय में कार्य सम्पूर्ण हो जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(अ) चित्तौड़ जिले में बड़ी सादड़ी तथा कपासन में नये पुलिस थानों के लिये सरकार भवन-निर्माण कर रही है।

(ब) जी हां।

(स) बड़ी सादड़ी में भवन-निर्माण का खर्च रुपया ४०,००० अनुमान किया जाता है तथा कार्य ५५-५६ के वर्ष में समाप्त हो जावेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या कार्य अभी तक शुरू कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—लेन्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही हो रही है।

प्रश्न संख्या १८८

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(मंत्री महोदय द्वारा उत्तर न देने पर)

क्या बात है ? What is the matter ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, समय बदल जाने के कारण प्रश्नों के जवाब मेरे पास पहुँच नहीं सके हैं।

श्री अध्यक्ष—साढे आठ बजे के बाद ले लें ?

एक सदस्य—समय बदलने की सूचना तो दी गई थी।

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरे पास तो समाचार था, लेकिन दफ्तर वालों को समाचार नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद दूसरे (प्रश्न संख्या १८९) का भी यही हाल है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह तो फाइल की फाइल वहां रह गई है।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(प्रश्न संख्या १८८ के विषय में आगे वाद-विवाद हुआ और यह सोमवार तक के लिये स्थगित हो गया था। प्रश्न संख्या १८९ का उत्तर आगे दिया गया।)

प्रश्न संख्या १९०

स्टेशनरी पर्चेजिंग कमेटी तथा स्टेशनरी की खरीद

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) स्टेशनरी पर्चेजिंग कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

(२) चालू वर्ष में कुल कितने मूल्य की स्टेशनरी खरीद की गई ?

(३) उक्त स्टेशनरी में राजस्थान से कितनी और राजस्थान के बाहर से कितनी स्टेशनरी खरीद की गई ?

(४) राजस्थान के कारखानों से बनी हुई क्या-क्या वस्तुएं कितने मूल्य की खरीद की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):—(१) स्टेशनरी पर्चेजिंग कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१. श्री श्यामलाल, मेम्बर, रेवेन्यु बोर्ड।

२. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

३. उपसचिव, फाइनेन्स डिपार्टमेंट।

Page No.5

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

४. चीफ सुप्रिन्टेन्डेन्ट, गवर्नमेंट प्रेस।

५. टेक्निकल असिस्टेन्ट, चीफ इन्जीनियर, बिल्डिंग्ज़ एवं रोड्स।

(२) चालू वर्ष यानी ५४-५५ में ४,८२,६४० रु० १३ आ० ६ पा० की स्टेश्नरी खरीद की गई है। यह निश्चित नहीं है कि कितने मूल्य का सामान इस वर्ष के अन्त तक आ सकेगा।

(३) राजस्थान की फर्मों को २,२०,४११ रु० का ऑर्डर दिया गया है। बाहर की फर्मों को २.६२.२२६ रु० १३ आ० ५ पा० का ऑर्डर दिया गया है।

(४) निम्नलिखित वस्तुएं राजस्थान के कारखानों से खरीद की जा सकी हैं:—

चाक सफेद, चाक रंगीन, काली स्याही, आसमानी स्याही, लाल स्याही, आसमानी स्याही की टिकिया, लाल स्याही की टिकिया, स्याही सोख, फाइलपेड और मोमबत्ती।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वर्ष स्टेश्नरी इन्फीरियर क्वालिटी की खरीद की गई है. जिसके बारे में आमतौर पर सब विभागों से शिकायत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री चांदमल मेहता—तहसीलों को जो खतौनी के और खसरे के लिए कागज दिये हैं वे इतने खराब हैं कि वे एक साल से ज्यादा नहीं टिक सकते हैं, जिन्हें कम से कम ३ साल तक टिके रहने की आवश्यकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि स्टेश्नरी पर्चेजिंग कमेटी बनी हुई है जिसके ५ सदस्य हैं। वह पर्चेजिंग कमेटी खरीद करती है। मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है, अगर है तो जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

प्रश्न संख्या १६१

पाकिस्तान बोर्डर निवासियों को लाइट कार्ट्रीजेज़ तथा सिगनल लाइट्स देना

[प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति में उत्तर दिया गया]

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार पाकिस्तान बोर्डर पर बसने वाले लोगों के रात के समय वारदातों से बचने के लिए लाइट "कार्ट्रीजेज़" और सिगनल लाइट्स सरकारी खर्चे पर देने के लिए तैयार है ?

(ख) यदि तैयार है, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.6

श्री रामकिशोर व्यास—मैं पढ़ दूं जवाब को।

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—(क) इसकी सरकार आवश्यकता नहीं समझती।

(ख) बोर्डर के सिंचाई वाले इलाके के नजदीक ही पोस्ट है, जिनको सिगनल कारतूस तथा पिस्तौल दिये हुए हैं। जहां सिचाई नहीं होती, वहां पर बहुत कम बस्ती है तथा इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं को प्रत्येक आदमी काम में नहीं ला सकता।

प्रश्न संख्या १६२

रूपनगर में डॉक्टर का इस वर्ष स्थान रिक्त होना

श्री चान्दमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) रूपनगर में डॉक्टर का स्थान इस वर्ष कितने समय तक रिक्त रहा ?

(२) उक्त स्थान के रिक्त होने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (श्री स्वास्थ्य मन्त्री)—(१) रूपनगर डिस्पेन्सरी में डॉक्टर का स्थान दिनांक ७ अक्टूबर, १९५४ से २७-२-५५ तक रिक्त रहा।

(२) डॉक्टर का स्थान रिक्त रहने का कारण केवल डॉक्टरों का अभाव है।

प्रश्न संख्या १६३

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—इसका उत्तर इसके आगे दिया गया है)

प्रश्न संख्या १६४

राजकीय मुद्रणालय, जयपुर में राजस्थान विधान सभा का पेन्डिग कार्य

श्री चान्दमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर, के पास राजस्थान विधान सभा का क्या-क्या काम छपाई का पेन्डिग है ?

(२) उक्त काम कब से पेन्डिग है ?

(३) इतने समय तक पेन्डिग रखने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--(१) गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर, के पास पिछले अधिवेशन का कार्य ३८ दिवस का बाकी है ।

(२) तारीख ११-११-५४ से २६-२-५५ तक प्रेस में आया है।

(३) अन्य कार्य की अधिकता के कारण ।

श्री चान्दमल मेहता—इस पेन्डिग काम को कब तक निबटा दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत जल्दी ही। इस समय असेम्बली का कार्य चल रहा है और बजट का काम हो रहा था। इसके बाद में बहुत जल्दी ही हो जायगा।

प्रश्न संख्या १६५

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—इसका उत्तर आगे दिया गया है)

प्रश्न संख्या १६६

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—इसका उत्तर आगे दिया गया है)

प्रश्न संख्या १६७

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

(प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में उत्तर दिया गया)

१६७. (६५एच० एम०) श्री हंसराज जटिया, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ५ क्या गृह-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि तारीख २६।२७-२-५५ को कस्बा वाडी धौलपुर युनिट में डकैत दिन-दहाड़े सेठ श्री सीताराम ममोधनिया को उठा कर ले गये ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह-मन्त्री)—मैं पढ़ दूँ।

श्री अध्यक्ष--कौन सा पढ़ रहे हैं ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास—१६७ ।

श्री अध्यक्ष—वह राजस्व मन्त्री से सम्बन्धित है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वह गलती से लिख दिया है । वह मुझसे सम्बन्धित है ।

(क) तारीख २७–२–५५ को शाम को लगभग ७ बजे कुछ डाकुओं द्वारा सेट सीताराम महाजन का अपहरण हुआ ।

(ट) दूसरे दिन डी० आई० जी० रेन्ज वहां पहुँचे तथा उन्होंने वहां की जनता का भय दूर किया । धौलपुर में एक आर० ए० सी० की टुकड़ी भेज दी गई है तथा मामले की तफतीश जारी है ।

प्रश्न संख्या १६८

बीकानेर डिविजन की ग्राम पंचायतों में हरिजनों को पंच तथा सरपंच की भांति चुनना

श्री अध्यक्ष--श्री धर्मपाल ।

श्री धर्मपाल पंवार--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) बीकानेर डिविजन में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने हरिजन सरपंच व पंच चुने गये हैं ?

(आ) क्या सरकार बीकानेर डिविजन की जिन ग्राम पंचायतों में हरिजन पंच चुन कर नहीं आये हैं, वहां हरिजनों को नामजद करने का विचार रखती है ?

(इ) उत्तर यदि हां, तो कब तक ?

(ई) क्या तहसील पंचायतों में भी हरिजनों को नामजद किया जायेगा ?

(उ) यदि हां, तो किस अनुपात से ?

(ऊ) क्या जिला बोर्डों में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटें रखी गई हैं या नहीं ?

(ए) यदि हां, तो किस अनुपात से ।

(उप मन्त्री श्री शाह अलीमुद्दीन के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिये ।

श्री शाह अलीमुद्दीन--जी हां ।

(अ) पंचायतों के चुनाव-पत्रों में जातियों का उल्लेख नहीं होता है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है ।

Page No.9

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

(आ) अधिनियम में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहां दलित जातियों में से कोई पंच नहीं चुना गया वहां दलित जाति का पंच होगा। आबादी के लिहाज से व दूसरे वजूहात से जहां जरूरी है वहां सरकार एक अतिरिक्त पंच एप्वॉइन्ट कर सकती है।

(इ) इस सिलसिले में कार्यवाही जारी है। लगभग ३ महीनों में यह कार्यवाही पूरी हो जायगी।

(ई) किया जायगा।

(उ) जो व्यवस्था इस सिलसिले में पंचायतों में की जावेगी, करीब-करीब उसी प्रकार तहसील पंचायतों में की जावेगी।

(ऊ) डिस्टिक्ट बोर्ड एक्ट की धारा (८) की उपधारा (२) के अनुसार कोऑपटेड सदस्यों में कम से कम एक शिड्यूल कॉस्ट का हो अथवा शिड्यूल टाइब्स में से जरूर लिया जायगा।

एक सदस्य—जहां हरिजनों की संख्या ज्यादा है, वहां ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—वह संख्या ज्यादा हुई तो उस पर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या १९९

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—इसका उत्तर आगे दिया गया है)

प्रश्न संख्या २००

जोधपुर डिविजन में सेतरावा-जेठानिया व टाडिया-लोडता सड़कों पर गेंग

श्री खेतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर डिविजन में सेतरावा-जेठानिया रोड व टाडिया-लोडता रोड पर क्या कोई गेंग गत दो वर्ष से रखी जा रही है ?

(ख) यदि नहीं, तो उन सड़कों पर गेंग (Gang) क्यों नहीं रखी जाती है ?

(ग) अगर अब रखी जायगी तो किस तारीख से ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) पास की सड़कों पर गेंग से काम लिया जाता है, इसलिए रेग्युलर गेंग नहीं रखे गये हैं।

(ख) छोटी और कच्ची सड़कों पर गेंग रखने के लिए प्रोविजन नहीं है।

(ग) जब आवश्यकता होगी, गेंग भिजवा दी जायगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह—सरकार आवश्यकता किस वक्त समझती है? जबकि सड़क बिल्कुल खत्म हो जाय उस वक्त या खड्डे वगैरह वगैरह हो जायं तो?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, इसका इन्तजाम कराया जा रहा है। दूसरी सड़क पर काम चल रहा है। इस सड़क के लिए गेंग हो जायगा।

प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

प्रश्न संख्या २०२

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

प्रश्न संख्या २०३ एवं २०४

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०५ एवं २०६

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—उत्तर आगे दिया गया है)

प्रश्न संख्या २०७

श्री अध्यक्ष—श्री मोहब्बतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—इसका उत्तर आगे दिया गया है)

प्रश्न संख्या २०८

श्री अध्यक्ष—श्री जयसिंह रानावत।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास—परसों का एक प्रश्न श्री गुरुदयालसिंह सन्धु का बाकी था, उसका उतर दे देना चाहता हूं।

श्री चान्दमल मेहता—पहले आज के प्रश्नों को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी काफी समय है, फिर ले लेंगे।

प्रश्न संख्या १४१

राष्ट्रीय विकास खंड, तहसील करनपुर की एडवाइज़री कमेटी के द्वारा कार्य

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या योजना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राष्ट्रीय विकास खंड, तहसील करनपुर की एडवाइज़री कमेटी के कितने मेम्बर हैं?

(ख) उनमें से शहर और देहात के कितने-कितने हैं?

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर शहर के मेम्बर होने के कारण खंड का रुपया शहरों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है?

(घ) क्या सरकार यह बतलायेगी कि आज तक जो रुपया खर्च किया जा चुका है उसमें से शहरों में कितना हुआ है और देहातों में कितना?

(ङ) शहरों में ज्यादा खर्च होने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) राष्ट्रीय विस्तार खंड, करनपुर की एडवाइज़री कमेटी के कुल सदस्य ४४ हैं।

(ख) उनमें से १२ शहर के हैं और शेष गांवों के हैं।

(ग) इसमें शहर के अधिक मेम्बर नहीं हैं और विस्तार खंड का रुपया शहरों में खर्च नहीं किया जाता है।

(घ) शहरों में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का रुपया खर्च नहीं किया जाता, इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रश्न संख्या १४१ का।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कितना पैसा शहर में और कितना गांव में खर्च हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सभी गांवों में खर्च होता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह समझा जाय कि शहरों में ज्यादा खर्च हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें से कुछ भी शहरों में खर्च नही हो सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एडवाइज़री कमेटी में शहर के कितने सदस्य हैं और गांवों के कितने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—१३ सदस्य शहरों के हैं, शेष गांव के हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सारे सदस्य कितने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—सारे ४४ हैं।

श्री जवानसिंह—युटिलिटी वर्क्स और एस्टेब्लिशमेन्ट के खर्च का अनुपात क्या रहता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये पेटर्न बना हुआ है, उसी के अनुसार खर्चा किया जाता है।

श्री जवानसिंह—लेकिन खर्चे का अनुपात क्या है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह समझा जाय कि शहर में कुछ रकम खर्च नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट स्कीम का रुपया शहरों में खर्च नहीं किया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो करनपुर प्रोपर में खर्च किया जा रहा है, वह शहर नहीं समझा जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—करनपुर तहसील के जो गांव इस काम के लिये सिलेक्ट किये गये हैं उन्हीं पर खर्च किया जा रहा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—करनपुर म्युनिसिपेलिटी से मेरा मतलब है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो रकम करनपुर म्युनिसिपेलिटी की सीमा में खर्च की जा रही है वह शहर में खर्च की जा रही है या देहात में ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने शुरू में ही वेसिक बात निवेदन कर दी है। जितने कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रुपये शहर में नहीं, बल्कि गांवों में खर्च किये जाते हैं। शहरों में खर्च करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं यह जानना चाहता हूं कि करनपुर म्युनिसिपेलिटी पर कोई रकम खर्च की जा रही है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां के जो गांव सिलेक्ट किये गये हैं उन्हीं पर रकम खर्च की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इसका मतलब यह समझा जाय कि करनपुर म्युनिसिपेलिटी पर जो रकम खर्च की जा रही है उसको यह समझा जाय कि वह रकम देहात में खर्च की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं।

श्री अध्यक्ष—We now revise the Questions of 23rd March.

श्री चांदमल मेहता—मेरा एक प्रश्न कल का रख दिया गया था उसका भी उत्तर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी काफी समय बाकी है।

प्रश्न संख्या १८८

सन् ५४-५५ में अस्पतालों व डिस्पेंसरीज़ के कम्पाउन्डर्स इत्यादि का होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर स्थानान्तरण

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि-मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ५४-५५ के वर्ष में कितने वेटरनरी हॉस्पिटल्स एण्ड डिस्पेन्सरीज़ के कम्पाउन्डर्स व अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये ?

(२) उक्त तबादलों के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—कृषि मंत्री वेटरनरी हॉस्पिटल्स एण्ड डिस्पेन्सरीज़ के बारे के प्रश्नों का उत्तर दें

श्री जवानसिंह—शायद किसी को यह महकमा ही अलॉट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—Deputy Leader to say as to who will reply this Question. Question No 188, first Question on page one of todays list of Questions.

श्री रामकिशोर व्यास—श्री मिर्धाजी इसका जवाब देंगे। वे हैं तो यहीं।

श्री अध्यक्ष—१८८ नंबर के सवाल का जवाब दें।

श्री जवानसिंह—मंत्रियों को जल्दी आने में दिक्कत होती है इसलिये समय आगे बढ़ा देना चाहिये।

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १८८ जो पूछा गया है, उसमें यह पूछा गया है कि वेटरनरी हॉस्पिटल्स व डिस्पेन्सरीज़ के कम्पाउन्डर्स व अन्य निम्न-श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये। लेकिन यह इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अभी अवेलएबल नहीं है कि कौनसा कम्पाउन्डर किस-किस होम डिस्टिक्ट का रहने वाला है, इनका रेकार्ड अलग-अलग डिस्पेन्सरीज़ में बिखरा होने की वजह से यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाई है। जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जायगी तब पेश कर दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विधान सभा का अधिवेशन शुरू होने के २० दिन पहले भेजा गया था और शुरू हुए २८ दिन हो गये। इस तरह ५० दिन में भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी तो अब कितने समय की आवश्यकता डिपार्टमेंट की शिथिलता की वजह से है और कितने महीने और लेना चाहते हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी और एक महीने के अन्दर यह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जायगी। किसी खास व्यक्ति के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो और भी जल्दी उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—किसी खास आदमी के बारे में यह प्रश्न नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर ट्रान्सफर नहीं करने का जनरल सवाल है। पिछले बजट के समय यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसे साधारण कर्मचारियों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कर दिये गये। इसलिये यह प्रश्न पूछा गया। सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि एक बार जो आश्वासन दे तो उसको रद्दी की टोकरी में न डालकर कार्यान्वित किया जाय।

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आश्वासन को रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जाता है और पूर्णतया उसका पालन किया जाता है। आम तौर से ऐसे व्यक्तियों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं भेजा जाता है। लेकिन कुछ कम्पाउन्डर्स की इस तरह की ट्रान्सफर्स हुई हैं; लेकिन उनसे नीचे वाले क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स की ट्रान्सफर्स होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं हुई हैं। कम्पाउन्डर्स की ट्रान्सफर करने की वजह यह कि ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स हमारे महकमे में बहुत कम हैं। कुछ पुरानी रियासतों; मसलन जोधपुर में ट्रेन्ड आदमी थे उनको बाहर भेजना लाजमी हो गया, लेकिन उनके बारे में भी यह कर दिया गया है कि ज्यों ही उस डिस्ट्रिक्ट का ट्रेन्ड आदमी मिल जाय उनका वापिस होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर कर दिया जाय। इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास मौजूद थी, लेकिन कुछ फिगर्स नहीं थे, इसलिये मैंने ठीक समझा कि कुछ समय इसके ले लिया लिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मिला है......

श्री अध्यक्ष—There is no reply. The reply is still to come.

We keep it on next Monday. I expect that the reply must come. The question was tabled on the 8th February and I think the time was more than necessary.

प्रश्न संख्या १८६

ग्राम जावला (त० परबतसर) में आयुर्वेदिक औषधालय पुनः चालू करना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम जावला (तहसील परबतसर) में कितने वर्षों तक सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक औषधालय चालू रहा ?

(२) उक्त औषधालय कब और किन कारणों से बन्द किया गया ?

(३) जावला ग्राम की जन-संख्या कितनी है ?

(४) जावला ग्राम की तरफ से औषधालय को वापिस चालू करने के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास आये ?

(५) उक्त आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कुंभाराम आर्य—(१) लगभग १२ वर्षों तक।

यह औषधालय ता० १८ मार्च सन् १६५३ को कुसुम्बी तहसील नागौर में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसका कारण यह था कि जावला में वैद्य के रहने एवं औषधालय के लिए स्थान का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं था। ग्राम कुसुम्बी जावला से केवल ५ मील है और एक सज्जन ने कुसुम्बी में एक इमारत औषधालय के लिए दान में दी है, इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए औषधालय स्थानान्तरित किया गया।

(३) लगभग २ हजार।

(४) दो (२).

(५) पास में औषधालय होने से वहां नया औषधालय खोलने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री चांदमल मेहता—१२ वर्ष तक वहां पर औषधालय रहा है, १२ वर्ष तक उसके लिए वहां स्थान रहा है, फिर क्या कारण है कि मंत्रीजी बतला रहे हैं कि वहां पर कोई स्थान नहीं था ?

श्री कुंभाराम आर्य—१२ वर्ष की परेशानी के बाद यह कदम उठाया गया है।

श्री चांदमल मेहता—१२ वर्ष, तब तो वहां कोई असुविधा नहीं थी। लोगों ने वहां औषधालय के लिए बार-बार मांग की थी और अच्छा से अच्छा स्थान दिया है फिर उसको उठाने का क्या कारण है ?

श्री कुंभाराम आर्य—यह गलत है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एडजोइनिंग विलेज में एक माननीय सदस्य की कॉन्स्टीट्यूएन्सी पड़ती है इसलिए इस औषधालय को ट्रान्सफर किया गया ?

श्री कुंभाराम आर्य—यह भ्रम है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि औषधालय के लिए जो मकान जावला में था वह मौजूदा औषधालय, जहां ट्रान्सफर हुआ है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा, अच्छा और कीमती है ?

श्री कुंभाराम आर्य—यह ठीक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या ठीक होने और न होने के बारे में माननीय मंत्री महोदय जांच करवायेंगे ?

श्री कुंभाराम आर्य—जांच हो चुकी है !

श्री चांदमल मेहता—जांच किसने की ?

श्री कुंभाराम आर्य—इन्सपेक्टर गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से एडजोइनिंग विलेज के सदस्य से प्रभावित होकर इस औषधालय को बदला है ?

श्री कुंभाराम आर्य—ऐसा नहीं है।

श्री जवानसिंह—मंत्री महोदय ने प्रश्नों के उत्तर में कहा कि ठीक नहीं है, भ्रम है; तो यह तो बतायें कि ठीक कौन-सा है और तथ्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष—सारा भ्रम ही है।

(हंसी)

Next, Shri Sandhu.

प्रश्न संख्या १६१

श्री **अध्यक्ष**—(श्री संधु से) जवाब दिया जा चुका है कोई सप्लीमेंन्टरी पूछें तो पूछें।

(विराम)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६३

सिरोही मोटर सर्विस के ड्राइवरों का फाइनल फिक्सेशन तथा उनका वेतन एवं भत्ता

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सिरोही मोटर सर्विस के ड्राइवरों का फाइनल फिक्सेशन हो गया है ?

(आ) क्या सरकार के अधीन आने के बाद उपरोक्त ड्राइवरों की प्राप्ति बढ़ाने के बजाय घटा दी गई है ? अगर हां, तो कितनी और क्यों ?

(इ) सिरोही मोटर सर्विस को गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना नफा हुआ है ?

(ई) क्या यह सही है कि सरकार ने इस वर्ष और गत वर्ष के लिये सिरोही मोटर सर्विस के स्टाफ के बजाय हमेशा माफिक दो माह का बोनस देने के बदले एक माह का ही बोनस दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(उ) क्या उपरोक्त स्टाफ की तनख्वाह में सालाना तरक्की हुआ करती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(अ) जी नहीं।

(आ) कुछ ड्राइवरों का मंहगाई भत्ता एकाउन्ट विभाग ने राजस्थान स्केल से अधिक होने के कारण कम कर दिया है, जो प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(इ)	५१–५२	२८७७० रु०
	५२–५३	३४४६७ रु० ६ आ० ६ पा०
	५३–५४	२४८६७ रु० ६ आ० ६ पा०

(ई) सिरोही मोटर सर्विस की आमदनी को देखते हुए केवल एक माह की तनख्वाह के बराबर ही बोनस दिया जाना ही सरकार द्वारा मुनासिब समझा गया।

(उ) सिरोही मोटर सर्विस के सभी कर्मचारियों का फिक्स्ड वेतन है, सालाना तरक्की का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—जब फिक्सेशन फाइनल नहीं हुआ है तो भत्ते में किस कानून से और किस आधार पर कमी की गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस बारे में ए. जी. ने ऑब्जेक्शन किया था कि मंहगाई भत्ता राजस्थान की स्केल्स के माफिक नहीं है। राजस्थान सरकार ने ए. जी. को फिर लिखा है कि फाइनल फिक्सेशन जब तक नहीं हो जाय, तब तक वही पुरानी सेलेरी और भत्ता दे दिया जाय। अब फिक्सेशन का हुक्म हो गया है, फिक्सेशन पूरा हो जायगा तो फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा।

श्री जवानसिंह—ये दोनों बातें समझ में नहीं आई कि, "फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है" और "फिक्सेशन हो गया है।"

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने वह नहीं कहा है कि फिक्सेशन हो गया है। मैंने यह कहा कि फिक्सेशन होने के बाद यह दिक्कत नहीं रहेगी। अभी जो दिक्कत है वह यह है कि तनख्वाह मिलती है कम और मंहगाई भत्ता राजस्थान की स्केल से ज्यादा मिलता है। इसलिये एकाउन्टेन्ट जनरल ने ऑब्जेक्शन उठाया और कम करना पड़ा। राजस्थान सरकार ने लिखा है कि जब तक फिक्सेशन नहीं हो जाय तब तक पुरानी तनख्वाह और पुराना भत्ता रखा जाय।

प्रश्न संख्या १६५

बिजलीघरों को कॉमर्शियल बेसिस पर चलाने सम्बन्धी सरकार की नीति तथा उनका नफे-नुकसान का हिसाब रखना

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सरकार ने बिजलीघरों को कॉमर्शियल बेसिस (Commercial Basis) पर चलने की नीति अपनाई है ? अगर हां, तो कब से ?

(ब) क्या बिजलीघरों का नफे-नुकसान का हिसाब बराबर रखा जाता है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (निर्माण मंत्री)—(अ) जब से राजस्थान कायम हुआ है, बिजलीघरों को कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के कन्ट्रोल में रखा गया था। पी० डब्लू० डी० में वापिस आने के बाद फाइनेन्स डिपार्टमेंट की आज्ञा अगस्त सन् १९५२ से बिजलीघरों को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट रिकोग्नाइज किया गया है।

(ब) नफे-नुकसान का हिसाब ५३-५४ से रखा जाने लगा है।

श्री जवानसिंह—यह हिसाब तब से अब तक पूरा हो गया है या अभी हिसाब रखने की कार्यवाही हो रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—५३-५४ से फाइनल एकाउन्ट नफे और नुकसान के रखे गये हैं; यह ५३-५४ से शुरू किया गया है।

प्रश्न संख्या १९६

पदमपुर-गंगानगर की सड़क का निर्माण

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे:—

[श्री गुरुदयालसिंह संधु]

(क) पदमपुर–गंगानगर सड़क किस साल शुरू की गई थी और आज तक कितनी और किस किस साल में कितनी कितनी बनाई गई है।

(ख) उपरोक्त सड़क कितने मील लम्बी है ?

(ग) क्या सरकार गंगानगर के नहरी क्षेत्र में भी सड़कों पर रुपया खर्च करना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (निर्माण मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न के बारे में उत्तर दे चुका हूं। उसमें कहा था कि गंगानगर–पदमपुर सड़क १३ मील बन चुकी है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि एक इंच भी नहीं बनी है।

मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जांच कराई है और पूरे फीगर्स मौजूद हैं, फिर भी किसी को शक हो तो मौके पर जाकर देख सकते हैं। इसके उत्तर में मैं निवेदन करूंगा कि:–

(क) गंगानगर–पदमपुर सड़क के पहिले ६ मील का काम सन् १९४८ में शुरू किया गया था; राजस्थान बनने से पहले ही; ७ मील से २४ का १९५३ में।

अभी तक करीब १३ मील में कन्सोलिडेशन और उसमें से ६ मील में सर्फेस पेंटिंग का काम हो चुका है। शेष बची हुई मीलों में काम चालू है। सन् १९५३ में मेटीरियल कलेक्शन का काम हुआ। सन् १९५४ में साढ़े तीन मील, सन् १९५५ में साढ़े तीन मील।

(ख) यह सड़क २४ मील लम्बी है।

(ग) अवश्य।

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—सारी कितनी मील बन चुकी है ?

श्री बद्रीप्राद गुप्ता—१३ मील बन चुकी है और कुल २४ मील की है।

श्री गुरु दयालसिंह सन्धु—क्या सरकार जांच करायेगी कि पहले जो ६ मील बनी है। उससे ज्यादा नहीं बनी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं कहूंगा कि Chief Engineer (B & R) ने लिख कर दिया है उनको डिसमिस कर दिया जावे, अगर सड़क नहीं बनी है; तो १३ मील बन गई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कब तक जांच हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—जांच करके जवाब दिया गया है, कह रहे हैं न।

श्री गुरुदयालसिह सन्धु—मैं वहीं से आया हूं, सड़क नहीं बनी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जांच करवाई है और मुझे २ सदस्यों ने भी कहा है कि १३ मील बन गई है; मेरे साथ चल कर जांच कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या १६६

सन् १९५२ व विगत वर्ष में सिरोही तहसील व राजस्थान में काश्त की गई भूमि की मिकदार

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) सिरोही तहसील में व राजस्थान में सन् १९५२ के मार्च के अन्त तक कृषि के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि थी ?

(ख) उपरोक्त तहसील में व राजस्थान में गत वर्ष कितनी भूमि में कृषि की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) सिरोही तहसील में सन् १९५२ के मार्च के अन्त तक कृषि के अन्तर्गत ६५६७० एकड़ भूमि थी। राजस्थान में सन् १९५२ के मार्च के अन्त तक कृषि के अन्तर्गत ३०५११९६४ एकड़ भूमि थी।

(ख) सिरोही तहसील में गत वर्ष ५३–५४ में ६२,५०७ एकड़ भूमि में कृषि की गई। राजस्थान में गत वर्ष ५३–५४ में ४,४६,१७,२६५ एकड़ भूमि में कृषि की गई।

श्री जवानसिंह—उनमें बारानी कितनी है और चाई कितनी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—करीब १० परसेन्ट इर्रिगेटेड लैंड है।

प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०५

जयपुर की हाई कोर्ट बेंच के भवन निर्माण-कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:-

(a) When would the construction work of the building for the High Court Bench at Jaipur be taken up ?

(b) What are the grounds for delaying it so far?

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

(c) Would the grant provided for the purpose lapse this year?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(a) In the next year.

(b) Acquisition of land and finalisation of plans.

(c) The grant is non-lapsable.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या जमीन का इन्तजाम कर लिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो प्लान बना है उसमें राजप्रमुख की प्राइवेट प्रॉपर्टी की जमीन आ जाती है और इसके लिये एक्सचेन्ज करने की बात-चीत चल रही है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या वह जमीन जिसको लेने की तजवीज है, मिल गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक्सचेन्ज के लिये निगोशिएशन चल रहे हैं, फाइनल स्टेज पर है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मेरा प्रश्न यह है कि जमीन मिल गई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—एक्सचेंज कर रहे हैं और इस सबन्ध में कागजात फाइनल स्टेज पर चल रहे हैं।

श्री जवानसिंह—इसके बदले में कौन सी जमीन देने का प्रश्न है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये कागजात लॉ डिपार्टमेंट में चल रहे हैं।

श्री जवानसिंह—क्या यह माना जावे कि माननीय मंत्री महोदय को पता नहीं है कि कौन सी जमीन उसके एवज में दी जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात नहीं है।......

श्री अध्यक्ष—जानकारी नहीं है तो भी कोई बात नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Near Viman Bhavan.

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—No, Sir.

Page No.22

प्रश्न संख्या २०६

अर्बन वाटर सप्लाई के सुधार हेतु स्वीकृत राशि

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) What is the amount earmarked for improving urban water supply ?

(b) Out of this what amounts have been specified for the various Municipal towns and what amount for Jaipur City ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(a) An amount of Rs. 15,40,960/-has been allotted for various important urban water supply schemes during the current year.

(b) The list of towns for which the amount has been allotted during 1954-55 is as under:—

1.	Pali	...Rs.	1,55,460/-
2.	Udaipur	...Rs.	4,00,000/-
3.	Alwar	...Rs.	5,00,000/-
4.	Ganganager	...Rs.	1,00,000/-
5.	Balotra	...Rs.	1,00,000/-
6.	Bhadra	...Rs.	82,000/-
7.	Certain works for water—works at Jaipur.	...Rs.	1,33,000/-
8.	Chittor	...Rs.	70,000/-
		Rs.	15,40,960/-

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I want information about Jaipur City, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Jaipur, Rs. 1,33,000/-

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is it for the City ?

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Yes, It is for the City.

रावत श्री शम्भूसिंह—Was any amount provided for Bhilwara town?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—No.

श्री शम्भूसिंह रावत—What are the reasons for not providing for the Water-Works in Bhilwara Town?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Formerly also I submitted that all the water-works are being constructed by the amount provided as loan to the Municipalities and not by Government directly. All these are loans to the Municipalities and where Municipalities provide funds the Public Works Department constructs it.

प्रश्न संख्या २०७

वर्तमान पंच-वर्षीय योजना में सिरोही जिले में चालू होने वाले सिंचाई-कार्य

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Irrigation be pleassed to answer :—

(a) How many irrigation works are being contemplated to be started in Sirohi district in the present Five Year Plan? (b) How much each work would cost to the Government? (c) How many acres of land are estimated to be irrigated by each work?

श्री रामनिवास मिर्धा—सिरोही जिले में निम्नलिखित सिंचाई के कार्य होने के बारे में कार्यवाही हो रही है :—

	लागत	एरिया इरिंगेटेड
ओरा प्रोजेक्ट	१४.६६ लाख	८००० एकड़
सूकरी	४.६६	८००० एकड़
भूला	४.२३	२००० एकड़

ये काम तो शुरू हो गये हैं या शीघ्र ही शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा दो योजनाएं हैं, जिनका सर्वे हो चुका है और वे फाइनल स्टेज पर हैं :—

1. Restoration of Jubilee Tank.
2. कादम्बरी प्रोजेक्ट।

इनके अलावा तीन-चार और योजनाओं की सर्वे हो रही है और शीघ्र ही उन पर निश्चय किया जावेगा।

प्रश्न संख्या २०८

भीलवाड़ा मन्डी के लिये बिजली की व्यवस्था

श्री जयसिंह रानावत—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) भीलवाड़ा मन्डी को पूर्ण विकसित करने के लिए बिजली कब और किस प्रोजेक्ट से मोहय्या की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—भीलवाड़ा के लिए पूरे पैमाने पर बिजली देने की योजना सन् १९५६ तक पूरी होने की सम्भावना है। इस योजना के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक स्कीम के अन्तर्गत २२ लाख ३० हजार रुपयां राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है।

श्री शम्भुसिंह—क्या चम्बल प्रोजेक्ट से भीलवाड़ा को बिजली मिलेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस बारे में मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। मुझे जबानी याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष—So today's questions are over.

We come to the questions of the 22nd, Question No. 149.

श्री चान्दमल मेहता—प्रश्न संख्या १४९।

श्री अध्यक्ष—राजस्व मन्त्री ने कल नकल नहीं दी थी। आज दे दी है, इसलिये यह प्रश्न पूछा जाएगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—The Hon'ble Minister is in the lobbies.

श्री अध्यक्ष—The lobby is not more important than the House.

श्री जवानसिंह—ट्रेजरी बैंच अपनी सुस्ती का नमूना पेश कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे पास प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न पढ़ कर सुनाएं; फिर मालूम होगा कि यह प्रश्न रेवेन्यु से कोई ताल्लुक नहीं रखता। It does not concern me.

श्री किशनलाल शाह—मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पान थूक कर आवें ताकि साफ सुनाई दे सके।

श्री अध्यक्ष—Then who will reply to this ?

श्री रामकिशोर व्यास—नेक्स्ट टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—पहले कॉपीज दे दें तो यह नेक्स्ट टर्न का प्रश्न ही पैदा नहीं हो।

श्री जवानसिंह - माननीय अध्यक्ष, भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जावे ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा न हो।

जन-लेखा समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक १५ मई, सन् १९५५ को सदन द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव के अनुसार जन-लेखा समिति १९५५–५६ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन करना है। इस सम्बन्ध में केवल १० ही सदस्यों के नामजदगी के पर्चे आये हैं।

अतः मैं घोषित करता हूं कि निम्न १० सदस्य विधान सभा की जन-लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

		डि० न०
१.	श्री हरिकृष्ण व्यास	१९०
२.	कुं० श्री जसवन्तसिंह	६६
३.	श्री भैरोंसिंह	१६
४.	श्री दुर्लभसिंह	४०
५.	श्री द्वारकादास पुरोहित	६२
६.	श्री सज्जनसिंह	१३२
७.	श्री नाथूराम मिर्धा	११३
८.	श्री श्यामलाल गोयल	१४४
९.	श्री रामचन्द्र चौधरी	१२२
१०.	श्री कपिलदेव अग्रवाल	७१

इस समिति का कार्याकाल दिनांक २५ मार्च, सन् १९५५ से आरम्भ होगा।

प्राक्कलन समिति के सदस्यों का घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक २२ मार्च, सन् १९५५ को किये गये चुनावों के फलस्वरूप प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) १९५५–५६ के लिए निम्न १५ सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :—

Page No.26

		डि० न०
१.	श्री भोपालसिंह	२८
२.	श्री जवानसिंह	६७
३.	श्री मोतीचन्द खजांची	१०५
४.	श्री रामकरण जोशी	१२५
५.	श्री भैरोंसिंह खेजड़ला	११
६.	श्री मथुरादास माथुर	६६
७.	श्री लालबहादुर सक्सेना	८२
८.	श्री भीमसिंह	१७
९.	श्री हरिदेव जोशी	५३
१०.	श्री तेजमल बापना	१४६
११.	श्री भोलानाथ	१६
१२.	श्री मोतीलाल चौधरी	१०६
१३.	श्री धर्मपाल	३७
१४.	श्री केदपाल त्यागी	१५७
१५.	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	४८

इस समिति का कार्यालय दिनांक २६ मार्च, सन् १९५५ से आरम्भ होगा।

मांग संख्या १७—चिकित्सा (पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष— मांग संख्या १७ के ऊपर मेडिकल की मद पर कट-मोशन्स पेश हो रहे हैं। इस संबन्ध में श्री तेजमल बापना अपना कट-मोशन पेश करेंगे।

श्री तेजमल बापना-माननीय अध्यक्ष, मैं अपना कट-मोशन नं० १३० जो मेडिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में है, प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव को पास करते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये चिकित्सा विभाग के मंत्री महोदय ने जो इस विभाग में सराहनीय कार्य किया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विभाग में काफी तरक्की की जा रही है। वास्तव में यह एक

[श्री तेजमल बापना]

लोक-कल्याणकारी विभाग है और इसमें जो रुपया इस साल बढ़ाया जा रहा है वह भी एक जनता की उचित मांग के फलस्वरूप है। इसके साथ साथ जो बजट इस विभाग का मैंने देखा है, उस संबन्ध में दो-तीन बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सब से पहले आज हम राजस्थान की हालत देखें तो हमें पता चलेगा कि यहां टी. बी. की बीमारी ज्यादा फैलती जा रही है। जन-साधारण के लिये टी. बी. के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उनको स्थान नहीं मिल पाता। जब हम इस संबन्धी आंकड़े बजट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सन् ५४–५५ में २२ हजार २६४ रुपया इसके लिये रखा गया था। इसका रिवाइज़्ड एस्टीमेट ४,८०० का रखा है और इस साल ५,१६१ रुपया रखा गया है। कहां २२,२६४ रुपया और कहां केवल पांच हजार रुपया। इस विभाग के लिये यह जरूरी था कि इस मद में रुपये का ज्यादा आयोजन करना था, क्योंकि इसकी जन-साधारण को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनको स्थान नही मिल पाता। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जितने भी अलग अलग हैड्स हैं इस डिपार्टमेन्ट के, उनका डिअरनेस अलाउन्स बढ़ाया गया है। आज जब कि चीजों के भाव गिर रहे हैं उस हालत में इस मद की बढ़ोतरी ठीक मालूम नहीं देती है। इससे जो पैसा इसके लिये रखा गया है उसमें न रखकर, इस मद में बढ़ोतरी की जाती तो जन–साधारण को ज्यादा फायदा मिल सकता था। बहुत से औषधालय ऐसे हैं, जिनमें दवाइयों कि कमी है। इसलिये इस मद में ज्यादा पैसा रखने की आवश्यकता है। मुझे आशा है, आयन्दा इस मद में ज्यादा पैसा रखा जायगा।

इसके अलावा मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं; वह यह कि कुछ नये आयुर्वेदिक औषधालय भी खोले गये हैं और आयन्दा साल भी बहुत से औषधालय खोलने जरूरी है। नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये बजट में कोई प्रोविजन नही रखा गया है। यह क्योंकर नहीं रखा गया? इस बारे में तो माननीय मंत्री महोदय ही प्रकाश डाल सकेंगे। पहले भी जितने औषधालयों को खोलने का आश्वासन दिया था, वहां पर भी कई जगह औषधालय नहीं खोले गये हैं।

इसके बाद में महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस हॉस्पिटल का गत वर्ष उद्घाटन हुआ था। इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग भीलवाड़ा टेक्सटाइल मिल के मालिक श्री लोढाजी ने दो लाख रुपये की लागत से बनवाकर सरकार को सौंप दी थी। लेकिन साल भर होने आया उसके कुछ दरवाजे टूट गये, कई छतें लेक हो गई। फिर भी उसकी मरम्मत के लिये जब सवाल पेश हुआ तो यह पता चला कि अब तक भी वह पी० डब्लू० डी० विभाग को नही सौंपी गई, ताकि मरम्मत समय समय पर की जा सकें।

दूसरी बात वहां जो अभी बिल्डिंग बनी है वह भी अपर्याप्त है। केवल वहां बीस बेड्स ही रखे गये हैं, इसी कारण बहुत से बीमारों को गेलेरीज़ में रखा जाता है। स्थान की बहुत कमी है। डाक्टर लोग वहां से अलग रहते हैं। उनके क्वार्टों की भी व्यवस्था हॉस्पिटल में ही होनी चाहिये। वहां केवल कम्पाउन्डर का क्वार्टर बनाया गया है। भीलवाड़ा नगर की आबादी को देखते हुए और मरीजों की संख्या को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट भर में

[श्री तेजमल बापना]

केवल एक ही हॉस्पिटल होने के कारण यहां पर कई साधन मिल सकते हैं, इस ख्याल से जो जगह है वह बहुत कम है और लोगों को बराबर नहीं मिलती है। मैं यह मानता हूँ कि बहुत से औषधालय, डिस्पेन्सरीज़ और हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्ज़ को एक्सटेन्ड करने के लिये काफी रुपया रखा गया है। तो मैं यह आश्वासन माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं कि आयन्दा वर्ष में कुछ रकम जैसे कि डाक्टरों के क्वार्टर का होना आवश्यक है, कुछ बैड्स बढ़ाने की आवश्यकता है और कुछ कम्पाउन्डर्स के क्वार्टर बढ़ानेकी है, इसके लिये कुछ रुपयों की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ बाउन्ड्री लाइन भी बनाने की है, इस सम्बन्ध में क्या मैं यह आशा करूं कि कुछ पैसा मिलेगा ?

इसके साथ २ आम शिकायत यह है कि जो खर्चा प्रशासन पर होता है उससे बहुत कम मात्रा में खर्चा दवाइयों की व्यवस्था पर किया जाता है। ऐसा होता है कि दो-चार महीने में ही साल भर की दवाइयां खर्च हो जाती हैं। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि प्रशासन इतना आवश्यक नहीं जितनी कि दवाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिये दवाइयों के लिये ज्यादा पैसे रखे जायं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरे कटौती के प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस मेडिकल विभाग के बारे में अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं तो मेरे दिमाग में इस तरह की लहरें पैदा होती हैं कि आज इस बजट में जो रुपया इस काम के लिये दिया गया है, वह रुपया सिर्फ शहरों के लिये दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊँ कि जो मेडिसिन्स की सुविधा होती है वह केवल शहरों के लिये होती है। आप जयपुर को ही देखिये। यहां गली गली में हॉस्पिटल्स दिखाई देंगे और बड़े-बड़े विशाल अस्पताल भी यहीं हैं। आज स्थिति यह है कि देहातों में दवाइयों की नाम-मात्र की व्यवस्था नहीं है।

आज का शासन, आज की सरकार किसानों के कन्धे पर चल रही है, किसानों के पैसे से, किसानों के बदन से चल रही है। आज की सरकार शहरों में रहने वाले बनियों पर नहीं चल रही है और न मध्यम श्रेणी के लोगों पर ही। गरीब मजदूर के बल पर यह शासन चल रहा है। लेकिन गरीब मजदूर की सुविधा के लिये देहातों में दवा नहीं मिलती। आप देहातों में जाकर देखिये, जो आज बिना मौत के मर जाते हैं, जिनकी बीबियां बिना दवाई के मर जाती हैं, बुढ्ढी डोकरियां बिना दवाई के मरती हुई दिखाई देती हैं। अगर वे किसान लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डाक्टर लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, डाक्टर लोग उनकी किसी बात की परवाह नही करते, क्योंकि उनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, अकिल नहीं होती। अगर उनके बजाय कोई बाबूजी जाते हैं तो उनकी झट सुनवाई हो जाती है। इस बारे में एक बात अर्ज करूंगा। जिला भीलवाड़े में, खास भीलवाड़े में इस तरह का प्रबन्ध है; किन्तु देहातों में हॉस्पिटल का बिल्कुल प्रबन्ध नहीं। आज बड़े बड़े देहात दवाइयों से महरूम रह जाते हैं।

[श्री कस्तूरचन्द]

शाहपुरा में जनरल हॉस्पिटल के लिये वहां के लोगों ने अपने पैसे से एक बिल्डिंग बना कर दी है, लेकिन मेरे माननीय मंत्रीजी से बारबार प्रार्थना करने पर भी वहां पर अभी तक स्टाफ नहीं पहुंचा है।

कोटड़ी एक तहसील है। वह तहसील एक लाख जनता का हैड क्वार्टर है। वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां केवल एक कम्पाउन्डर काम करता है। इसके अलावा न कोई नर्स की व्यवस्था है, न दाई की व्यवस्था है, न मकान की व्यवस्था है और न दवाइयों की ही ठीक तरह से व्यवस्था है।

मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मरहम-पट्टी के लिए चिथड़ा तक नहीं है, टिन्चर आयोडीन तक नहीं है। यह हालत हमारे क्षेत्र की बना रक्खी है। आज की कल्याणकारी गवर्नमेन्ट में किसान-जनता के हित की कोई बात नहीं होती, यह बड़े दुःख की बात है।

मैं बताऊं कि बनेड़ा में डिस्पेन्सरी में पूरे कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। डॉक्टर जो हैं, वह भी बेचारा क्या करे? उसकी आलोचना मैं नहीं करना चाहता क्योंकि दवाइयों के अभाव में वह भी लाचार है। अगर थोड़ी बहुत दवाइयां रहती भी हैं तो वे भी विशेष वर्ग-जागीरदार, ठिकानेदार या बड़े सेठ-साहूकारों, अधिकारियों आदि के काम में आती हैं, गरीबों को वे भी उपलब्ध नहीं। डॉक्टर भी इन्हीं की सेवा में रहता है। वह भी हमारी, गरीब लोगों की सेवा नहीं करते। अगर मैं इस तरह की बातें डिटेल में बताता रहूं तो मुझे दिन भर लग सकता है। इतने थोड़े समय में मैं उन सब बातों को नहीं बता सकता। संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि वहां इन सारी चीजों का अभाव है। कोई ठीक देख-भाल नहीं है। न कोई ठीक इन्तजाम इस विभाग का इधर है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और वहां ही सारा रुपया सरकार का खर्च होता है। देहातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है।

आज जयपुर में टी. बी. के लिये पार्टियां टीका लगाने के लिए गली-गली और घर-घर फिर रही हैं, मानो टी. बी. सारे जयपुर में ही घुस कर बैठ गई हो या अन्य बड़े बड़े शहरों में घर कर गई हो। देहाती क्षेत्रों में भी यह बीमारी बहुत फैली हुई है। अध्यक्ष महोदय, पर उधर इस तरह की पार्टियां का घूमना छोड़, कोई पूछने वाला भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—रिपीटीशन नहीं होना चाहिये।

श्री किस्तूरचन्द (जारी)—तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की अव्यवस्था जो देहातों में फैली हुई है, इस कल्याणकारी राज्य के लिए कुछ अड़चन-सी मालूम होती है। इसे सरकार को दूर करना ही चाहिये।

आज बड़े बड़े शहरों में अस्पताल की बिल्डिंग्ज़ वगैरह भी बनती हैं पर इसके मुकाबले में देहातों में बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। कम से कम तहसीलवाइज़ तो एक अच्छा अस्पताल

Page No.30

[श्री कस्तूरचन्द]

बनना ही चाहिये। वहां तो बिल्डिंग बनावें आप अस्पताल के लिए। जिला भीलवाड़ा में कोटड़ा, बनेड़ा, रायला आदि बड़े बड़े कस्बे हैं। इन हैड क्वार्टरों पर तो इसकी अच्छी बिल्डिंग्ज़ होनी चाहिये। यहां डाक्टरों के रहने के लिए भी मकान नहीं हैं। इसलिये निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि गरीब जनता की तरफ और दीन लोगों की तरफ आप ख्याल रक्खें तो अच्छा है और अब आप शहरों का मोह छोड़ कर गरीब देहातियों की तरफ भी ध्यान दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—Shri Chandmal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—मेरे इस मांग पर ६ कट-मोशन्स हैं। मैं पहले ये कट-मोशन्स मूव कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष—We may take them as moved.

श्री चांदमल मेहता— अध्यक्ष महोदय, मेरे कट-मोशन्स नम्बर १४,१५,१६,१७,१८ और १६ हैं, जो इस प्रकार हैं :—

"(14) That the Demand for Grant No. XVII, Major Head 38-Medical be reduced by Rs. 100/- (to discuss inadequacy of Medical relief in Parbatsar Constituency).

(15) That the Demand for Grant No.XVII, Major Head 38- Medical be reduced by Rs. 100/(to discuss the failure of the Government to continue the aid to Hiteshi Aushdhalaya, Kishangarh).

(17) That the Demand for Grant No. XVII, Major Head 38- Medical be reduced by Rs 100/- (to discuss the failure of the Government to take into account war Services of Doctors).

(18) That the Demand for Grant No.XVII, Major Head 38- Medical be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to extend and repair the Yagya Narayan Hospital Building, Kishangarh).

(16) That the Demad for Grant No. XVII Major Head 38- Medical be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to take into account services of Doctors enlpoyed in Sind and Punjab before partition).

(19) That the Demand for Grant No.XVII, Major Head 38-Medical be reduced by Rs. 100 -(to discuss the failure of the Government to provide Refrigerator and other necessary equipment to the Yagya Narayan Hospital, Kishangarh)."

[श्री चांदमल मेहता]

मेरा प्रथम कट-मोशन परबतसर निर्वाचन-क्षेत्र में चिकित्सा के लिए उचित व्यवस्था नहीं किये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष, किसी भी जनतान्त्रिक हुकूमत के लिए सबसे पहला यदि कोई कर्त्तव्य हो सकता है तो वह हो सकता है-वहां के निवासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा का इन्तजाम करने का और इस बात को मद्दे नजर रखकर जो मुल्क बहुत एडवान्स्ड हैं उनमें तो यहां तक व्यवस्था है कि जहां कहीं सरकारी औषधालय से दवा नहीं मिल सके और प्राइवेट डॉक्टर से दवा ले या उसे घर बुलावे तो उसकी फीस का और दवा का बिल भी सरकार के पास भेज दिया जाता है और सरकार की ओर से उसका पेमेन्ट किया जाता है।

इस तरह की व्यवस्था कई पश्चिमी मुल्कों में है और हमारे यहां भी जो विभाग भारत सरकार की ओर से कायम हैं, उनके कर्मचारियों के लिए है। हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में वे हों, उनके लिए ऐसी व्यवस्था है कि वे प्राइवेट डॉक्टरों से दवा लें या उन्हें घर बुलावें अपने लिए या अपनी फेमिली के लिए तो उसके लिए फीस व दवाइयों का पेमेन्ट भारत सरकार की ओर से किया जाता है। हमारे यहां ए. जी. के ऑफिस के कर्मचारियों के लिये भी ऐसी व्यवस्था है।

लेकिन राजस्थान सरकार का इसके सम्बन्ध में जहाँ तक अपने कर्त्तव्य को पूरा करने का प्रश्न है, अगर इसमें वह थोडा बहुत अपना कर्त्तव्य पूरा कर पाई है तो शहरी क्षेत्रों में कर पाई है और अगर देहाती क्षेत्रों में कहीं किया है तो किसी आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया है कि उनके प्रभावशाली व्यक्तियों में से किसने किस क्षेत्र के लिए मांग की है या करता है। वहीं औषधालय अथवा दूसरी व्यवस्था की जाती है।

परबतसर निर्वाचन क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या सवा लाख से अधिक है, इस सारे निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक आयुर्वेदिक औषधालय है। एक और था, जिस पर सरकार की कोप-दृष्टि हुई और जो वहां दस-बारह साल से चल रहा था उसे वहां से स्थानान्तरित कर दिया दूसरे गांव में, जो कि दूसरे माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र था और जो प्रभावशाली व्यक्तियों में से हैं। इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने यह बतलाने की कोशिश की कि स्थानाभाव से वहां से यह हटाया गया है। मैं निवेदन करूं कि यह बात कितनी गलत है। अगर किसी अधिकारी ने यह बात कही है तो मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत है। मैंने खुद ने स्थान देखा है, काफी अच्छा वह स्थान है। अगर मन्त्रीजी मेरे कहने पर विश्वास कर सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि किसी अधिकारी की ऐसी रिपोर्ट देखकर अगर इस आयुर्वेदिक औषधालय का स्थानान्तरण करवाया है तो गलत करवाया है और अगर वे मेरे इस कथन को चैलेन्ज करेंगे तो मैं उन्हें स्वयं को वहां लेजाकर बतलाने को तैयार हूं कि वहां स्थान की कमी नहीं थी। पर हां, अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मर्जी के कारण उसे वहां से स्थानान्तरित किया गया है तो बात दूसरी है। अगर आप उनके, मेरे पास के, निर्वाचन क्षेत्र को देखें तो काफी तादाद में वहां औषधालय मिलेंगे। इसके लिये मुझे एतराज नहीं कि वहां इतने क्यों हों। वहां चिकित्सा की उचित व्यवस्था है, इसकी मुझे खुशी है। पर इस सवा लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में केवल एक औषधालय है! आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितनी दूरी से आकर वहां चिकित्सा करानी पड़ती है और इसमें कितनी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है? लेकिन मैं निवेदन करूंगा इसमें भी कि

[श्री चांदमल मेहता]

मौत इन्तजार नहीं करती, इतनी दूर आकर इन्तजाम करने-कराने का। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें तत्काल इलाज की दरकार होती है। अगर उनमें देर होती है तो मौत के कराल गाल में चला जाना पड़ता है। अगर सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है, सरकारी साधनों की कमी से कि प्राइवेट डिस्पेन्सरीज़ आदि से अगर कोई दवा ले तो सरकार स्वयं उसका पेमेन्ट कर सके। क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी यह तो सोचना ही पड़ेगा कि अधिक से अधिक ऐसी व्यवस्था देहातों में हो। इसके लिए उसे एक क्राइटेरिया मुकर्रर करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक सरकार के पास कोई क्राइटेरिया रहा है तो सिर्फ सिफारिशों का रहा है। कोई उचित और सुनिश्चित क्राइटेरिया अब तक नहीं रहा। इसके लिये एक क्राइटेरिया कि पांच हजार की आबादी पर एक डिस्पेन्सरी होगी या जैसा भी हो; निश्चित करना होगा। सबसे पहले, मैं मानता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में जिस जनसंख्या पर एक डिस्पेन्सरी या इस प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सहूलियत देने की बात आई है, वह ठीक है और पर्याप्त है। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया मुकर्रर करके सब स्थानों को उनका वाजिब हिस्सा मिल सके इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी और मैं मानता हूं कि मन्त्री महोदय, पिछले टाइम इस बारे में कुछ भी हुआ हो, अब आयन्दा किसी संकुचित आधार पर या किसी सिफारिश के आधार पर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, बल्कि जो उचित क्राइटेरिया हो इसके ही आधार पर करेंगे। जिनको जो हक मिलना चाहिये उनको वे अवश्य देंगे, ऐसी आशा करता हूं।

दूसरी चीज मेरे पहले कट-मोशन पर निवेदन करदूं जो कि ग्राम जावला, तहसील परवतसर का जो औषधालय है, उसको डिसकन्टीन्यु करने के संबंध में है। उसके सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करना है कि १२ साल से जहां औषधालय रहा, वहां अधिकारियों की गलत रिपोर्ट पर वहां का औषधालय स्थानान्तरित हो जाता है। गलत रिपोर्ट की वजह से स्थानान्तरित किया गया है तो जब नये औषधालय कायम करने का मौका आये तो प्राथमिकता उस ग्राम को दी जाय, जहां कि १२ साल से औषधालय चला आ रहा है।

दूसरा कट-मोशन उन लोगों के लिए है, जो डॉक्टर विभाजन से पहले भारत के उन प्रान्तों में काम करते थे जो कि अब पाकिस्तान के अंग बन गये हैं और जो कि आज राजस्थान सरकार की सेवा में हैं। माननीय अध्यक्ष, विभाजन से पहले उन लोगों की जो स्थिति थी, जब वे अपने मुल्कों में थे, जो कि अब पाकिस्तान के अंग बन गये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहते हुए इतना ही कहता हूं कि आजादी का असली मुआवजा तो उन लोगों ने चुकाया जो कि अब पाकिस्तान के अंग बन गये हैं। न जाने कितनी मुसीबत उनको उठानी पड़ी। वे डॉक्टर जो कि अब राजस्थान सरकार की सेवा में हैं, अगर विभाजन नहीं होता और वे अपने प्रान्तों में होते तो वे अपनी उस पुरानी सर्विस को कायम रख सकते थे और उस सर्विस को कायम रखते हुए उसी हिसाब से अपनी वेतन-वृद्धि करा सकते थे और अपने बुढ़ापे में पेन्शन के हकदार हो सकते थे। तो जो सुविधाएं उनको उन प्रान्तों में मिलती थीं, वही आज आवश्यक है कि राजस्थान सरकार भी उनको अपने यहां पर दे, उन डॉक्टरों को दे जो कि विभाजन के पूर्व सिन्ध और पंजाब में थे और आज राजस्थान सरकार की सेवा में हैं। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश निकाले हों। डॉक्टरों के बारे में तो निश्चित तौर पर नहीं

[श्री चांदमल मेहता]

कह सकता हूं, लेकिन अध्यापकों के बारे में आदेश निकाले हैं और दूसरे लोगों के बारे में आदेश निकाले हैं; जिनके बारे में यह कहा गया है कि उनकी सर्विसेज़ जितनी उन प्रान्तों में थी उतनी ही मानी जाय, उसी आधार पर उनको तरक्की दी जाय। तो अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के आदेश डॉक्टरों के बारे में हों सरकार के सामने; तो उनकी कठिनाइयों को सोचना होगा। जो कुछ उन्होंने त्याग किया, कठिनाइयां उठाई हैं, बे-घरबार हुए हैं, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पुरानी सेवाओं को मान्यता देनी होगी। उसी हिसाब से उनको तरक्की और उसी हिसाब से उनको पेन्शन दी जानी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में यदि भारत सरकार का कोई आदेश नहीं हो तो भी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इस पर खर्च बढ़ सकता है तो बढ़ाया जाय और जो तरक्की उनकी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है, वह उनको दी जाय।

चौथा कटौती प्रस्ताव उन डॉक्टरों के बारे में है, जिन डाक्टरों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवाएं की थीं और आज राजस्थान सरकार की सेवा में हैं। माननीय अध्यक्ष, द्वितीय विश्वयुद्ध में हिन्दुस्तान के जो डॉक्टर गये और जिन्होंने वहां सेवा अपनी जान को जोखम में डालकर की, वह सर्व-विदित है और दुनियां में हिदुस्तान का इस बारे मे बहुत बड़ा नाम भी हुआ है। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यह आदेश जारी किया है कि जिन डॉक्टरों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवाएं की हैं, उनकी सेवाओं को तुरन्त सरकार और रेलवे मान्यता दे दे और उसी आधार के ऊपर इन्क्रीमेंन्ट हो और उसी आधार पर पेन्शन वगैरह की सारी बातें तय हों, लेकिन इस तरह के आदेश हो जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार की निगाह इस ओर नहीं गई। पहले-पहल इस सम्बन्ध में मैंने अपनी आवाज बुलन्द की। पिछले अधिवेशन के वक्त में यह मांग की कि राजस्थान सरकार में से कितने डॉक्टर हैं और उनके बारे में भारत सरकार के क्या आदेश हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। यह बतलाया गया था कि इस तरह के २३ डॉक्टर राजस्थान सरकार की सेवा में हैं और वह जल्दी ही इस सम्बन्ध में फैसला करने वाली है। मैंने कहा था कि 'जल्दी' को साफ कर दें कि वह 'जल्दी' को क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कि २-३ महीनों में कर देंगे। माननीय अध्यक्ष, में निवेदन करूंगा कि २-३ महीनों के बजाय ८ महीने हो गये हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध को समाप्त हुए काफी अर्सा हो गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश निकले हुए भी काफी अर्सा हो गया है। सरकार से पिछले सेशन में मांग की कि उनके सम्बन्ध में आदेश जारी कर देना चाहिये और विधान सभा में आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करती है तो मैं कहूंगा कि यह विभाग की इस सम्बन्ध में शिथिलता रही है। जो डॉक्टर द्वितीय विश्वयद्ध में गये थे उनकी सर्विसेज़ का फैसला नहीं होने के कारण जो सर्जन क्लास १ का सिलेक्शन हुआ है, अगर उनकी सर्विसेज़ को मान लिया जाता तो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तो इस तरह से उनके साथ में बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है कि उनकी सर्विसेज़ को मान्यता नहीं दी गई। तो अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर इस तरह का रेकार्ड रखें कि विधान सभा में किन-किन बातों का आश्वासन दिया जाता है और कार्यालय में वह आश्वासन पूरा क्यों नहीं किया जाता और आयन्दा के लिये पूरा हो। इस तरह का रेकार्ड रखा जाय तो वे कन्ट्रोल रख सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस मामले को

[श्री चांदमल मेहता]

अब जल्दी ही खत्म किया जायगा और एक निश्चित अवधि मुकर्रर की जायगी कि अमुक समय के अन्दर २ इन डाक्टरों के बारे में जो भारत सरकार के आदेश हैं; वे जल्दी से जल्दी लागू करने की व्यवस्था कर दी जायगी और जो डॉक्टरों का सिलेक्शन हुआ है उसमें उन डाक्टरों को उचित स्थान व तरक्की उनकी जो सर्विसेज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए देंगे।

मेरा पांचवा कट-मोशन यज्ञनारायण हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बढ़ाने के सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष, यह यज्ञनारायण हॉस्पिटल की बिल्डिंग जनता के चन्दे से खरीद की गई है। किशनगढ़ की जनता ने बहुत कुछ तादाद में चन्दा किया है। वह चन्दा किया था हॉस्पिटल बनाने के लिये और आवश्यक औजार खरीद करने के लिये, जिसके परिणाम-स्वरूप यह बिल्डिंग खरीदी गई। बिल्डिंग खरीदने के थोड़े समय के बाद राजस्थान का निर्माण हुआ और राजस्थान निर्माण के बाद इस बिल्डिंग की तरफ कोई विशेष तवज्जह दी गई हो, ऐसी बात नहीं है। इस बिल्डिंग की स्थिति क्या है कि इस बिल्डिंग में एक लैट्रिन है और वह भी फ्लश सिस्टम का लैट्रिन है जहां कि पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आमतौर से गन्दगी रहती है। पेशाबघर के बारे में यह देखा गया है कि मरीज पेशाब बरान्डे में बैठ कर करते हैं। इस गंदगी का मरीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

वहा मकानों व कमरों की स्थिति यह है कि वहां छतें नहीं हैं। नाइट ड्युटी में रहने वाले कम्पाउन्डरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों के रहने का स्थान नहीं है। नाइट ड्युटी में जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए रहने का स्थान नहीं है और मरीजों के रहने के जो कमरे हैं, उनमें से डॉक्टरों के रहने का काम लिया गया है। इस वजह से वह ५० बेडेड हॉस्पिटल से ३० बेडेड हॉस्पिटल रह गया है। इसी तरह डी. एम. एच. ओ. का दफ्तर भी वहीं रहना चाहिये और डी. एम. एच ओ. की दवाइयों का स्टोर भी वहीं रहना चाहिये ताकि डी. एम. एच. ओ. अधिक से अधिक समय उस हॉस्पिटल को देख सकें। डी. एम. एच. ओ. का दफ्तर मदनगंज में है, तो स्टोर दवाइयों का शहर की एक बिल्डिंग में है। इसमें बहुत बड़ा समय खर्च होता है दफ्तर के आने–जाने में और देख–रेख करने में। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे थोड़ी कृपा करें, जहां जनता ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अपने खर्चे से खरीद कर दे दी तो आवश्यकता इस बात की थी कि इसमें और सुधार किया जायगा। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूं कि एक प्रश्न के दौरान में उन्होंने यह कहा था कि जिन कमरों के ऊपर छतें पड़ी हुई नहीं हैं, उसकी व्यवस्था कर दी जायगी। छतों के साथ साथ जिन चीजों की चर्चा की गई है, उन पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

कुछ और बातें यज्ञनारायण अस्पताल के लिए स्वीकार की गई हैं। वह दूसरे कामों के लिए खर्च किया गया है, वे काम आवश्यक थे। उसमें बहुत कुछ काम बाकी है। वह भी पूरा हो जाय तो ठीक है।

छठा प्रस्ताव यज्ञनारायण हॉस्पिटल में कुछ औजार, रेफ्रिजिरेटर आदि के सम्बन्ध में है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि यज्ञनारायण हॉस्पिटल में बहुत बड़ी तादाद में जनता की ओर से औजार आदि खरीद किये गये थे, लेकिन इसके बाद में छोटे राजस्थान का निर्माण

[श्री चांदमल मेहता]

हुआ और छोटे राजस्थान के अधिकारियों के ख्याल में आया कि जहां अच्छे अच्छे औजार हैं वहां से ले लिये जायं और बहुत कुछ तादाद में सामान उठाकर भूतपूर्व राजस्थान के अधिकारी उदयपुर ले गये। उसके बाद बड़े राजस्थान का निर्माण हुआ। उनमें स्थानीय भावनाएं थीं। वे किशनगढ़ के सामान के लिए नहीं चाहते थे कि वहां रहे, और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से खरीद किया हुआ सामान जयपुर के अधिकारियों ने जयपुर लाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति पैदा हुई और उसका अगुआ मैं था इस बात के लिए कि सरकार हमारा सामान एक मर्तबा तो उदयपुर ले गई और दूसरी मर्तबा जयपुर ले जाना चाहती है, वह हम कभी नहीं ले जाने देंगे। हमने वहां धरना दे दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह सामान रुक गया। दूसरी चीजें चली गई थीं भूतपूर्व राजस्थान में, तो वहां काफी औजारों और चीजों की कमी होगई ओपरेशन वगैरह की। वहां दो ओपरेशन एक साथ नहीं हो सकते हैं। इतने कम औजार हैं कि उनको फिर से साफ करना पड़ता और फिर उनसे ओपरेशन किया जा सकता है। रेफ्रिजिरेटर के लिये मैंने पिछले अधिवेशन में भी आवाज उठाई थी और जवाब मिला था कि इस साल के खत्म होने के बाद रेफ्रिजिरेटर आदि यज्ञनारायण हॉस्पिटल को मिल जायेंगे लेकिन अब तक नहीं मिले हैं। कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको रेफ्रिजिरेटर में रखना आवश्यक होता है और उसके नहीं होने की वजह से वे दवाइयां नहीं रखी जा सकती और उन रोगों का इलाज भी नहीं हो सकता। मसलन पागल कुत्ते के काटने के बाद इलाज कराने की दवाइयां हैं उनको रेफ्रिजिरेटर में रखना आवश्यक है, लेकिन रेफ्रिजिरेटर के नहीं होने के कारण वहां पर दवाइयां नहीं रखी जा सकतीं। इसलिये पागल कुत्ते द्वारा काटे हुए बीमारों को इलाज कराने के लिये अजमेर जाना पड़ता है। और भी कई दवाइयां ऐसी हैं जिनको इसमें रखना आवश्यक है। यह जो रेफ्रिजिरेटर और औजारों की मांग है वह सर्वथा उचित है। इस तरह के मेरे ६ कटौती प्रस्ताव हैं। मुझे आशा है कि इन सब के बारे में उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री शंभूसिंह— अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the demand for grant No. XVII, for a sum of Rs. 1,40,95,000/- in respect of Major Head No. 38-Medical be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of Government to open dispensaries at deserving places.) "

माननीय अध्यक्ष, एक कल्याणकारी राज्य के वास्ते यह एक कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार वह जनता को भोजन, वस्त्र और मकान सुलभ करता है—उसी प्रकार चिकित्सा भी सर्व-सुलभ होनी चाहिये। हम यह देखते हैं कि चिकित्सा के अच्छे से अच्छे केन्द्र ज्यादातर शहरों में स्थापित किये जा रहे हैं जबकि सरकार को ज्यादा रेवेन्यू का हिस्सा गांवों से उपलब्ध होता है, लेकिन गांवों को इस सुविधा से बिल्कुल अलग किया जा रहा है। मैं आपको भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की गरवाड़ और रायपुर तहसीलों की ओर कुछ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी मैं निवेदन करता हूं कि वहां की आबादी लगभग २ लाख की है, लेकिन वहां केवल २ एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज़ और २ आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ हैं, तो इस हिसाब से ४ डिस्पेन्सरीज हुई और पूरे ५०,००० की जनसंख्या पर एक फिज़ीशियन हुआ। आप ख्याल फरमा सकते हैं कि श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर

Page No.36

[श्री शम्भूसिंह]

आकर्षित करना चाहता हूं कि एक फिज़ीशियन ५० हजार मनुष्यों की चिकित्सा किस प्रकार कर सकता है ? सराड़ा में पहले भूतपूर्व मेवाड़ स्टेट की ओर से एक एलोपेथिक डिस्पेन्सरी थी लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है। उनको चाहिये तो यह था कि और अधिक डिस्पेन्सरीज़ खोलते, लेकिन पहले थी उसको भी बंद कर दिया गया और जो डिस्पेन्सरीज़ हैं उनमें भी न तो काफी दवाइयां हैं और न बीमारों के लिये काफी बेड्स हैं। देवरिया एक गांव है जो काफी पोपुलेशन का गांव है। वहां पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये काफी अर्से से प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन न मालूम किस वजह से अब तक आयुर्वेदिक औषधालय वहां पर नहीं खुल पाया है। इसी क्षेत्र में लाकरा एक अच्छा गांव है। उसमें भी आयुर्वेदिक औषधालय खुलना चाहिये। इसी प्रकार आमली एक बड़ा गांव है वहां पर भी एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी होनी चाहिये। इसी प्रकार कोशीपुरा एक बड़ा गांव है वहां पर भी एक आयुर्वेदिक औषधालय खुल जाना चाहिये। गांवों के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने से बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि है। खेती करते समय जब एक किसान बीमार हो जाता है तो वह अपना खुद का काम ठीक तरह से नहीं कर सकता। एक किसान के परिवार के बीमार होने का मतलब यह है कि कम से कम १०० मन धान का उत्पादन कम होना। शायद मंत्रीजी अपने जवाब में यह कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ज्यादा डॉक्टर और चिकित्सक प्रोवाइड कर सकें, लेकिन मैं यह कहूंगा पूरे डाक्टरों और चिकित्सकों के उपलब्ध नहीं होने से जितना हमारा राष्ट्रीय घाटा होता है, वह उस व्यय से कहीं अधिक है जो अधिक खर्चा करके पूरे डॉक्टर और चिकित्सक उपलब्ध करने में हमको करना पड़ेगा। किसान को चिकित्सा उपब्लध नहीं होने से और खेती-बाड़ी में हानि पहुंचने से राष्ट्रीय हानि होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां डाक्टर बहुत कम है। उनको यदि गांवों में चिकित्सा के लिये बुलाया जाता है तो उन पर बहुत खर्चा पड़ता है। जो किसान आ नहीं सकते, उनको कहा जाता है कि अस्पताल में भर्ती हो जाओ। लेकिन जब किसान भर्ती होने आते हैं तो वहां पर काफी बेड्स नहीं होने से फिर उनको वापिस लौटना पड़ता है। न तो वे डॉक्टरों को भारी फीस दे सकते हैं और न बेड्स का उचित प्रबन्ध होने से वे भर्ती हो सकते हैं तो ऐसी अवस्था में किसान असहाय रह जाते हैं। जो किसान सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देते हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है और चिकित्सा के अधिक से अधिक साधन शहरों में सुलभ किये जा रहे हैं, वे ही साधन गांवों में भी अधिक से अधिक सुलभ होने चाहिये। इङ्गलैण्ड में जब लेबर सरकार आई थी तब घर-घर में चिकित्सा पहुँचाने के लिए एक व्यापक योजना उन्होंने बनाई थी। अपने यहां यदि इतना नहीं किया जा सकता तो इतना तो होना चाहिये कि डाक्टर गांव-गांव में पहुँच जाय। इसके लिये टूरिंग डिस्पेन्सरीज़ बनानी चाहिये जो मलेरिया, चेचक आदि व्यापक बीमारियों के समय गांव-गांव में जाकर लोगों का इलाज फ्री कर सके। इसके लिये यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टरों की तनख्वाह दुगुनी कर दी जाय, लेकिन यह प्रबन्ध कर दिया जाय कि किसानों से किसी भी हालत में पैसे न लेवें। हमारे यहां के किसान बहुत ही निर्धन हैं, उनकी हालत पैसा देने जैसी नहीं है, इसलिए उनको फ्री ट्रीटमेन्ट मिलना चाहिये और दवाइयां मुफ्त में मिलनी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि आज जो बहुत रिच आदमियों के लिये चिकित्सा के साधन शहरों में उपलब्ध हो सकते हैं, उसी प्रकार की और उतनी ही अच्छी चिकित्सा एक गरीब किसान को उसी के गांव में मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिये। आज जब हम यह मानने को तैयार हैं कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य

[श्री शम्भूसिंह]

है, अतएव अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि आमली आदि जो बड़े-बड़े गांव हैं, वहां आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ खुल जावें और जहां से एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज़ उठा दी गई हैं, वहां ये वापिस कर दी जावें और मलेरिया आदि की मौसम में दूर करने के लिये डाक्टर रखे जावें। इस प्रकार का प्रबन्ध सारे राजस्थान में होना चाहिये। जो किसानों की बीमारी के कारण राष्ट्रीय क्षति होती है, उसको हम तभी रोक सकते हैं। इसमें जो भी अधिक व्यय होगा, वह उस हानि से कम होगा जो किसानों के बीमार हो जाने के कारण होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मेरे निवेदन पर ध्यान देगी।

श्री **मानसिंह महार**—माननीय अध्यक्ष।......

श्री **अध्यक्ष**—कितने और बोलेंगे इस पर ?

श्री **मुक्तीलाल मोदी**—मैं बोलूंगा।

श्री **अध्यक्ष**—Five minutes each.

श्री **मानसिंह महार**—माननीय अध्यक्ष, आयुर्वेदिक औषधालयों और अस्पतालों के बारे में कुछ मेरे मित्रों ने सदन में जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उन प्रस्तावों पर मैं कुछ निवेदन करूं उससे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को यह बताना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर जो कोई बातें सुझाव के रूप में कही जाती हैं, उनका हमारी सरकार पर और हमारे सरकारी अफसरान पर विपरीत ही असर होता है। इसके मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और किसी और मौके पर वे प्रत्यक्ष प्रमाण भी रखूंगा।

तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ सुझाव हम लाते हैं, वे किसी प्रकार की दुर्भावना से नहीं लाते हैं। इस सदन में हम आते हैं, सरकार का इतना पैसा खर्च होता है, तो हम अपने सुझाव इसलिए रखते हैं कि सरकार उन सुझावों को वाजिब समझे तो एक्शन ले और जनता का भला करे। पर दुर्भाग्यवश हमारा एक्सपीरियेन्स इस प्रकार का है कि सरकार चाहे उन्हें इम्प्लीमेन्ट करना चाहे, पर सरकार के नीचे के ऑफिसरान हैं, वे सोचते हैं कि असेम्बली में इस प्रकार की शिकायत की है, उसको तोड़-मरोड़ कर मन्त्रियों को बताया जाय कि वे सही शिकायत को समझ ही न सकें और इस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए उन्हें ५० झूठ बोलने पड़ते हैं और तोड़-मरोड़ कर उस सही शिकायत को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, यह डेमोक्रेसी के लिये घातक है और डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के खिलाफ है। यह चन्द शब्द कहकर मैं मन्त्री महोदय को अवगत कराऊंगा कि इस पर ध्यान रखें।

सफाखानों पर निवेदन करते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान में और नये सफाखाने खोलने की बहुत गुंजायश है। हमारी सरकार इस ओर कदम तो उठा रही है, पर यह कदम बहुत

[श्री मानसिंह महार]

धीमा है। सरकार चाहे तो इस रफ्तार को चौगुना कर सकती है। आजकल हमारे देहातों के सफाखाने हैं, उनमें पिछले एक साल में पहले से कुछ ज्यादा दवाइयां पहुँची हैं, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। पर इससे यह न समझ लेना चाहिये कि हमारा काम पूरा हो गया, दवाइयां और भी अधिक मात्रा में सफाखानों में पहुँचनी चाहिये। दवाइयां पहुँचाने के साथ-साथ यह होना चाहिये कि डॉक्टर लोग अपने यहां के दवाइयों के दूकानदारों के एजेन्ट होते हैं और वे उनके यहां की दवाइयां बिकवाने के लिये मरीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं कि वहां से दवाई मोल ले आओ।

सरकार से मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह ऐम (aim) भी रखना चाहिये कि जहां दवाखाने हैं वहां डॉक्टरों को यह कहने की गुंजायश नहीं रहनी चाहिये कि वह मरीज को दवाई मोल लाने के लिए कहे। इससे ६० परसेन्ट भ्रष्टाचार मिट जायगा।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल एक उच्च कोटि का अस्पताल है और सबसे बड़ा अस्पताल है। पर इसके चारों ओर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके सराउन्डिंग्ज़ कुछ उजड़े हुए मालूम पड़ते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस अस्पताल के चारों ओर दूब के लॉन्स लगाने चाहिये। चारों ओर हरियाली और फुलवारी दिखनी चाहिये ताकि मरीजों की मनोवृत्ति में भी सुधार हो। अस्पताल के सामने एक बड़ा लॉन है परन्तु पीछे बहुत काफी जमीन उजाड़ पड़ी है; इसके अन्दर मैं मानता हूं कि प्रेसिडेन्ट की विज़ीट के सिलसिले में एक सड़क भी बन गई है, लेवलिंग भी कर दिया गया है; पर साथ ही फुलवारी, पौधे और हरियाली लगा दी जाय तो अच्छा रहेगा।

इस अस्पताल में मेरा ज्यादा काम इन दिनों में पड़ा और इन्टरनल कामों को जानने का मौका मिला है। सरकार ने डेढ़ साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट क्रियेट की है, इसके लिये मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि इस पोस्ट के क्रियेट करने से इन्तजाम में सुधार की बजाय ड्युअल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है। एक तरफ तो सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय इन्तजाम करते हैं और दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेटर इन्तजाम करते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेटर की यह पोस्ट कायम की गई थी, तो इसलिये की गई थी कि डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखा जाय और किसी दूसरे आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाय। उस समय मांगीलालजी को एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया, उनकी शिकायतें हुई थीं और यहां सदन तक में चर्चा चली थी। अब दुर्गासहाय डॉक्टर हैं, उनको रखा गया है। मुझे प्रत्यक्ष जानकारी है कि जिस ऐम से एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की गई थी, वह ऐम तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब डॉक्टर को ही एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया गया है तो यह ऐम तो खत्म हुआ। इसके अलावा सुपरिन्टेन्डेन्ट और एडमिनिस्ट्रेटर, दो का एडमिनिस्ट्रेशन रहने से ड्युअल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया।

मैं मानता हूं कि डाक्टर शरीन बहुत ही योग्य डाक्टर हैं। उनसे उनका स्टाफ खुश है। पर खुश होने से क्या होता है, उनके ऊपर ड्युअल गवर्नमेंट के रूप में एक डॉक्टर साहब रखे गये हैं, जिन्होंने सारा जीवन राजाओं-महाराजाओं के पास व्यतीत किया है, उनकी वही पुरानी राजाशाही युग की नीति है। गरीबों का भला कैसे हो सकता है? इस ओर वे ध्यान नहीं दे सकते। उनका तो

[श्री मानसिंह महार]

छुटपुट बातों में ही ६ से १२ का समय निकल जाता है। साहबी ठाठ से कहते हैं कि यह चीज यों क्यों नहीं रखी है। अगर चपरासी अपनी जगह से उठ कर पेशाब करने या चाय पीने चले जाते हैं तो पुराने साहब लोगों की तरह सवाल कर लेते हैं। इस प्रकार की नीति आज के प्रजातान्त्रिक युग में नहीं चल सकती। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर रखना है तो किसी ऐसे आदमी को रखिये जो कि आज के युग की जनता की मांगों को देख सके, सुन सके और पूरा कर सके।

वहां मरीजों से मिलने का समय ४ से ६ तक का है। बाहर से देहाती स्त्रियां और बच्चे अपने मरीज रिश्तेदारों से मिलने के लिये आते हैं, वहां पर यह कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई उन्हें यह बता दे कि तुम्हारा रिश्तेदार फलां कमरे में है, तो फिर बाहर के देहाती आदमी चूंकि अस्पताल इस तरह का बना हुआ है कि प्रत्येक कमरा उसका एक तरह का है तो वे अपने रिश्तेदारों को ढूंढ नहीं सकते और इस तरह ४ से ६ बजे तक जो मिलने का समय है-वह दो घन्टे का समय इधर-उधर ढूंढने में ही बीत जाता है।

यह बात मैं इस वक्त इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि रोज यह मैं देखता हूं और दो-चार आदमियों को अपने साथ ले जाकर किसी प्रकार उनको कमरे में ले जाकर छोड़ता हूँ। यह हाल मैं ८ दिन से लगातार देख रहा हूं। हमारी ग्रामीण जनता की भलाई के लिये यह हो रहा है। यह होना चाहिये कि एक आदमी जो इसी डिपार्टमेंट का हो, जिसके पास मरीजों की एक लिस्ट हो और जो कोई पूछे उसको वह बतला दे कि उसका रिश्तेदार कहां पर, किस किस कमरे में है या उसको एक पर्ची लिख कर दे दे कि फलां वार्ड में चले जाओ; वहां पर जो उस वार्ड की देख-रेख करते हैं वे उस चिट्ठी या पर्ची को पढ़ कर उनको उनके रिश्तेदारों के पास ले जावें। मगर यह होता नहीं है और इससे ग्रामीण लोगों को, स्त्रियों और बच्चों को बड़ा दुःख होता है। मैंने कई स्त्रियों को रोते हुए देखा है। मैंने कल एक स्त्री को रोते हुए देखा था और वह कह रही थी कि छः बजने में सिर्फ दस मिनिट ही रह गये हैं और वह अपने रिश्तेदार को नहीं देख पा सकेगी। इस बात को ध्यान में रखा जावे कि उनको इस प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

एक माननीय सदस्य—आप हॉस्पिटल का सुधार कर देंगे।

श्री मानसिंह महार—मैं हर वक्त हॉस्पिटल में नहीं पड़ा रहूंगा, वरना मैं इसका कुछ प्रबन्ध और सुधार कर सकता हूं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी खामी है, जो दूर की जावे।

अब मैं, क्योंकि घंटी हो चुकी है, इसलिये आयुर्वेद के बारे में थोडा-सा कहूंगा। आयुर्वेद की राजस्थान में जैसी हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है। इसमें डाइरेक्टर नहीं, डिप्टी डाइरेक्टर नहीं और कोई नहीं। यहां पर सैक्रेट्री महोदय हैं, उनको भी बेचारों को एलाउन्स नहीं मिलता है। मैंने पहले गलती से कह दिया था कि उनको एलाउन्स दिया जाता है। वे अपना सेक्रेट्री का काम करते हुए डाइरेक्टर का काम भी करते हैं। यह उनके साथ भी अन्याय है। इसके अलावा हम लोगों को भी

Page No.40

[श्री मानसिंह महार]

आयुर्वेद के काम के लिये सेक्रेटेरिएट जाना पड़ता है। अगर सरकार किसी डाइरेक्टर का, अभी चुनाव नहीं करती है या नहीं होता है तब तक के लिये किसी टेम्परेरी डिप्टी डाइरेक्टर को ही डाइरेक्टर बना कर रामगंज बाजार में बिठला देगी तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। उनको तो आयुर्वेद और रामगंज से मोह होना चाहिये।

इतना कह कर मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि सौराष्ट्र में आयुर्वेद को तरक्की दी जा रही है। उन्होंने इसकी तरक्की के लिये २५ लाख का खर्च किया है। हमारे मन्त्री महोदय ने सौराष्ट्र की मिसालें भी दी हैं। ऐसी सूरत में हमारे राजस्थान में आयुर्वेद को इतना पिछड़ा हुआ रखा जावे, यह वाजिब नहीं। राजस्थान जैसे नंगे और भूखे देश में यह आवश्यक है कि यहां आयुर्वेद का अच्छा प्रबन्ध हो ताकि दो-दो, चार-चार आने की दवाइयों से लोगों का काम चल सके। आज-कल इन्जेक्शन वगैरह लेते हैं, मगर उनकी कीमत बहुत होती है। दो-तीन रुपये लगते हैं। एलोपेथिक के मुकाबले में आयुर्वेदिक इलाज में बहुत कम खर्चा लगता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया जावे। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री यह नहीं समझें कि एसेम्बली में ऐसी बातें कही गई हैं इससे इसका उलटा होना चाहिये और अगर ऐसा हुआ तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पब्लिक में ही नहीं, बल्कि हाउस के सदस्यों से भी विश्वास उठ जाएगा क्योंकि सरकार कौन से साल कौन सी होती है कौन से साल कौन सी होती है; आये साल बदलती ही रहती है लेकिन सदन के सदस्यों को तो पांच साल तक बराबर बैठना है। आपकी मेहरबानी होगी, अगर हमको तो इस अदला-बदली से बचावेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, मैं भी इस सम्बन्ध में तीन-चार बातें आपके द्वारा सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से कल्याणकारी राज्य की दुहाई दी जा है, मगर इस कल्याणकारी राज्य में कितनी धांधली दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसका विवरण करना चाहता हूं। किस प्रकार एक जगह से आयुर्वेदिक औषधालय हटाया जाकर माननीय मन्त्री को खुश करने के लिये कांकरोली में ले जाया गया है। अगर पहली जगह से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को जागीरी इलाका होने की वजह से हटाया गया तो मैं यह कहूंगा कि जिस जगह इसको नियुक्त किया गया है वह भी एक जागीरी इलाका है। एक जागीरी इलाके से हटा कर दूसरे जागीरी इलाके में इसको क्यों रखा गया, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा वहां पर इसका कोई महत्व नहीं था, इसके पास ही राजनगर का हॉस्पिटल मौजूद है और कांकरोली वाले महाराज की तरफ से भी प्रबन्ध है व एक सरकारी डिस्पेन्सरी भी मौजूद है। इसके बावजूद भी वहां पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ले जाना, यह साफ जाहिर करता है कि माननीय मन्त्री जो अमृतलाल जी यादव हैं उनको नाराज करना सरकार नहीं चाहती और चूंकि हम विरोधी दल के हैं, इसलिये हमारे यहां इस प्रकार की सुविधा देना नहीं चाहती और हमारे साथ ज्यादती बरतती है। माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार अमृतलालजी यादव शेड्यूल्ड कास्ट से आये हुए हैं उसी प्रकार हमारे साथी श्री जयचन्दजी भी शेड्यूल्ड कास्ट से आये हुए हैं, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं; इसलिए अमृतलाल जी यादव को खुश करने के लिये प्रबन्ध किया गया। इसके

[श्री जगतसिंह झाला]

अलावा मैं आपका ध्यान उदयपुर में सूरजपोल वार्ड डिस्पेन्सरी की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी कुछ समय पूर्व इस डिस्पेन्सरी को वहां से हटा कर एक ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये उसके मकान में रखी गई है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनका नाम है जनार्दनराय नागर। उनके मकान पर कायम की है। वह स्थान सूरजपोल से काफी दूर है। अगर उनके इतने बड़े मकान को किस तरह से काम में लिया जावे और उसको किराया दिलाया जावे, अगर यही बात है तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके सामने ही एक छापाखाना का मकान मौजूद है जो खाली पड़ा है, सरकारी है। खाली नहीं हो तो खाली कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा इसको वहां रखने की एक और बात है। आप दुनिया को दिखाते तो यह हैं कि हम आयुर्वेद के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसकी उन्नति हो; जरूर कर रहे होंगे, लेकिन आपका प्रयत्न यह नहीं है कि वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय चले। वहां पर डिस्पेन्सरी को कायम करने से एक फर्लांग की दूरी पर जो आयुर्वेदिक औषधालय है, वहां पर फिर कौन जावेगा? इससे तो बेहतर यह होगा कि उसको बिठला दिया जावे, उसको खत्म कर दिया जावे। यह आशय आपका इससे स्पष्ट साबित होता है। अगर नहीं, तो कोई कारण नहीं कि आप वहां पर डिस्पेन्सरी कायम करते। इसके अलावा हमने आपको एक मेमोरेन्डम दिया था कि वाल्टर जनाना हॉस्पिटल टूट गया है, यहां पर आयुर्वेद कॉलेज खोल दिया गया है। नर्सेज़ ट्रेनिंग के लिए उसे रखा। क्या ही अच्छा होता, अगर वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय होता। लेकिन इससे यह साफ जाहिर होता है कि आप अपने मित्रों को प्रसन्न करने की नीति पर जा रहे हैं।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहूंगा। वह यह है कि नित्यानन्दजी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको सरकार वापिस आयुर्वेदिक डाइरेक्टर बनाने जा रही है। ये बूंदी के हैं, इस वजह से। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि आपके यहां दूसरे बहुत इन्स-पेक्टर हैं, उनमें से जो सीनियर हों उनको यह चान्स नहीं दिया जाकर अपने आदमियों को स्थान देना; यह तो आपके लिये शोभा की बात नहीं है।

चंद बातें मैं टी०बी० के सम्बन्ध में–जो खर्च करने वाली रकम है, उसको कम करने का कारण क्या है वह मैं जानता हूं और मानता हूं कि आपने उसको ध्यान में रखते हुए कम किया है। मैं यह कहूंगा कि आपका ऐसा विचार है कि जनता पर सरे-आम एक प्रकार का एक आना टैक्स लगता रहे, जो टी० बी० के टिकट होते हैं। यह एक आना जो लिया जाता है वह मरीजों पर टैक्स नहीं होना चाहिये। आप टी० बी० के नाम से हजारों रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन आपको मरीजों को तो इस कर से छोड़ देना चाहिये। एक आना से कोई ज्यादा आपको आमदनी नहीं होगी। १० या १२ हजार रुपये की आमदनी होती होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने इस मद में कमी की होगी, लेकिन इस प्रकार की कमी करना ठीक मालूम नहीं पड़ता।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टरों के रहने के लिये फ्री क्वार्टर्स बने हुए होते हैं और वह इसलिये कि जब उसकी जरूरत हो, उसी समय मरीज उसकी सहायता प्राप्त कर सके। मगर डॉक्टर

[श्री जगतसिंह झाला]

वहां पर नहीं रहते। वे अपने दूसरे पड़ोसियों या रिश्तेदारों के मकान में जा कर रहते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति अच्छी मनोवृत्ति नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल— माननीय अध्यक्ष, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के सिलसिले में बहुत से माननीय साथियों ने कई बातें रखीं। ऐसी मेरी मान्यता है कि वैसे तो यह डिपार्टमेन्ट इस मामले में भाग्यशाली है कि इसके बजट के आंकड़े ज्यादा देखे जाते हैं। गत वर्ष इसमें १४ लाख की बढोतरी हुई थी और इस वर्ष इसमें ९ लाख रुपये बढ़ाये गये हैं। हमें इन बढ़े हुए आंकड़ों का बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वागत करना चाहिये, इसके लिये दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन यह जरूर देखना है कि जो आंकड़े बढ़ाये जाते हैं आया उनका सदुपयोग होता है, ठीक तरह से वे लगाये जाते हैं जरूरत की जगहों पर जहां जरूरत होती है वहां हॉस्पिटल्स मेटरनिटी होम्स आदि खोले जाते है या नहीं, केम्प्स वगैरह लगाये हैं या नहीं, यह देखने की बात है ? साथ ही यह भी देखना है कि डॉक्टरों और मेडिसिन्स वगैरह की व्यवस्था सन्तोषप्रद है या नहीं। श्री चांदमलजी ने जो पहले किशनगढ़ कॉन्स्टीट्यूएन्सी से आये थे उन्होंने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि उन्होंने जो बेसिस रखा है वह बहुत स्ट्रोंग बेसिस है। इन्सानियत का तकाजा है कि हमारे पाकिस्तान से जो भाई डॉक्टर्स आये हैं, जो बुजुर्ग आये हैं जिन्होंने शासन की सेवा करते हुए साठ साल की उम्र बिता दी, उनको दो-चार वर्ष के बाद रिटायर होना पड़ा, उनके छोटे-छोटे बाल-बच्चों के लिये रोजी-रोटी का इन्तजाम करने का कर्त्तव्य सरकार का है। जिन्होंने भारतभूमि की सेवा के लिये इतना अर्सा बिता दिया है, उन्हें भारत-भूमि का निवासी समझ कर उनकी देख-रेख करने का हमारा पहला फर्ज हो जाता है। खास तौर से उनके लिये जो सर्विस में काम करते रहे हैं, अपने देश में लौट आये हैं, उनके लिये मेडिकल डिपार्ट-मेन्ट द्वारा पेन्शन की व्यवस्था होनी चाहिये। जो डॉक्टर्स पाकिस्तान से आये हैं और जिनको मेडिकल डिपार्टमेन्ट में लिया गया है उनकी पेन्शन आदि की व्यवस्था के लिये गवर्नमेन्ट महत्वपूर्ण कदम उठायगी तो यह जो १ करोड़ ५० लाख रुपये की राशि इसमें रखी गई है, उसके लिये जनता मुक्तकंठ से प्रशंसा करेगी।

माननीय अध्यक्ष, उन लोगों के लिए पेन्शन का होना इसलिये भी आवश्यक है कि वे वार-सर्विसेज के आदमी हैं। उनके साथ बहुत सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये। जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल कर वार में काम किया, अगर वे बच कर आगये तो हमारा प्रथम धर्म है कि सरकार का ही नहीं, सम्बन्धित अधिकारियों का ही नहीं, बल्कि राजस्थान के बच्चे-बच्चे का यह फर्ज हो जाता है कि उन व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से देखें और कम से कम उनको आर्थिक कठिनाइयों से तो बचाने के लिए हमेशा तैयार रहें।

यहां सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में भी कई बातें कही गई। अस्पताल में जहां तक बीमार जाते हैं वे ऐसे बीमार होते हैं जिनको घर से खुराक प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको हॉस्पिटल से खुराक मिलती है। उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है वह सन्तोषप्रद नहीं है। इत्तिफाक से मुझे कुछ रोज तक अस्पताल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उन दिनों में वहां मरीजों को, जो भोजन मिलता है उसको देखा तो पता चला कि यदि वह भोजन किसी तन्दुरुस्त आदमी को भी खिलाया जाय

[श्री श्रीदास गोयल]

तो वह कुछ दिनों के अन्दर बीमार पड़ कर वापिस लौटेगा, यह मेरा मानना है। वहां कुछ डॉक्टर साहबानों से इस बारे में दरयाफ्त भी किया कि क्या इसी प्रकार का इन्तजाम बड़े-बड़े अस्पतालों; जैसे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर आदि में भी इसी प्रकार का भोजन मिलता है क्या ? उनके कहने के मुताबिक पता चला कि अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग प्रकार से व्यवस्था है। वहां डायट मनी ज्यादा मिलता है, इसलिये वहां अच्छी खुराक मिलती है। यहां से कम्पेरिटिवली वहां अच्छी खुराक दी जाती है। यहां के लिये यह कहा गया कि पहले टाइम से ही यहां डायट मनी में कन्जूसी बरती गई है, इसलिये यह हालत है। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां अच्छी डायट मिलती है, यह वहां की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। जबकि राजस्थान में सब रियासतों का एकीकरण हो गया, सब बातों का इन्टीग्रेशन हो गया तो कम से कम इन्टीग्रेशन का ही ख्याल रखकर डायट मनी को ठीक किया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से मैं यह आशा करता हूं कि खास तौर से इन बातों का जवाब देंगे और अगर इस बारे में जानकारी की आवश्यकता हो, तो वह जानकारी भी प्राप्त करेंगे; मालूमात करके दर-असल जो परिस्थिति है उस पर रोशनी डालेंगे।

इसके अलावा, सवाई मानसिंह अस्पताल में एक प्रकार से ड्युअल गवर्नमेंट चल रही है। डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ कहता है कि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के लिए कोई परिस्थिति साफ नहीं। ऐसी हालत में यह आप सोच सकते हैं कि ड्युअल गवर्नमेंट जिस जगह काम करती हो, वहां का नक्शा क्या होता है ? यह सब कोई जान सकता है उस ड्युअल गवर्नमेंट के कारण व्यवस्था में कमी होती है और उस व्यवस्था की कमी के कारण ज्यादा नुकसान, सब से बड़ा शिकार इसका मरीजों को होना पड़ता है। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी एक डिपार्टमेन्ट के अन्डर इसको कर दिया जाय या किसी एक व्यक्ति के जिम्मे इसको कर दिया जाय, ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हो सके।

इसके अलावा भी कई बातें कहीं गई गांवों के सिलसिले में। उन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् हैं, वहां पर आयुर्वेद को प्रोत्साहन करने में भी समय लगेगा। लेकिन जहां डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज्यादा आवश्यकता है वहां इसका फैलाव होना चाहिये। बहुत से गांवों में एक बीमारी की बहुत शोचनीय हालत है; वह है सांप के काटे हुए का इलाज नही होने के कारण काफी आदमी हर साल मौत के घाट उतर जाते हैं। खन्डेर एक इलाका है, वहां पर सांप के काटे हुए का मुश्किल से इलाज होता है। यदि वहां किसी आदमी को सांप काट जाता है और वह खन्डार के अस्पताल में जाता है तो उसके पहुँचते-पहुंचते उसका राम-राम सत हो जाता है। जहां पर अस्पताल नहीं, वहां पर इसका प्रबन्ध नहीं रहता। अगर बरसात के दिनों में किसी को सांप काट जाय तो बीच में नदी पड़ने के कारण वह अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकता, सिवाय इसके कि वह ईश्वर की दया पर मुमनी रहे। सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे कामों को करने के लिए मूविंग डिस्पेन्सरीज़ का होना बहुत जरूरी है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यह जो इस साल ६ लाख रुपया इस बजट में बढ़ाया है, उसमें मूविंग डिस्पेन्सरीज़ की भी व्यवस्था हो तो इस रुपये का सदुपयोग हो सकता है।

[श्री श्रीदास गोयल]

मैं इसके बाद आपको एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। वह है डाक्टरों द्वारा दी जाने वाली इन्जरीज़ रिपोर्ट के सिलसिले में। हालांकि बीमारी के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी जब डॉक्टरों के लिए इस बजट में प्रोविजन है तो इस बारे में कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। मुझे इस बारे में ऐसा अनुभव हुआ है कि इन्जरीज़ रिपोर्ट देने में देरी की जाती है और गरीब लोगों को फंसाने के रास्ते खड़े किये जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बारे डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ अगर जांच करेंगे तो उनको साफ जाहिर हो जायगा। इसलिये निहायत जरूरी है कि इस तरह की जो डिले होती है उसको रोका जाय।

इसके अलावा मैं यह बात भी निवेदन करूंगा कि कई अस्पतालों में बहुत अच्छी व्यवस्था है और डॉक्टर लोग भी बड़ी मेहनत से काम करते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग घड़ी की ओर देखते रहते हैं और टाइम के खत्म होते ही मोटर में बैठ कर या अपने बंगलों में घुस जाते हैं। यह मैं सभी के लिये नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। इसके सिवाय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जी-जान से सेवा-भाव की तौर पर कार्य करते हैं। मुझे मालूम है कि सवाई माधोपुर में अस्पताल हैं। वहां मैंने देखा कि एक आदमी को कोबरा ने काट खाया। उस आदमी को वहां के डॉक्टर ने आठ घन्टे के अन्दर जीवन-दान दे दिया। यहां तक कि उसने आठ घन्टे तक बराबर उसकी देख-रेख की, यहां तक कि उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया। यह मैं मानता हूं उनके व्यक्तिगत चरित्र की प्रशंसा है; वे अपने स्वभाव को इतना ऊंचा बना चुके हैं और सेवा-भाव को इतना अपना चुके हैं। ऐसे ही अन्य डॉक्टरों को भी सेवा-भाव अपनाना चाहिये और मरीजों के साथ प्रसन्नता का व्यवहार करना चाहिये, सद् व्यवहार करना चाहिये। अगर इस तरह का डॉक्टरों का बर्ताव रहा तो मरीजों को साइकोलोजिकली बहुत रिलीफ मिल सकेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, तेजमलजी बापना ने जो कट-मोशन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। टी. बी. के बारे में जो उन्होंने कहा कि टी. बी. के लिए पहले रकम ज्यादा थी अब कम कर दी गई है तो मेरा यह कहना है कि सरकार को चाहिये तो यह था कि इससे चौगुनी रकम ज्यादा इस बजट में बताकर जनता को फायदा पहुंचाती क्योंकि यह बीमारी धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसी मात्रा में सरकार इस मद में रकम कम करती जा रही है।

क्या सरकार यह बतावेगी कि जितने अस्पताल राजस्थान में चलते हैं और लाखों रुपया इस पर खर्च होता है और उन अस्पतालों में सबसे ज्यादा जो बीमार हैं, वे टी० बी० के होते हैं तो अगर यह बीमारी दूर हो जाती है तो दूसरी बीमारियां जल्दी ही नहीं होतीं? इतना खर्च करते हुए भी सरकार यह नहीं देख पाती कि उसका प्रबन्ध किस तरह से हो रहा है। मरीजों की किस तरह से देख-भाल की जाती है, उनको किस तरह का खाना मिलता है, किस तरह का व्यवहार डॉक्टर उनके साथ करते हैं, दवाइयां उनको देते हैं या नहीं और किस तरह से गांवों के अन्दर काम होता है आदि-आदि। सब कागजों पर दस्तखत करते हैं और जो सेक्रेट्री लिख कर रख देता है उसको पढ़ने और समझने की कोशिश तक नहीं करते। यह धन्धा हो रहा है। प्रेक्टिकली सारे काम को देखा जावे, खुद जाकर उनका अनुभव करें; देखे तो मालूम पड़े कि आज जनता किस मुसीबत में से गुजर रही है।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सबसे बड़ी रकम शिक्षा और अस्पताल में, सारे हिन्दुस्तान के प्रान्त खर्च करते हैं। परन्तु सब जगह ऐसी चिल्लाहट मची रहती है कि अस्पताल के डॉक्टर लोग प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं, जबकि पी० डब्लू० डी० के, माइनिंग के और दूसरे डिपार्टमेन्ट के इन्जीनियर लोग नहीं कर सकते। डॉक्टरों को इतनी ज्यादा तनख्वाह देने पर भी यह प्राइवेट प्रेक्टिस क्यों करने दी जाय। इन्जीनियरिंग के पढ़ने में भी चार-पांच साल लगते हैं और डॉक्टरी में भी यही समय लगता है, फिर यह पक्षपात क्यों?

फिर डॉक्टर को जब यह सुविधा मिल जाती है तो वह मरीज को पूरी तरह से देख नहीं पाता। कहेगा कि तू मेरे घर पर आना या मुझे अपने घर बुलाना। इसमें पन्द्रह-बीस-पचीस रुपये की उसको आमदनी हो जाने की गुंजाइश है। पर अगर मरीज के पास इतना पैसा देने को नहीं होता है तो मजबूरी की हालत में उसे डॉक्टर के घर जाना पड़ता है, वहां उसे कम देना पड़ता है और जिसकी हैसियत इतना देने की भी नहीं हो, उसका भगवान ही फिर मालिक है।

इन्हीं डॉक्टरों की तरह अगर इन्जीनियरों को भी प्राइवेट काम करने की छूट दी जाय तो ये भी अच्छे बड़े-बड़े लोगों के मकानों के नक्शे आदि बना कर कुछ आमदनी कर सकते हैं। बिजली के और सिविल इन्जीनियरों को यह सहूलियत दी जावे तो वे भी हजारों रुपया इसमें कमा सकते है।

परन्तु इन डॉक्टरों के लिए और वैद्यों के लिए जब तक यह राजस्थान सरकार यह नहीं कर देगी कि आपको एक पैसा भी फीस का नहीं लेने दिया जावेगा, तब तक इनकी पूरी सेवाओं का लाभ आम जनता को मिलना मुश्किल है। आज जो हालत इन डॉक्टरों ने इस राजस्थान प्रान्त की गरीब जनता की बना रखी है, वह दूर नहीं हो सकती। यह फीस बन्द कर देंगे तो इन डॉक्टरों में सार्वजनिक भावना अपने आप पैदा होगी। पहले देहातों में कमेटी बनाकर जब हम कोई अस्पताल चलाया करते थे, तो वहां यह नियम था कि एक पैसा वैद्य नहीं लेता था, अगर कहीं से लेते भी थे तो वह अस्पताल में जमा होता था। उस वक्त वैद्य भी बहुत अच्छी तरह से मरीज की सेवा करते थे और डॉक्टर भी। पर आज फीस लेने की सहूलियत होने से, इसके बावजूद भी वे डॉक्टर रोगी की सेवा नहीं करते, बल्कि पैसे की सेवा करते हैं। तो सरकार इस बात के लिए सोचे कि आज जो फीस का तरीका है, उसको बन्द करे।

(घंटी)

साहब दो-एक मिनट। तो माननीय अध्यक्ष, जो सामान शफाखानों में खरीदा जाता है, उस सामान खरीदने के लिए सरकार एक कानून बनावे कि वह इण्डियन स्टोर न्यू देहली से ही खरीदे। इस तरह से सरकार के द्वारा ही सामान आवे सारे अस्पतालों में। टेन्डरों के द्वारा नहीं खरीदा जावे क्योंकि कोई कितना भी अच्छा आदमी हो, रुपया ऐसी चीज है कि उससे आदमी नीचे से नीचे गिर जाता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि सामान जितना भी खरीदा जावे, इण्डियन स्टोर न्यू देहली यानि भारत सरकार की मार्फत खरीदे। इससे वैद्य या डॉक्टर अथवा दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिल पावेगा इस मामले में कोई गड़बड़ी करने का।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

इसके अलावा कुछ दूसरा सामान जैसे कम्बल हुए, चद्दर हुए, बिछाने के गद्दे हुए; इस तरह का जो छोटा-मोटा सामान है, वह राजस्थान में चल रहे उद्योग-धन्धों से ही खरीदा जावे ताकि वे भी पनप सकें। ये आज बन्द पड़े हैं। इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार यह करे कि कम्बल यहां बड़े अच्छे से अच्छे बनते हैं, वे सभी यहीं से खरीदे जावें। चद्दर यहां से खरीदें और भी छोटा-मोटा सामान सब यहीं से खरीदे। इससे राजस्थान की बेकारी और गरीबी दोनों दूर होगी।

तीसरी बात यह कि राजस्थान सरकार आज डॉक्टरों, कम्पाउन्डरों आदि को पोलिटिक्स में घसीटती है, पंचायतों के और म्युनीसिपैलिटियों के इलेक्शनों में इनसे काम लेते हैं, इनका चुनाव के लिए उपयोग किया जाता है। अगर यह परिपाटी पड़ गई तो आगे आने वाली सरकारों के लिए भी आप मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और अपने लिए तो कर रहे हैं सो है ही। इससे राजस्थान का अहित ही अधिक होने वाला है। पर आज राजस्थान सरकार के मिनिस्टर देहातों में जाते हैं, डॉक्टरों पर दबाव डालते हैं, कम्पाउन्डरों पर दबाव डालते हैं, कांग्रेस संगठन तक के इलेक्शनों में वोट डलवाने-करने आदि कामों के लिए। क्या मतलब है इससे। आज सरकार कांग्रेस की है, कल दूसरी पार्टी की हो सकती है। तो इस तरह से सरकारी आदमियों की निष्पक्षता है, उसे आप खत्म मत करिये, अपने जरा से स्वार्थ के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज की यह राजस्थान सरकार यह तय कर लेगी कि हम लोग आज से इन डॉक्टरों और कम्पाउन्डरों आदि किसी को भी पोलिटिक्स में, किसी भी इलेक्शन में, कांग्रेस के इलेक्शनों में भी इन लोगों को नहीं पटकेंगे। नहीं तो इससे आपकी ही मुश्किल होगी। ये कम्पान्डर्स-डॉक्टर्स सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही करेंगे।

(समय-समाप्तिसूचक घंटी)

और तीसरी बात यह है कि—

श्री अध्यक्ष—एक मिनट के बदले दस मिनट ले लिये आपने।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अब खत्म ही करता हूं साहब! तो जो डॉक्टर्स-कम्पाउन्डर्स ड्यूटी पर जावें उनके लिए, मेरी राजस्थान सरकार से यही प्रार्थना है कि इन्हें इन पंचायतों के चुनाव में न घसीटें। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा भी था कि हम कमिश्नरों को इसलिए रक्खें कि पंचायतों......

श्री अध्यक्ष—इसका प्रोविजन जब बाद में आवे तो फिर बोलियेगा।

(श्री कुम्भाराम से) आप जबाब दीजियेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—हम तो अभी दो-तीन और बोलना चाहते हैं साहब!

श्री अध्यक्ष—मैं यह कहूंगा कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर देखेंगे तो १७९ में आपको यह मिलेगा; अगर आप किसी बात पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कट-मोशन दीजिये। एक नहीं, हजार

[श्री अध्यक्ष]

दीजिए, माननीय सदस्य को बोलने का पूरा अवसर दिया जायगा। परन्तु आप स्टडी करते नहीं और हर विषय पर बोलना चाहते हैं। आखिर माननीय मन्त्री भी किस-किस बात का जवाब देंगे ? कट-मोशन नहीं, एट रेन्डम स्पीचें होती हैं, इसमें मुझे भी यह निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती है कि किसको कितना समय दिया जाय।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—और भी सदस्य पहले बोले तो हैं इसी तरह। उनको भी रोक दिया जाना चाहिये था; हमें ही क्यों रोका जा रहा है ?

श्री **अध्यक्ष**—Two wrongs can never make one right. I will not allow. This is not general discussion. जनरल डिस्कशन के वक्त इस तरह से बोलने का आपको मौका दिया गया था। (श्री कुम्भाराम से) आप जवाब देंगे या नहीं देंगे ? जवाब दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष मोहदय, माननीय सदस्यों ने जो आपतियां आयुर्वेद और मेडिकल डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में की हैं, उनमें से कुछ सदस्यों ने जनरल बातें कहीं हैं। कुछ सदस्यों ने अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जिक्र किया है और कुछ सदस्य महोदयों ने आगे के लिए संकेत दिया है। जहां तक व्यक्तिगत आवश्यकताओं का संबन्ध है मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे सामने राजस्थान का चित्र है और उस चित्र को सामने रख कर ही हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से उनकी उन इच्छाओं को हम मान सकते हैं, लेकिन जहां आवश्यकताओं को पूरा करने का सम्बन्ध है वहां तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस जगह किस कार्य को पहले करना चाहिए और किस जगह पर किस कार्य को उसके बाद करना चाहिए। एक सदस्य महोदय ने यह शंका उत्पन्न की कि उसी जगह कार्य अधिक होते हैं जहां कि दबाव ज्यादा पड़ता है। मैं समझता हूं कि जहां तक दबाव का सवाल है उन्हीं की ओर से ज्यादा रहता है और उन्हीं को यह शंका रहती है कि उनके क्षेत्र में इस बात का काम नहीं होता है। लेकिन मैं हाउस की जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम दबाव की तरफ नहीं देखते हैं, हम आवश्यकताओं की तरफ देखते हैं और हमें इस तरह के काम, जिसके लिए आवश्यकता इजाजत देती है, करने पड़ते हैं। यज्ञनारायण अस्पताल का, जहां तक मैं समझता हूं, कार्य पहले से अधिक प्रगति पर है। उस पर खर्चा पहले से अधिक किया जाता रहा है और आगे भी अधिक होता जा रहा है, फिर भी सदस्य महोदय को संतोष नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस वक्त सरकार के हाथ में यह हॉस्पिटल आया उस वक्त उसकी हालत कुछ भी अच्छी नहीं थी और उसका हाल अच्छा नहीं होने की वजह से अब जितना खर्चा उसको चाहिए उतना खर्चा दूसरी आवश्यकताओं को देखते हुए नहीं कर सकते हैं; फिर भी बराबर हर साल में उस हॉस्पिटल पर खर्चा होता जा रहा है। जहां तक लोगों का सवाल है और लोगों को सहूलियत देने का सवाल है मैं हाउस को यह बतला देना चाहता हूं। जयपुर जिले का मेडिकल हैड क्वार्टर खास तौर से किशनगढ़ में रखा गया है, जब कि किशनगढ जिले का हैड क्वार्टर नहीं है। जिले का हैड क्वार्टर नहीं होते हुए भी उसको जिले का हैड क्वार्टर मेडिकल के हिसाब से माना है। उसका यही कारण हो सकता है कि हम वहां के लोगों को अधिक से अधिक इस विषय में मदद

[श्री कुम्भाराम आर्य]

देना चाहते हैं और माननीय सदस्य को यह समझ कर चलना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक ध्यान में रखा है और जितना बन पड़ता है उसके संबंध में किया भी जाता है। डॉक्टरों के मकानों का जहां तक सवाल है, उसके सम्बन्ध में इस साल के लिए कोई निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वह अलग से बनाये जा सकते हैं, लेकिन जहां कम्पाउन्डरों के मकानों का सवाल है, उनके छत की व्यवस्था अगले साल में हो जायगी और हमको यह सोचकर चलना चाहिए कि बजट हमें इस विषय में जितनी सहूलियत देगा, उतना हम ध्यान देंगे। कोई किशनगढ़ ही ऐसी एक जगह नहीं है जहां कि डॉक्टरों के मकानों की व्यवस्था करना बाकी रह गया हो। हमारे पास ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हॉस्पिटल के लिए मकान नहीं है, डॉक्टरों की बात तो अलग रख दी जायगी। इसी प्रकार भीलवाड़े का हॉस्पिटल है, वह भी एक महत्व की जगह है। किशनगढ़ से कम उस जगह का महत्व नहीं है। उस जगह भी यह कठिनाई है और उस कठिनाई को हम ध्यान में रखते हैं। एक नहीं, कई जिले ऐसे हैं। पाली भी एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां हॉस्पिटल की कठिनाई है। दूसरे कई जिलों को आप देखेंगे तो इस बात की कठिनाई मिलेगी। किसी एक जिले पर पूरा खर्चा नहीं कर सकते हैं। पूरे राजस्थान का चित्र सामने रखकर चलना पड़ता है। माननीय सदस्यों को यह समझ कर चलना चाहिए कि उस चित्र में उनके साथ अगर कोई कमी रहती है तो उन्हें बतलाना चाहिए और अगर उनको कोटा पूरा मिल जाता है या आवश्यकता के अनुसार कुछ अधिक है तो धन्यवाद नहीं दें तो न दें, लेकिन कम से कम एतराज तो न करें।

एक उन्होंने औषधालय की बात कही कि वह बड़ी दिक्कत की बात है। उसके लिए उनको संतोष नहीं है। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि औषधालय के बारे में जहां तक मकान की बात है तो मैं दुबारा जांच करवाने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि एक-एक गांव में औषधालय खोल सके। सरकार ने यह नियम बना रखा है कि कम से कम ८ मील के एरिया में एक औसधालय खोल देना चाहिए। अगर वह गांव ८ मील के एरिया के बाहर है तो संभव है कि उसके बारे में सोच सकूंगा, मगर ८ मील से कम एरिया में पड़ता है तो उनको थोड़े दिनों के लिए संतोष करना पड़ेगा, जब तक कि हमारी नीति यह न हो जाय कि हरेक गांव में औषधालय खोला जाय।

एक दूसरे महोदय जो सबसे पहले बोले थे, उन्होंने भी अपने इलाके के बारे में कुछ बातें कहीं थीं। एक तो आपने तहसील का नाम लिया। मैं समझता हूं कि हैड क्वार्टर पर अगर डिस्पेन्सरी नहीं है तो अगले साल के बजट में इसकी व्यवस्था कर देंगे। हम यह मानकर चलते हैं कि तहसील के हैड क्वार्टर में सबसे पहले डिस्पेन्सरियां कायम हों और पिछले साल जितनी भी हमने डिस्पेन्सरियां खोली थीं, करीब-करीब वे ही बातें ध्यान में रखीं और जहां-जहां तहसीलों के हैड क्वार्टर थे वहां पर उनको स्थापित किया और आगे भी यही कोशिश करेंगे कि तहसीलों के हैड क्वार्टर को पहले लिया जाय। तहसीलों के हैड क्वार्टर को जब तक कवर नहीं किया जाय गांवों की तरफ आयुर्वेद को लेकर ही बढ़ना चाहिये, डिस्पेन्सरियों को लेकर बढ़ना नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय को इस बात से संतोष होगा कि जहां तक उनके इलाके में औषधालयों और

[श्री कुम्भाराम आर्य]

डिस्पेन्सिरियों के खोलने की बात है, उसके सम्बन्ध में एक छोटी सी बात जनरल आपको कह देता हूं जो कि सभी सदस्यों को समझ लेना चाहिये। राजस्थान सरकार ने पिछले साल से इस साल दुगुने के करीब औषधालय खोलने की व्यवस्था की है और यह व्यवस्था जो है अधिकतर आयुर्वेद औषधालय हैं वे गांवों में खुलेंगी और डिस्पेन्सिरियों का जहां तक सवाल है वे भी पहले साल से दुगुनी तहसीलों के हैड क्वार्टरों पर खोलेंगे। इस बात को आपको समझना चाहिये। इसके साथ-साथ जहां तक गांवों का सम्बन्ध है यह भी बता दूं कि हमने यह व्यवस्था की है कि जहां हम वैद्य नहीं भेज सके हैं, कुछ जगह ऐसी हैं इलाके के अन्दर, वे ऐसे इलाके हैं कि जहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं, डिस्पेन्सरियां नहीं हैं, वहां उस गांव में इस तरह से रखा है कि उस जगह बैठकर कोई आदमी अपनी प्रेक्टिस करेगा, कोई वैद्य उस गांव में रहना मन्जूर कर लेगा तो उसको राजस्थान सरकार ५० रुपया तक की एड देगी और इस तरह के हमने ४२ गांव राजस्थान में चुने। इन ४२ गांवों में वैद्य बैठ जायेंगे और उनको ५० रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। इससे भी बाहर के गावों को राहत मिलेगी। आगे भी हम इस प्रकार से यही सोचकर चलते हैं कि हमें जितने वैद्य मिल सकेंगे हम उनको स्थान देने की कोशिश करेंगे और जो गांव बच रहेंगे, उनमें इस तरह से वैद्यों को एड देकर बिठाने की व्यवस्था करेंगे। कुल मिलाकर हम इस तरह से चल रहे हैं कि अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी लोगों को इस तरह मदद दे सकें और उनकी शिकायतों को रफा कर सकें।

जहां तक अस्पताल की दवाइयों का संबन्ध है, स्टाफ का सम्बन्ध है, दवाइयों की बिक्री का सम्बन्ध है, इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले साल इस बात की शिकायत रही थी उसके कारण भी आप लोगों के सामने रख दिये थे कि ए. जी. और डिपार्टमेन्ट के बीच में कुछ दवाइयां खरीदने के जो नियम थे, झगड़ा था, उसकी वजह से तय नहीं हो पाया था। इस वजह से दवाइयां देरी से ली गईं और उसके बाद दवाइयां ठीक वक्त पर नहीं पहुंचने के लिए कुछ सदस्य महोदयों ने कहा, वह कमी भी आई है, लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि उस कमी से संतोष नहीं करना है। हमें और ज्यादा व्यवस्था करनी है और उस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाना है। इस वक्त हमारे अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जयपुर में जो अस्पताल है उसको छोड़ दीजिये। उसको खासतौर से अलग रखा है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्टस के नीचे हॉस्पिटल्स हैं उन सब में विजिटर्स कमेटियां बना दी गई हैं। वे हॉस्पिटल्स में जाकर देखती हैं कि कहां क्या खामी है और सरकार को सुझाव दे सकती हैं कि यहां इस तरह की खामियां हैं ताकि सरकार को समय-समय पर वहां की व्यवस्था के बारे में मालूम हो जाय। विजिटर्स(डॉक्टर श्री मंगलसिंह पदासीन) कमेटियां बनाई हैं, उनके साथ साथ परामर्श देने वाली समितियां भी बनाई गई हैं जिनमें डॉक्टर, म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन, तहसील पंचायत के सरपंच, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन, दो एम० एल० ए० और २ आदमी सार्वजनिक काम करने वाले उसके सदस्य हैं। इस तरह की कमेटियां बनाने का आदेश दिया गया है। आज के दिन इस तरह की व्यवस्था है। जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके लिये दो तरह की कमेटियां काम करती हैं। तो वह जो डाक्टर के साथ बैठकर सलाह देती है कि इस तरह से काम करना चाहिये, व्यवस्था करनी चाहिये और दूसरी इस तरह की कमेटी है जो यह देखती है कि क्या क्या काम हुआ है और उसमें क्या क्या खामी है। इससे आपको पता चलेगा कि राज-

[श्री कुम्भाराम आर्य]

राजस्थान सरकार कार्यकर्ताओं से, जनता के प्रतिनिधियों से और इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोगों से सहयोग लेना चाहती है। हमारा सेवा का डिपार्टमेन्ट है, इसमें आपसे हम अधिक से अधिक सहयोग चाहते हैं। जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दवाइयां जो मुफ्त में दी जाती हैं उस सम्बन्ध में यह आदेश दिया गया है कि हर अस्पताल में एक चार्ट लगा हुआ रहे, जिसमें लिखा हुआ हो कि ये ये दवाइयां फ्री दी जायेंगी। उनको देने में डॉक्टर ना नहीं करेंगे। यदि कोई डॉक्टर ना करेंगे तो उनके लिये २ कमेटियां–विजिटर्स कमेटी और परामर्श कमेटी हैं वे देखेंगी लोगों को कि जो दवाई फ्री मिलनी चाहिये, वह मिलती है या नहीं। यदि नहीं मिलती है तो यह डॉक्टर का काम है कि उनको मंगाकर समय पर देने की व्यवस्था करे। एक बात और है, वह यह कि कभी कभी नयी नयी दवाइयां फ्री देने की व्यवस्था नहीं भी हो पाती है। नयी नयी दवाइयां जो निकलती हैं उनके प्रति लोगों को आकर्षण होता है। खास बीमारी के लिए खास किस्म की नयी दवाई लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी दवाइयां बड़ी भारी कीमती होती हैं। इस प्रकार की कीमती दवाइयां अस्पतालों में मुफ्त नहीं दी जाती हैं और मरीज़ उन्हीं दवाइयों को मुफ्त में चाहता है। जब मुफ्त नहीं दी जाती हैं तो शिकायत होती है। जिस बीमारी के लिये जो दवा चाहिये और वह लिस्ट में नहीं है तो डॉक्टर को रुक्का लिखना पड़ता है और उस वजह से बीमार के दिल में असर आता है कि हमको दवाइयां मुफ्त नहीं दी जाती हैं। इसलिये हमने अस्पतालों में एक एक चार्ट लगा दिया है ताकि बीमार समझ सके कि अस्पताल में ये ये दवाइयां मुफ्त मिलेंगी और उनके लिए ही मांग करनी चाहिये। यदि उनके अलावा दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो उनको डॉक्टर से रुक्का लेकर बाजार से खरीदना चाहिये। इसमें भी शक किया जाता है कि डॉक्टर दूकानदारों से मिले रहते हैं और उसी दुकानदार के पास रुक्का भेजते हैं जिससे मेल-जोल होता है और इस तरह का करप्शन चलता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज तक आम तौर से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। व्यक्तिगत तौर से किसी की शिकायत आई तो उसकी जांच कराई गई और वह सही नहीं निकली। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस व्यवस्था को किस तरह से बदला जा सकता है और यदि हो सका तो हम इस व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न करेंगे। मुझे आशा है कि आप इसमें योग देने की कृपा करेंगे।

टी० बी० के बारे में एक सदस्य महोदय ने शिकायत की कि टी० बी० में रकम पहले से कम कर दी गई है। मैं हाउस के सामने उदाहरण रख कर निवेदन करना चाहूंगा कि कोई रकम पिछले साल से कम नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में बजट के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

५३-५४	५४-५५	५४-५५ (रिवाइज्ड)	५५-५६
२,५८,४६७	३,३५,७२६	३,४६,५६०	३,८४,११०

ये आंकड़े बजट के पेज नं० १४४ पर दिखाये गये हैं। जितना भी मेडिकल का बजट है उसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि इस बजट में हमने जान-बूझ कर कमी की है, इसलिये कि हम लोग इस कार्य में योग देना नहीं चाहते हैं। आपको इस तरह की बात नहीं मिलेगी।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

आयुर्वेद के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि आयुर्वेद की रकम बजट में दिखाई नहीं गई है। यह रकम बजट के पेज १३७ पर दर्ज है। इसमें १ लाख २० हजार रुपये रखे गए हैं। इसमें भी हम पिछले साल से दुगुने औषधालय खोलेंगे।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जितना भी ध्यान दिया जाता है—वह सब शहरों की तरफ दिया जाता है, गांवों की तरफ नहीं दिया जाता; सरकार को शहर पर ही डिपेन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट देने वाले गांवों में भी रहते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कहने को तो कुछ भी कहा जाय, लेकिन पिछले साल जितनी भी आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ या औषधालय खुले हैं वे गांवों में खुले हैं और गांवों में रहने वाले वैद्यों को ५० रु० माहवार तक की एड भी दे सकते हैं। करीब करीब सभी डिस्पेन्सरीज़ गांवों व देहात में ही खोली गई हैं। शहरों में एक भी औषधालय और एड मन्जूर नहीं की गई है। गांवों का इस तरह से ख्याल रखा जाता है फिर भी यह कहना कि गांवों का ध्यान नहीं रखा जाता है, यह उचित नहीं है।

एक बात सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के लिए भी कही गई है कि वहां पर बीमार बहुत से आते हैं और उन बीमारों से मिलने के लिये जाने वालों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उन बीमारों तक आसानी से पहुंचा जा सके; हॉस्पिटल बड़ा है और वहां जाने में ५-५ या १०-१० दिन लग जाते हैं।

श्री **मानसिंह महार**—पांच-पांच या दस-दस दिन के बारे में नहीं कहा गया है, यह कहा गया है कि बीमारों को ढूंढने में दो-दो घण्टे लग जाते हैं। मिलने जाने वालों को कोई गाइड नहीं करता कि फलां कमरे में फलां बीमार है।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—(भाषण जारी रखते हुए) गाइड के लिये इस तरह की व्यवस्था है कि इन्क्वायरी से पूछ सकते हैं। लेकिन बाहर गांव के लोग इन्क्वायरी तक जाने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचा जायगा। ड्युअल एरेन्जमेन्ट की बात भी कही गई। इस बारे में भी ऐसी बात नहीं है। जिस डॉक्टर का नाम लेकर कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं और सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम दूसरे डॉक्टर करते हैं; जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते थे, वे अब नहीं करते हैं। मांगीलाल जी के हटने के बाद इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जो डॉक्टर काम करते हैं वे सुपरिन्टेन्डेन्ट की मदद से करते हैं न कि उनके ऊपर। आपके दिमाग में यह बात न मालूम कैसे आ गई या किसी के कहने से आई है तो अब सुधार कर लीजिये। वहां दोहरी व्यवस्था नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिन्टेन्डेन्ट अलग-अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिये एक डॉक्टर दिया गया है, जिनके बारे में आपकी राय है कि वे राजाओं के पास रहे हुए हैं इसलिए उनका दिमाग ठीक नहीं है, आम जनता के साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं है। हमें वे मिलेंगे तो उनसे कहूंगा कि वे राजाओं के जैसा दिमाग नहीं रखें। वे अपनी वाणी में कोमलता ले आवें तो ठीक है, जिस तरह की कि लोग उनमें इच्छा रखते हैं।

दूसरी बात जो हॉस्पिटल के बारे में कही गई वह बहुत छोटी है। पानी की व्यवस्था ठीक

[श्री कुम्भाराम आर्य]

नहीं है उसके बारे कहा गया, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जितना बन सकेगा हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे जिससे बीमारों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस बारे में आप भी कुछ योग दे सकते हैं। एक बात यह भी कही गई कि अच्छे डॉक्टर अधिकतर शहरों में रहते हैं; उनके पास देहाती लोग जाते हैं, उनका सहानुभूति के साथ इलाज नहीं करते हैं, जितना कि करना चाहिये। ऐसा माननीय सदस्य जो गांवों से चुनकर आये हैं, वे महसूस करते हैं। मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जो संस्था इस वक्त चल रही है, जिस हैसियत से चल रही है, उसके मुतल्लिक़ यह समझकर चलना चाहिये कि वह डॉक्टर उस स्थान की उपयोगिता के लिहाज से रखा जाता है। इसलिये हमारी संस्थाएं इस तरह से निर्माण हुई हैं और उस डॉक्टर को वहीं रखना जरूरी है। गांवों में गांवों की दृष्टि से व्यवस्था की जाती है और गांवों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले, इसका ध्यान रखा जाता है।

एक माननीय सदस्य की ओर से यह भी सुझाव आया कि चलते-फिरते औषधालय हों। इसको हमने वाजिब नहीं समझा और इसकी बजाय सर्जिकल कैम्प हमने लगाये हैं। एक मालपुरा केन्द्र में कैम्प चल रहा है। सीकर में हमारा कैम्प चला—वह सबसे अच्छा कामयाब रहा, कोटा में भी अच्छा कामयाब रहा। इनमें जितने बीमार आये, सब के सब बाहर के आये और कोई कैम्प ऐसा नहीं रहा कि जहां ५०० से कम बीमार आये हों, जो भी बीमार आये ठीक होकर गये।

तो इस तरह से कैम्प लगा कर सरकार ने बाहर वालों को रिलीफ पहुँचायी है, औषधालय खोले हैं और जहां औषधालय नहीं खुल सके हैं वहां पर आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए ५० रुपया एड देकर प्रबन्ध किया है और कई जगह नये अस्पताल खोले हैं।

एक सदस्य—भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के सर्जिकल कैम्प खोले हैं या केवल जयपुर तक ही सीमित रखा गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—भीलवाड़ा के आदमियों में जान हो तो वहां भी मिल सकता है। आप लोगों में जान नहीं हो और मांग नहीं करते हों तो हम क्या करें।

तो मैं निवेदन करूंगा कि शेरगढ़ में रेगिस्तान के रेत के टीबों से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि वहां कोई औषधालय नहीं खुलता। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि जहां खुलते हैं वे ही शिकायत करते हैं, तो इससे यह दिखता है कि माननीय सदस्य शायद यह समझते होंगे कि कट-मोशन पर जोर से बोल कर दबाव डालेंगे तो और औषधालय खुल जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि कट-मोशन पर जोर से बोल कर दबाव डालने से मैं कोई औषधालय नहीं खोलने वाला हूं। औषधालय खोले जायेंगे जहां खोलना आवश्यक होगा, जरूरी होगा और जहां के लिये मांग की जायगी। पिछले साल बहुत जगहों से मांग आई थी, उनमें से बहुत सी जगहों पर खोले गये और जहां नहीं खुल सके हैं और जहां खोलने जरूरी हैं वहां इस साल खोलेंगे।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अपने मित्रों को राजी रखने के लिये जहां वे लोग कहते हैं वहां औषधालय और अस्पताल खोलते हैं और हमारी वाजिब मांगें भी पूरी नहीं की जातीं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो यह खास चार्ज है कि मैं लोगों को राजी नहीं रख सकता, मेरे मित्र लोग और दूसरे लोग मुझ से नाराज ही रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता और हो भी तो कैसे, राजस्थान की सीमा इतनी बड़ी है, इतना फैला हुआ क्षेत्र है कि सब को राजी नहीं किया जा सकता। जितना हमसे बनता है उतनी मदद जहां आवश्यकता होती है वहां देते हैं।

किसी सदस्य ने मांग की हो और हमने ठुकराई हो तो कहने का हक हो सकता है। इसके बिना यों ही कहना, इसके लिये तो हो सकता है कि उनको कोई और बात से नाराजगी हो। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि हमने यह कभी ध्यान नहीं रखा कि मित्रों को खुश रखें, हमारे मित्रों की तो यह शिकायत है कि जितना काम होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है और न कोई अमृतलाल जी को राजी रखने की बात की, वे तो बेचारे कभी नाराज ही नहीं होते।

श्री **श्रीदास गोयल**—सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बारे में जो कहा गया, उसके बारे में और डॉक्टरों के बारे फरमा दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं बैठा थोड़े ही हूं, बोल ही रहा हूं। बीमारों के भोजन की व्यवस्था के बारे में मैं बताऊंगा कि इस व्यवस्था को हम राजस्थान में सब जगह एक कर देंगे और सुधार कर बदल देंगे।

डॉक्टरों के बारे में जो कहा गया, उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि दो तरह के डॉक्टर हैं—एक पार्टीशन के बाद उस साइड से आये वे डॉक्टर और दूसरे युद्ध के बाद यहां आये। उस साइड से जो डॉक्टर आये, वह एक ऑल इण्डिया पॉलिसी है, उसी के माफिक काम करेंगे। जहां तक युद्ध से रिटायर हुए डॉक्टरों का प्रश्न है, उनके बारे में जैसे आदेश आये हुए हैं उन्हीं के मुताबिक बर्ताव करते हैं। जो पूरा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है, तो उसको देखा जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि विभागीय ऑफिस से जानकारी कर लें और कोई डॉक्टर हो, जिसको जितना मिलना चाहिये, उतना नहीं मिलता है तो उसका केस लाइये।

एक किशनगढ़ में रेफ्रिजिरेटर का सवाल है, उसके लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये अगली गर्मी नहीं जाने देंगे और शीघ्र ही व्यवस्था कर दी जायगी। कुत्ता काट जाय तो पागल नहीं होगा। पिछली बार शिकायत आई थी कि किशनगढ़ में कुत्ता काट खाता है तो अजमेर जाना पड़ता है। हम तो यह समझते थे कि अजमेर एक अच्छी जगह है, तो वहां जाना माननीय सदस्य नहीं चाहते तो वहीं सब इन्तजाम कर दिया है। किसी को कुत्ता काटे और उससे आदमी खतरे में पड़े, ऐसा नहीं होने दिया जायगा।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

गांवों में अस्पताल और औषधालय खोलने के बारे जो कहा गया, इसके लिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस साल जितने औषधालय और अस्पताल खोले जा रहे हैं, वे सब गावों में खोले जा रहे हैं, इससे आपको सन्तोष होगा कि शहरों के बजाय गांवों की तरफ अधिक देखा जा रहा है।

यज्ञनारायण अस्पताल के लिये १४,००० रुपया इस साल दे चुके हैं जब कि सारे राजस्थान में ८०,००० रुपया दिया गया है। आगे भी किशनगढ़ का ख्याल रखते हैं, तो ऐसी हालत में माननीय सदस्य को देखना चाहिये कि उनका काम बहुत तेजी से हो रहा है। बिना छत का मकान दिया गया था तो ऐसी सूरत में दूसरे जिलों के अस्पतालों से उसको अच्छा बनावें, इसमें समय लगेगा; जब कि कई इलाके ऐसे हैं, जहां इस तरह का भी प्रबन्ध नहीं है।

श्री **चान्दमल मेहता**—यह जनता के पैसों से बना हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—केवल दीवारें ही दीवारें जनता के पैसों से बनी हैं और छत वगैरह सरकार के पैसों की है।

श्री **मानसिंह महार**—आयुर्वेदिक औषधालय के डाइरेक्टर की नियुक्ति कब तक होगी? इस मामले में देर हो तो नित्यानन्दजी को ही डाइरेक्टर बना दिया जाय।

श्री **कुम्भाराम आर्य**— सदस्य महोदय को मालूम होना चाहिये कि इसके लिये प्रयत्न जारी हैं और हमारी यह इच्छा है कि ऐसा डाइरेक्टर राजस्थान को दिया जाय कि जैसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिले। पी. एस. सी. को लिख रखा है और उम्मीद है कि कोई विशेषज्ञ आदमी इस बारे में मिल सके। यही वजह है कि अभी तक किसी को डाइरेक्टर के पद पर नहीं रख सके और किसी वजह से नहीं, यही वजह है कि राजस्थान में आयुर्वेद का सबसे अच्छा विशेषज्ञ डाइरेक्टर रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक आयुर्वेद के बारे में हमारे यहां ज्यादा शिकायत रही है कि काम नहीं हो रहा है। इस बात की हमने बहुत निगरानी रखी है और इसीलिये हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से डाइरेक्टर के लिये मांग करते वक्त खास तौर से कहा है कि हमें ऐसा आदमी चाहिये जो बहुत केपेबल हो। मैं हाउस की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस बात के लिये बहुत कोन है कि राजस्थान में ऐसा आदमी आये जो हिन्दुस्तान में नाम निकाले। (हर्षध्वनि) मैं समझता हूं कि आप लोग जितने इससे चिन्तित हैं, उससे ज्यादा हम चिन्तित हैं और डाइरेक्टर को लाने की कोशिश में हैं।

एक माननीय सदस्य जो सवाई माधोपुर से आये हैं उन्होंने अपने भाषण में दूसरे शब्दों के साथ मुबनी शब्द भी कहा। अगर वह शब्द उनके दिमाग में हो तो वे मुझे वापिस समझा दें कि मुबनी का क्या अर्थ होता है, मैं उसका भी उत्तर दे दूं।

श्री **श्रीदास गोयल**— मुबनी का मतलब है-बेसड ओन. यह उर्दू शब्द है।

श्री **कुम्भाराम आर्य**— यह उर्दू शब्द नहीं है, अरबी का हो सकता है या फारसी का हो सकता है। उर्दू तो थोड़ी सी मैं भी जानता हूं।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

मैं समझता हूं कि जो जो सदस्य कट-मोशन पर बोले हैं, उनको उत्तर मिल गया है और अगर किसी को शक रह गया हो तो हम यहां आमने-सामने बैठे हैं, साफ कर लें।

श्री श्रीदास गोयल— डॉक्टरों की फीस के मुतल्लिक क्या किया ?

श्री कुम्भाराम आर्य— इसके मुतल्लिक विचार कर रहे हैं।

श्री तेजमल बापना— माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्री के भाषण सुनने और आश्वासन के पश्चात् मुझे आशा है कि भीलवाड़े के लिये तो वे उचित प्रबन्ध करेंगे ही; मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री भोपालसिंह— माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया उसके बारे में मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। आपने कहा कि चार्ट पर दवाइयां होंगी। इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि अनपढ़ गरीब ग्रामीण जनता चार्ट को देखकर यह पता नहीं लगा सकेगी कि कौन सी दवाइयां हैं और कौन सी नहीं हैं।......

श्री कुम्भाराम आर्य— इसके लिये दो कमेटियां बनाई गई हैं।

श्री भोपालसिंह— कमेटी हर वक्त वहां नहीं रहती।

श्री कुम्भाराम आर्य— एक तो महीने में दो बार और दूसरी.........

श्री भोपालसिंह— वहां पर इन्तजाम की कमी है। जब तक स्टॉक में दवाइयां रहती हैं, तब तक उसी से इलाज करें और बाहर से कोई दवाई नहीं मंगवाई जावे। मौजूदा समय में ऐसा होता है कि हर एक आदमी को जो दवाई लेने जाता है, डॉक्टर फौरन बाजार से दवाई ले आओ, लिख देता है। दूकानदार से उनका कमीशन तय किया हुआ रहता है। आप कहते हैं कि जांच से कोई साबित नहीं हुआ। आप सोचिये कि अगर कमीशन नहीं हो तो इतनी दूकानें नहीं होतीं, बगैर कमीशन के कोई दूकान का काम नहीं चल सकता। कमीशन होता है वहां से दवाई लिख दी जाती है और वह दवाई उसी दूकान पर मिलती है। इसलिये माननीय मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका इन्तजाम करें कि डॉक्टर, जहां तक हो सके, उनके पास जो दवाइयां हों उनसे ही मरीजों का इलाज करें। अगर किसी को इलाज कराना हो और यह कहे कि आप बाजार की दवाई बतला दें तो लिख दें, वरना नहीं। अगर सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं दी जाती है तो सरकारी हॉस्पिटलों से कोई फायदा जनता को नहीं हो सकता और मैं ऐसी हालत में इसको वापिस लेने के लिये कतई तैयार नहीं हूं। आपने यह नहीं बताया कि डॉक्टर हैड क्वार्टर पर होने चाहिये। उनके लिये Quarters अगले साल में बनाये जावेंगे या इसी साल ५५–५६ में बनाये जावेंगे या ५६–५७ में।

श्री कुम्भाराम आर्य—इस साल बढ़ाये जावेंगे।

श्री भोपालसिंह– मेड़ता और डेगाना दो तहसीलें हैं, उनमें जच्चाखाना नहीं है । उसके लिये आपने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा यह कहना था कि यहां पर एक एक दाई जरूर होनी चाहिये, इसके लिये क्या इन्तजाम किया ? अगर इसके लिए भी कोई जवाब मिलता तो मैं इसको वापिस लेने के लिये तैयार हूं ।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब देता और प्रबन्ध करता, मगर माननीय सदस्य ने औरतों को पढ़ाया-लिखाया नहीं । इसके अलावा कोई भी यह नहीं चाहेगा कि अपनी लड़की को दाई बनाया जावे और मेरे घर में इतनी लड़कियां हैं नहीं कि सबको दाइयां दे दूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप सब को दाइयां दे दें ।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप लोग इस कार्य में हमें अधिक योग देंगे तो जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जा सकेगा ।

एक माननीय सदस्य—हमारा तो सहयोग राय देने का है ।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय,......

श्री कुम्भाराम आर्य—मुझे आपकी बात याद आ गई । मैं उस पर कुछ कह दूं, फिर आप बोलें ।

श्री तनसिंह—इस समय मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब तक मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर दूं आप नहीं बोल सकते । अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मन्त्रीजी इस बात पर राजी होते हैं कि जितने भी कटौती के प्रस्ताव हैं वापिस ले लिये जावें तो मैं बेशक उनको राजी करूंगा और मैं राजी करना जानता हूं । किन्तु मन्त्रीजी ने अभी कहा कि जो लोग नाराज होते हैं, वे कभी राजी हो नहीं सकते । उन्होंने कहा कि कोई हमें आ कर कहते नहीं, अगर कोई कहता तो हम उनकी शिकायत को रफा करते हैं । मैं यह कहूंगा कि हमको पब्लिक ने एक ऐसे स्थान पर चुन कर भेजा है जहां हम उनकी तकलीफों का वर्णन करें । यह नहीं कि हम अपना पुराना रास्ता अख्तियार करें । मैं नहीं जानता कि इस सदन से अच्छी कोई जगह हो सकती है, जहां शिकायत की जा सके । माननीय मन्त्रीजी इस आशय को प्रकट करते हों कि दफ्तर में कही जावें या ऐसी जगह कही जावें जो ज्यादा सुविधाजनक हो, तो सुविधा और फायदे की बात अलग होती है । इसलिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रख कर यह प्रकट किया कि माननीय मन्त्री महोदय कुछ इस पर अवश्य ही जवाब देंगे । यह एक साधारण बात थी जो माननीय मन्त्री महोदय को याद नहीं रही और वे अभी अभी इस पर कहने को खड़े हुए । हो सकता है कि यह याद नहीं रही हो । याद नहीं रहे, उसकी भी वजह हो सकती है ।

[श्री तनसिंह]

हो सकता है कि माननीय मन्त्री महोदय के ये छोटी-छोटी और नीचे की बातें ध्यान में न रहें; साधारण कटौती के प्रस्ताव आते हैं और चले जाते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जितनी परवाह वे करते हैं उतनी ही उनकी हम भी परवाह करते हैं। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव का उन्होंने जब जवाब ही नहीं दिया तो मैं उसका प्रत्युत्तर देता ही क्या। फिर भी माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर को परिस्थिति से निरपेक्ष होकर भी मैं सदन से चाहूंगा कि मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री कुंभाराम आर्य—माननीय चेयरमेन, मैं सदस्य महोदय को जवाब देना चाहूंगा कि नेरू की जो बीमारी है वह जितनी उनको परेशान करती है उतनी हमको नहीं करती है। उन्होंने कहा कि यदि यह बीमारी किसी को लग जाती है तो अंग-भंग होने का खतरा रहता है; उसका जोर राजस्थान में है, वह इसलिये कि हम लोगों को पीने के लिए पानी अच्छा नहीं मिलता। इसकी वजह खास कर यह है कि जब बरसात होती है, किसान लोग पानी पीते हैं और उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जहां तक हो सके, जल्दी से जल्दी कुओं की व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि तालाबों का पानी उनको न पीना पड़े और अभी जल-बोर्ड की बात भी हाउस के सामने आई थी। हम यह चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था कुओं के रूप में बना दी जाय।

इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जो हकीम रखे हैं वे कम हैं और ज्यादा हकीम रखे जाते तो इस बीमारी की रोक-थाम होती। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि रोक-थाम इस तरह से नहीं होती। इलाज इस तरह होता है कि यह बीमारी किसी को हो ही नहीं। अगर होती है तो क्यों? बीमारी का न होने देना ही असली बात है। हम सब से ज्यादा शक्ति और धन इस बात में खर्च कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर इस बीमारी का नामो-निशान न रहे और इसी लिए पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपया रखा गया है। हालांकि कम रुपया खर्च हुआ है और बाकी का रुपया इस साल में हम खर्च कर देना चाहते हैं। वाटर-बोर्ड की स्कीम आप श्रीमानों के समक्ष आई है। मैं समझता हूं कि आपको संतोष होगा कि राजस्थान सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए प्राणपण से लगी हुई है। हकीम को और जो उसके साथ लोग रहते हैं उनको इजाजत क्यों न दी जाय, यह कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। आज इस वैज्ञानिक युग में जो यह कह दे कि मैं इस काम में माहिर हूं उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाय या उसको नौकर रख लिया जाय, यह उचित नहीं होगा। नेरू की बीमारी के लिए डॉक्टर्स हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां इसके माहिर न हों और इस को निकालने वाला न हो। हमारे हरिजन भाई इसके माहिर होते हैं और रांगटी वे अपने साथ रखते हैं। वे चमड़ी को थोड़ी हटाकर नेरू को निकाल लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नेरू निकाला न जाता हो। राज्य की तरफ से आदमी रखकर गांव-गांव में फिराया जाय, यह उचित नहीं प्रतीत होता जितना कि तालाबों के पानी को न पीने की व्यवस्था की जाय। मैं सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की व्यवस्था में योग दें। हम तो इसके लिए प्रयत्नशील हैं ही, सदस्य महोदय भी प्रयत्नशील हों।

श्री चांदमल मेहता––माननीय चेयरमेन, मेरे इस डिमान्ड पर ६ कटौती के प्रस्ताव थे जिनमें से मैंने पांच मूव किये थे। माननीय मंत्री महोदय बोलने की कला में बहुत प्रवीण हैं। जिस ढंग से उन्होने जवाब दिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस ले लूं। लेकिन फिर भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

रेफ्रिजिरेटर के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि रेफ्रिजिरेटर की मांग नहीं थी। दूसरे एपरेटस के लिए लोगों की मांग थी। रेफ्रिजिरेटर की बात कह कर दूसरी चीजों के लिए बात कही और यह बता दिया कि अगली गर्मी नहीं आने देंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगली गर्मी आने से पहले इसका इन्तजाम हो जायगा, अभी मुझमें गर्मी आ रही है क्योंकि पिछले सेशन में माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि यह व्यवस्था कर दी जायगी। अतः उस आश्वासन को पूरा न करके यह जवाब दिया जा रहा है कि अगली गर्मी न आने देंगे। पिछले आश्वासन के अनुसार तो इस वर्ष तक यह व्यवस्था हो जानी चाहिये थी, जब कि अब की बार यह कहा जा रहा है कि अगली गर्मी न आने देंगे। मैं और निवेदन करूंगा कि यह बात अब केवल रेफ्रिजिरेटर के लिए ही न हो, किन्तु दूसरे औजार जो आवश्यक हैं और जिनको उदयपुर वाले हटा कर ले गये थे और जयपुर वाले भी हटाना चाहते थे किन्तु हमने उनको रोका और फिर चुपके से उठाकर ले गये, उनको इस वर्ष भेज देने की कृपा करें।

दूसरे कटौती के प्रस्ताव के विषय में बड़ी तरकीब से कहा गया है और यदि मैं ध्यानपूर्वक नहीं सुनता तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती और मैं विद्ड्रॉ कर लेता।

उन्होंने जावला से स्थानान्तरित किये गये औषधालय की चर्चा करते हुए कहा कि इसकी जांच करवा लेंगे और जांच करवाने के बाद करेंगे क्या? यदि आठ मील में औषधालय नहीं हुआ तो खोल देंगे। मैं अर्ज करूं कि जावला से स्थानान्तरित किया हुआ औषधालय ५ मील की दूरी पर स्थित है। आवश्यकता इस बात की है कि यदि जांच से यह पाया जावे कि जावला ग्राम का औषधालय बंद करने के कारण गलत हैं तो या तो वहां नया औषधालय खोला जावे या हरसोर का औषधालय जो जावला से स्थानान्तरित किया गया है, वापिस जावला भेजा जावे।

द्वितीय विश्वयुद्ध में जो डॉक्टर्स गये थे उनकी सर्विसेज़ को काउन्ट करने के सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उसमें २३ डॉक्टर आते रहते हैं और केवल एक डॉक्टर का ही प्रश्न नहीं है। एक डॉक्टर का नाम लेकर वे करना चाहते हैं, वह सब डॉक्टरों के लिए किया जा सकता है। जिस मामले को कभी का फैसला कर देना चाहिये था, जिस मामले को सारी प्रोविन्शियल सरकारों ने कभी का तय कर दिया, रेलवे ने भी कर दिया, ये मामले यहां, जब कि यह कहा जाता है कि विचाराधीन हैं, दो-तीन महीने में कर देंगे, काफी अर्से से पड़े हुए हैं और इनको काफी अर्सा निकल चुका है; सब डॉक्टरों का मसला है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिनका मसला तय नहीं हुआ है वे भी शामिल हो जावेंगे और उनका फैसला सरकार जल्दी से जल्दी कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं मेरे सारे कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो हमारे कट-मोशन्स के ऊपर उत्तर फरमाया है उस से कम से कम मुझे तो संतोष नहीं मिला है। मैंने जितने मुद्दे उठाये उनका एक का भी या तो उत्तर नहीं मिला और जो उत्तर मिला है वह संतोषजनक नही।

मैंने डिस्पेन्सरीज़ गांवों में खोलने के वास्ते और ज्यादा डिज़र्विंग प्लेसेज़ में खोलने के वास्ते निवेदन किया था, उसके उत्तर में, मैं यह मानूं कि माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया कि कुछ एड करके काम चलाने की व्यवस्था कर दी है। मैंने जिस क्षेत्र का जिक्र किया वहां तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। उन्होंने फरमाया कि ७, ८ मील के रेडियस में कई डिस्पेन्सरीज़ खोली हैं। मैं यह निवेदन करूं कि ऐसे कई गांव हैं जो १०, १२, १५ मील की दूरी पर हैं और जहां कोई औषधालय नहीं हैं। मैंने एक यह मुद्दा भी उठाया था कि क्या पचास हजार मनुष्यों की चिकित्सा एक फिज़िशियन कर सकता है और माननीय चेयरमेन मैंने विशेष रूप से संबोधित करते हुए यह कहा था कि क्या आप इसको उचित समझते हैं कि पचास हजार मनुष्यों की चिकित्सा एक फिजिशियन सफलतापूर्वक कर सकता है। माननीय मंत्रीजी ने कुछ नहीं फरमाया कि फन्ड प्रोवाइड कर सकते हैं।

मैंने निवेदन किया कि इससे नेशनल लोस इस कदर हो रहा है, जबकि फसल का समय होता है; यह मलेरिया प्रवाह को तरह फैल जाता है, जिससे हजारों की संख्या में किसान बीमार पड़ जाते हैं, अपनी खेती पर निगरानी नहीं रख पाते हैं, इस तरह से हजारों मन अनाज की कमी हो जाती है। मंत्रीजी को चाहिये कि उन इलाकों में एक फिजिशियन ज्यादा बढ़ावें, तभी मुझे सन्तोष होगा।

कमेटियों के वास्ते भी माननीय मंत्री द्वारा कहा गया कि इसमें विशेष-विशेष व्यक्तियों को लिया गया है और विधान सभा के मेम्बर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है; किन्तु इस सम्बन्धी सूचना तो मेरे पास नहीं आई है कि मैं भी किसी कमेटी का सदस्य हूं। इसलिये ऐसी कमेटी जरूर होनी चाहिये जो इसकी देख-रेख करे और भविष्य में सुझाव दे। इस वास्ते मुझे वाकफियत नहीं है। यह भी एक कारण है मेरे कट-मोशन को वापिस नही लेने का।

माननीय मन्त्रीजी ने यह भी कहा कि हम हर हॉस्पिटल पर यह लिस्ट बना कर लटका देंगे कि ये ये दवाइयां आपको यहां मिलेंगी, इनके अलावा आपको लानी होंगी। क्या कल्याणकारी राज्य कहने वालों के लिए यह बात शोभा देती है कि दवाइयों की कीमत गरीब आदमियों से ली जाय। इससे तो अच्छा यही होता कि माननीय मन्त्री महोदय यही कह देते कि यह न तो वेलफेयर स्टेट है और न कल्याणकारी राज्य ही। तो इससे हमें संतोष हो जाता। इतनी लम्बी बातें न करते हुए माननीय मन्त्रीजी को यही कह देना ज्यादा अच्छा रहता कि यहां गरीब किसानों की चिकित्सा का मुफ्त में इन्तजाम नहीं है, उन्हें चाहिये कि वे अपने भाग्य पर ही निर्भर रहें। एक तरफ तो आप सब को समान अवसर इक्वीटी, जस्टिस और लिबरटी और वेलफेयर होने की बात का दावा रखते हैं तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि गरीब किसानों के लिये भी समान अवसर देना चाहिये। यदि आप नहीं दे सकते तो उनको अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिये। ये जो बातें कही गई हैं उससे मुझे संतोष नहीं होता। अतः मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि अपने कट-मोशन को वापिस लूं।

श्री कस्तूरचन्द--माननीय चेयरमेन, इस बारे में जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया था

[श्री कस्तूरचंद]

उसके बारे में माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने शाहपुरा के जनाने अस्पताल के लिए स्टाफ पहुंचने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री कुम्भाराम आर्य—वहां स्टाफ पहुंच गया है।

श्री कस्तूरचन्द—चेयरमेन साहब, इसके अलावा मेरे कटौती का प्रस्ताव रखने की यह मंशा थी कि भीलवाड़ा के अन्दर टी. बी. के टीके लगाने का केन्द्र है। देहातों में उसको रखने के लिए अर्ज किया था। इसके बारे में माननीय मन्त्री ने कुछ निवेदन नहीं किया। इस बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि देहात में यह बीमारी फैलती जा रही है। माननीय मन्त्री यह चाहते भी होंगे कि कि उसका फायदा किसानों को मिले, मगर इसके बारे में कुछ भी माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं फरमाया।

एक तहसील कोटड़ा के अन्दर एक डिस्पेन्सरी है। वहां सिर्फ एक कम्पाउन्डर ही है। न वहां डॉक्टर है, न नर्स और न दाई का ही इन्तजाम है। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय की तरफ से कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। इतना निवेदन कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति (डा० श्री मंगलसिंह)—श्री भोपालसिंहजी ने इस मांग के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वे उसे वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भोपालसिंह—मैं अपता कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री तनसिंहजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको वह प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं,

श्री सभापति—श्री खेतसिंहजी ने इस मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, चूंकि वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, अतः उसको वोट के लिए रखा जाता है। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

उनका कटौती का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

श्री तेजमलजी बापना ने जो इस मांग पर कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहते हैं। क्या उनको वापिस लेने को आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)
आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजमल बापना—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री **सभापति**—श्री कस्तूरचन्द अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है कि उनको कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)
आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कस्तूरचंद—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चेयरमेन—श्री चांदमलजी ने इस मांग पर जितने भी कट-मोशन्स रखे हैं वे उनको वापिस लेने की इजाजत चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है कि उनको वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)
आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपने सब कटौती के प्रस्ताव, जो इस मांग पर रखे हैं, वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री शम्भूसिंहजी का जो कटौती का प्रस्ताव है, जिसके वापिस लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की है...

श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं अपने कट-मोशन को वापिस नहीं लेता, किन्तु मैं माननीय मन्त्री को अपनी बातों पर पुनर्विचार करने का अवसर देना चाहता हूं। उनको पुनर्विचार का अवसर देने के साथ-साथ मैंने भी अपने निश्चय पर पुनर्विचार किया है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि अपने कट-मोशन को सदन से वापिस लेने की अनुमति के लिये प्रार्थना करूं। मेरी सदन से प्रार्थना है कि वह मुझे अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करे।

श्री सभापति—श्री शम्भूसिंहजी ने अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया तो उन्होंने महसूस किया कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। क्या सदन की इच्छा है कि उनको कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)
आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शम्भूसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति (डा० श्री मंगलसिंह)—श्री हरिकृष्ण व्यास ने भी एक कटौती प्रस्ताव रक्खा था, पर उन्होंने उसे मूव ही नहीं किया। इसलिए इसको विचार में नहीं लिया गया।

इसके बाद यह डिमान्ड नम्बर १७ जो रखी गई है उसकी स्वीकृति के लिए हाउस की अनुमति ली जाती है।

क्या सदन को यह स्वीकृत है ?

(स्वीकृत)

मांग नम्बर १७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १८–जन स्वास्थ्य

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिए मांग संख्या १८, मेजर रोड ३६ जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को, १,१७,६२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति (डा० श्री मंगलसिंह)—यह डिमान्ड मूव की गई। श्री आपना।

(अनुपस्थित)

श्री चान्दमल मेहता।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय चेयरमेन, इस डिमान्ड पर मेरा कट-मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. XVIII, Major Head 39—Public Health be reduced by Rs. 100/-(to discuss the impropriety of the newly formed Water-Board')"

यह एक ऐसा विषय है जिस पर इस सदन में सबसे अधिक चर्चा हुई है और इस विषय पर सदन के सभी महारथियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं।

मैं भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट करके कुछ निश्चित आश्वासन मन्त्री महोदय की ओर से चाहने का उम्मीदवार हूं।

माननीय चेयरमेन, देहातों में पानी की समस्या हल करने के लिए भारत सरकार ने करीब एक करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को दिया था। यह एक करोड़ रुपया आज नहीं, कुछ साल पहले

[श्री चांदमल मेहता]

प्रदान किया गया था और इस रकम में से अभी बहुत सा खर्चा होना बाकी है, जो करीबन ७५-८० लाख रुपया बताया जाता है और इस सम्बन्ध में इसको खर्च करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया है, जिसमें कई प्रकार के आदमी हैं। इससे पहले, इस बोर्ड के निर्माण के पहले, एक डेवलपमेन्ट कमेटी थी, उसके नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटियां थीं और इस तरह का सिलसिला था और कुछ रुपया इसकी मार्फत पंचायतों में खर्च हुआ था।

मौजूदा बोर्ड को मैं चार हिस्सों में बांटता हूं; पहला सेन्ट्रल बोर्ड है; इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां हैं, इसके बाद में पंचायत ऑफिसर हैं और इसके बाद में पंचायतें या दूसरी कमेटियां हैं जिनकी मार्फत यह काम किया जाने वाला है; वे हैं।

चेयरमेन महोदय, किसी भी कमेटी, किसी भी बोर्ड के निर्माण के पहले आवश्यक क्या है, किस आधार को मानकर हम कमेटी या बोर्ड का निर्माण करने जा रहे हैं, पहले इस बात को देखना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि हम जनतन्त्र के आधार पर, चुनाव प्रणाली के आधार पर जनतन्त्र की भावनाओं की कद्र करके उसका निर्माण करें। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि हम निर्माण करने में इस बात को देखें कि जो हम निर्माण करने जा रहे हैं उसमें उस काम के विशेषज्ञ हों उनकी कमेटी बनावें, तीसरा यह हो सकता है कि इस तरह जनता के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ दोनों को सम्मिलित करके कमेटी बनावें। जहां तक कि इस कमेटी के जो सदस्य हैं उनका सम्बन्ध है वहां तक उनको देखने से यह पता चलता है कि जहां जनतान्त्रिक प्रणाली के आधार पर चुनाव कराके यह बोर्ड बना है, ऐसी कोई बात नहीं और जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इसमें विशेषज्ञ लिये गये हैं कि नहीं, तो इस बारे में भी मैं यही कहूंगा कि शायद इसमें विशेषज्ञों की भी कमी ही है।

हमें इन्तजाम करना है पानी का और वह भी देहाती क्षेत्र में। तो इसके लिए देहातों से विशेषज्ञ आदमी लेने के बजाय आदमी लेते हैं कलकत्ता से, जिनका कि अनुपात इस कमेटी में है १।३ का। हां, यदि शहरों में पानी का प्रबन्ध करना होता तो शायद हम समझ सकते थे कि इनकी कुछ उपयोगिता होगी। पर इन्तजाम करना है हमें देहातों के लिए और इसके लिए हमने रखे हैं वे आदमी जिन्होंने हमेशा हरा ही हरा देखा है, जहां नल के जरिये पानी ही पानी मिलता है और जिन व्यक्तियों को यह पता नहीं कि देहातों में पानी की क्या समस्या है। इनका बहुत बड़ा हिस्सा इस कमेटी में है। ये कैसे देहातों में पानी की व्यवस्था कर सकेंगे? दूसरी ओर हम यह देखें कि राजस्थान में किस किस हिस्से में पानी की कमी है?

तो जिस हिस्से में पानी की कमी है, उस हिस्से के लोगों को आप इस कमेटी में लें, ताकि वे वास्तव में सही राय आपको दे सकें, वाजिब रास्ता बता सकें, कन्ट्रोल रख सकें और पैसे का अधिक से अधिक सदुपयोग और डिस्ट्रिब्युशन इस तरह से हो सके। ऐसे आदमियों को लाने की सोचें तो जहां इन सेठों के अलावा दूसरे ऐसे लोगों को भी आप लाएंगे तो इससे बहुत अच्छा काम होगा।

[श्री चांदमल मेहता]

हो सकता है इस बोर्ड में कुछ एम. पी. हों और दूसरे असेम्बली के कुछ सदस्य भी हों। पर वे उन क्षेत्रों से आते हैं, जहां पानी की कमी नहीं है और यह बात जरूर है कि कुछ विधान-सभा के सदस्य ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, उनमें भी शायद यह सोचा जाता अगर कि कौन-कौन से क्षेत्रों में पानी की कमी है और विधान-सभाई सदस्य लिये जाते; पर एक ही डिस्ट्रिक्ट से एक के बजाय दो ले लिये गये। यहां भी खास तौर से सोचने की बात आ जाती है।

दूसरा यह है कि जो बात विशेषज्ञों की थी उसका प्रायः इसमें अभाव है। इसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है।

तो इन सारी चीजों के बाद मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में इस बोर्ड का गठन करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित आधार सरकार के सामने नहीं था। हो सकता है, कोई आधार आप बता दें और यह आधार बता दें कि इसमें बड़े-बड़े केपिटलिस्ट लेने में पैसे की आवश्यकता पड़ने पर उनके प्रयास से हम कुछ पैसा प्राप्त कर सकते थे; तो मैं निवेदन करूंगा कि यह सही है कि १।३ हिस्से का प्रबन्ध जनता से करना है। यदि ये पूंजीपति १।३ हिस्सा जहां जनता से प्राप्त न हो, वहां अपनी ओर से दें तो उनका स्वागत किया जा सकता है। उनका स्वागत है और यह सही है कि पैसे वालों ने हमारे राजस्थान में जहां-जहां पानी की कमी है, कुए खुदवाये हैं और दूसरे दूसरे साधन जुटवाये हैं, पर हमने यह बहुत कम देखा है कि उन्होंने अपना टाइम भी दिया हो। पैसा दे सकते हैं पर अपना अमूल्य टाइम किसी महत्वपूर्ण बात के बगैर वे कभी दे सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर पैसे का मामला होता तो अभी यह कहा गया है कि उनके प्रभाव से आ सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके मुकाबले में उन प्रतिनिधियों का, जो अपने-अपने क्षेत्र से चुनाव जीत कर आये हैं उनका अपने क्षेत्र में ज्यादा असर है, अगर उनका अपने क्षेत्र में ज्यादा असर नहीं होता तो वहां की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन कर नहीं भेजती और ऐसे असर वाले ये प्रतिनिधि ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं, इन दूसरे पैसे वालों से। ये इनसे ज्यादा उपयुक्त नहीं हो सकते, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यह मैं मान सकता हूं कि बाहर से चन्दा वगैरह लाने के लिए वे ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं।

तो अब हमारे सामने एक ही बात रहती है कि वह कौन-सी बात थी कि यह बड़े-बड़े सेठ अपना समय जल-बोर्ड में देने को उद्यत हुए हैं; तो मेरे दिमाग में एक शंका उपस्थित होती है। वह शंका यह उपस्थित होती है कि नये आने वाले चुनावों की ओर इन बड़े-बड़े लोगों का ध्यान है। उन्होंने सोचा कि यही एक रास्ता है कि जिससे हम जनता से सम्पर्क स्थापित कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनावों में; पार्लियामेंट और विधान-सभा में अपने स्थान सुरक्षित रखने के लिए ही अपना वक्त दिया है और शायद हमारी सरकार ने भी इसी दृष्टि से उन लोगों को रखा होगा, यह बात वे कहेंगे नहीं। मुझे शंका होती है। उनकी इस बात के सिवाय और क्या हो सकती है?

पहले इस कमेटी के बारे में कहूं कि जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं कि कहां-कहां पर कितना-कितना रुपया दिया जा रहा है, अगर उनको देखें तो यह कहना पड़ता है कि वास्तव में उस कमेटी के द्वारा जो रुपये का डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है वह ठीक ढङ्ग से नहीं किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट के दो

[श्री चांदमल मेहता]

आदमी जल-बोर्ड में लिये गये। परिणाम यह हुआ कि उस डिस्ट्रिक्ट को सब से अधिक रुपया जो ६ लाख होता है; दिया गया है। ६ लाख रुपया देने से पहले यह नहीं सोचा गया कि उस जिले को पहिले पानी के लिए कितना रुपया दिया जा चुका है और अब वह कितने का अधिकारी है। इत्तिफाक से मैं भी उसी जिले से निर्वाचित होकर आया हूं और मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि उस जिले को पहले भी काफी रुपया मिला है। यही नहीं, कुछ जिले ऐसे हैं जिनको कि रुपया दिया गया है, वे सारे के सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट के एरियाज़ हैं। उनकी सारी दिक्कतें कम्युनिटी प्रोजेक्ट या एक्स्टेन्सिव ब्लॉक के जरिये दूर की जा सकती हैं। नया रुपया उनको दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। उस रुपये को उनको न देकर, दिया जाना चाहिये था दूसरे इलाकों को। यही बात नहीं, जयपुर जैसे जिले को जिसकी १७ लाख की आबादी है; वह एक डिविजन है, उससे कम नहीं है और जो रुपया दिया गया है वह बहुत कम है। उसके लिए दलील दी गई है कि जयपुर में पानी की कमी नहीं है। यह बोर्ड को पता नहीं है कि जयपुर जिले में भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पानी की बहुत बड़ी कमी है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पानी की इफराद है। यह जिला एक डिविजन के बराबर है। उसकी हद को देखते हुए नहीं दिया गया है।

पहला काम जो इस बोर्ड ने किया, वह रुपये का डिस्ट्रिब्यूशन का किया है। वह यह बताता है कि वहां पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के सही प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं, इसलिए सही ढंग से रुपया नहीं बांटा गया। जो सही ढंग से लिया गया है, उसकी सही बात मैं आपको आगे बतलाऊंगा।

दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी जो कि जिले के बारे में उनकी सहायता करे। उस कमेटी के कलेक्टर चेयरमेन हैं और उसमें सब तरह के आदमी लिये गये हैं, और यह कमेटी बहुत ही उपयुक्त होगी। इस प्रकार कहा गया है इन कमेटियों के बारे में। चेयरमेन महोदय, मैं भी इत्तिफाक से जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये जो कमेटी बनी है उसका एक सदस्य हूं। आज से ५ दिन पहले मैं उस कमेटी की मीटिंग में शामिल हुआ। मैंने मांग की कि सब से पहले कमेटी से मैं यह जानना चाहता हूं कि कमेटी का जो काम शुरू होने वाला है उस संबंध में कमेटी के अधिकार क्या हैं ? तो मालूम हुआ कि कमेटी के इतने अधिकार हैं कि हमारे सामने एक पुलिन्दा रखा गया कागजों का कि हम इनमें से छांटें इस ढंग से कि हम २ लाख में काम कर सकें और इसके बाद यह कमेटी डिज़ोल्व हो जाय। माननीय चेयरमेन, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि उस कमेटी के सामने यह काम हो कि कुछ फोर्म तैयार किये गये हैं जो कि कई लाख रुपये के हैं, १५-२० लाख में भी वह काम नहीं कर सकते हैं, नये सजेशन नहीं दे सकते हैं, कोई कन्ट्रोल नहीं रख सकते हैं कि सरकार का रुपया सदुपयोग में आता है या दुरुपयोग में आता है, उसके ऊपर कन्ट्रोल करने का अधिकार नहीं है। हमारा सिर्फ एक अधिकार है कि जो १०-१५ लाख की तजवीज़ें हैं उन तजवीज़ों को काटें और जो २० लाख की तजवीज़ थी उसको २ लाख की करें। यह हमारा काम है और वह कमेटी डिज़ोल्व हो जाय। इस तरह की बात मैं सदस्यों के सामने उनकी सूचना के लिये बतला रहा हूं। साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि जयपुर की तजवीज़ों का जहां तक सम्बन्ध है, कुछ ही हिस्सों की तजवीजें आई हैं और जगहों के प्रोफोर्मा नहीं आये हैं।

[श्री चांदमल मेहता]

रूपनगर में कुए, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं यानी नागोर डिस्ट्रिक्ट की किसी भी तहसील से, कम गहराई की हालत में नहीं है। पानी की दृष्टि से वहां कई मीलों से कई बार पानी आता है। हड़ींग जैसी जगह में एक तालाब है जिसका यदि पानी सूख जाता है तो तीन-तीन मील से पानी आता है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार बात क्या है? किसी स्थिति में सजेशन देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जहां के प्रोफोर्मा नहीं आये वहां के लिए कोई गुंजायश नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे कमेटी में जाने का कोई उपयोग नहीं हुआ क्योंकि कुछ साथी मित्रों को पता था इस बात का कि यह होने वाला है, उस आधार पर उन्होंने प्रोफोर्मा भेज दिये। जिन्होंने पहले से कार्यवाही नहीं की, उनके लिए कोई गुंजायश नहीं है। एक हफ्ते के अन्दर वह आने चाहिये जो नहीं आ सकते थे। मैं किशनगढ़ कॉन्स्टीट्यूएन्सी से नहीं आया हूं लेकिन वहां का रहने वाला हूं। उस कॉन्स्टीट्यूएन्सी किशनगढ़ की बात बता सकता हूं, जो मैं समझता हूं कि उनके लिए आवश्यक है, लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत उसका कोई स्थान ही नहीं आता है।

दूसरी बात मेरी समझ में जो आई है कि रुपया निकालने के लिए, खर्च करने के लिए, देने के लिए इसके अन्दर पंचायत अफसर हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पंचायत के अफसर रुपया देंगे और उस पर देख-भाल कर सकेंगे। वे भी आखिरकार इन्सान हैं। अफसर होने पर भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि एक इन्सान कर सकता है। उनमें कुछ विशेषता हो सकती है तो यह कि वे डबल काम करने वाले हों, लेकिन उनको भी अपना बहुत सारा काम इन्सपेक्टरों के जरिये कराना होगा और इन्सपेक्टरों और दूसरे लोगों के बारे में कैसा विचार है? वह माननीय सदस्यों ने जाहिर किया है कि वे किस श्रेणी के लोग हैं, जिनके आधार पर करोड़ों रुपया उनके मार्फत सौंपने जा रही है।

अब अधिक महत्व की बात आती है कि वह रुपया किस तरह से खर्च करने जा रहे हैं? यह हमारे सामने सवाल है। इस रुपये को खर्च करने के बारे में यह बताया जाता है कि कुछ निर्वाचित पंचायतें रुपया खर्च करेंगी। यह भी बताया जाता है कि जो पंचायतें योग्य नहीं हैं या जो ये काम नहीं करना चाहती हैं, उनके बजाय में कुछ चुने हुऐ आदमियों के हाथों में यह काम दे दिया जायगा। यह भी बताया जाता है कि यह रुपया उन लोगों के हाथों में दिया जायगा; जहां पंचायतें नहीं बनी हैं वहां के कुछ लोगों के हाथ में देंगे। मैं समझता हूं कि असल में जहां यह रुपया खर्च होने वाला है ये लोग आते हैं।

अब मैं यह निवेदन करूंगा, यह बतलाऊंगा कि १० हजार से अधिक रुपया खर्च करना होगा तो उसके बारे में जो टेक्निकल एडवाइज़र होगा, उसकी एडवाइस लेकर खर्च करना होगा। लेकिन १० हजार रुपये तक जो खर्च करना होगा, मैं अपने अनुभव को निवेदन करता हूं कि जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से मैं आता हूं उसको पहले भी रुपया मिला है, तो मुझे इस बात का अनुभव है कि जहां आवश्यकता महसूस हुई और रुपया दिया तो कुछ आदमियों को नामजद किया गया। वे आदमी प्रेक्टिकल एक्स्पर्ट नहीं थे, तो उस रुपये का क्या उपयोग हुआ? मैं पहले भी विधान सभा में इस बात को पूछ चुका हूं कि परबतसर में किन्हीं पंचों को रुपया दिया गया, उन आदमियों की जांच की या नहीं कि उस सरकारी

[श्री चांदमल मेहता]

रुपये का उपयोग हुआ या नहीं ? तो बताया गया कि इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १० हजार रुपये से कम की निधि खर्च करने का सवाल है। ऐसी निधि बगैर टेक्निकल एक्सपर्ट की राय से खर्च की जायगी तो पैसे का दुरुपयोग होगा, क्योंकि गांव के आदमी इस बात को नहीं समझते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं ६,००० रु० का तालाब बनवाना है तो ६,००० रु० का सवाल है १०,००० रु० से कम है, इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट की राय की जरूरत नहीं है, पर जिस जगह तालाब बनवाया जा रहा है उसमें पानी आने का क्या रास्ता होगा, जमीन ऐसी है कि पानी आ सकेगा, जमीन ऊंची तो नहीं है, उसके अन्दर किस किस रास्ते से पानी आ सकेगा; यह देखने की बातें हैं, ये टेक्निकल आधार पर की जायं तो निश्चित तौर पर फायदा हो सकेगा। लेकिन १०,००० रु० से अधिक की रकम के बहुत कम मामले आयेंगे। आम तौर पर जो तजवीज की जाती है, जैसी कि जावला ग्राम में पिछली बार एक तजवीज थी और वह तजवीज यह थी कि वहां एक तालाब बनाया जाय। इसमें इसी हैड के अन्दर कुछ रुपये दिये गये। वहां पंचायत नहीं थी तो कुछ आदमियों ने कोशिश की और बगैर नोटिस के ही इन्सपेक्टर साहब आये और कहा कि चुनाव करवा रहे हैं और इन्सपेक्टर साहब ने कुछ आदमियों को एक बाड़े में भरकर चुनाव करवा दिया था। वहां पर कोई बाकायदा चुनाव नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं दिया गया पहले। उनको रुपया दे दिया गया। उस रुपये की बन्दर-बांट शुरू हुई। कुछ रुपया इन्सपेक्टर साहब के हाथों में भी पड़ा जिन्होंने कि उनको रुपया दिलवाने में मदद की थी, और कुछ उन लोगों के, जो इस काम को करने के लिए अगुआ हुए थे और जहां कि तालाब बनाने की बात शुरू की गई थी उसका नामोनिशान नहीं है। पहली बात यह है कि उसका एक तिहाई हिस्सा पंचायतों को देना पड़ेगा। लेकिन इससे बचने के लिये भी उन्होंने एक तरकीब निकाली जो यह कि मजदूरों को मजदूरी देने की रेट है १ रु० रोज, तो उन्होंने दिखा दिया २ रु० रोज। इस तरह से गांव वाले जो रेट होती है उससे दूनी बतला देते हैं और जो इस तरह से गांव के हिस्से का रुपया देने का था वह बच जाता है, लेकिन आगे जाकर इसका दुरुपयोग होगा। जिस जगह तालाब बनाया था उसका अब नामोनिशान नहीं है। बनाने से पहले उसकी कोई सर्वे नही कराई गई, कोई जांच नहीं कराई गई, यह नहीं देखा गया कि इस जमीन का लेवल ऊंचा है या नीचा है, इसमें पानी आने का साधन है या नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि रुपये बर्बाद हुए। यदि इस ढंग से रुपये दिये गये, जिसकी मिसाल मैंने अभी बताई है तो यह ठीक नहीं है। यह एक जगह की बात नहीं है, लेकिन जगह २ ऐसा ही हो रहा है। यदि ऐसे ही लोगों के हाथ में रुपया दिया गया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज हमें अनुभव करना चाहिये कि हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। अभी कई पंचायतों के चुनाव हुए हैं। यह भी कह दिया जायगा कि कुछ पंचायतें यह काम करने के योग्य हैं और कुछ इस काम को करने के अयोग्य हैं। जिन पंचायतों को काम करने के अयोग्य बताया जायगा उनका काम दूसरों को देंगे। नतीजा यह होगा कि सारी ताकत उनके हाथ में है। वे कह दें कि ये पंचायतें ठीक हैं और ये योग्य नहीं हैं; जिनको देना है उनको दे देंगे और जिनको नहीं देना है उनको नहीं देंगे। इसमें पैसे का दुरुपयोग होगा जिसका जवाबदार कौन होगा ?

जहां तक पंचायतों के चुनाव का ताल्लुक है, मुझे उनके चुनाव को लेकर अभी चर्चा करने

Page No.68

[श्री चांदमल मेहता]

की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कहना है कि यदि उनके मार्फत रुपया खर्च करना है तो उसका शायद दुरुपयोग ही होगा। पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था है। देश में पंचायतों के चुनाव के समय जितनी भी पार्टीज़ थीं उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पंचायतों के चुनाव पार्टी बेसिस पर हों, इसलिये हम अपने-अपने केन्डिडेट खड़े नहीं करने चाहते। हम यह चाहते हैं कि गांवों के सच्चे प्रतिनिधि और कार्यकर्त्ता ही इन चुनावों में आवें। हमारी कांग्रेस ने भी यह तय किया कि पार्टी के आधार पर कोई केन्डिडेट नहीं आयेगा। लेकिन लोगों ने इस बात की चेष्टा की कि हमारे ही आदमी आवें और इसके लिये अन्दर ही अन्दर चेष्टा की। इसका नतीजा यह हुआ कि वास्तविक आदमी नहीं आये और एक ही तरह के लोग आ गये। जहां पर वास्तविक आदमी आ गये वहां पर उनसे यह कहा गया कि तुम वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो इसलिये तुमको नहीं रहने दिया जायगा। इस तरह के चुनाव हमारी पंचायतों के हुए हैं। इसलिये जो रुपया उनको खर्च करने के लिये दिया जायगा वह बर्बाद ही होने वाला है। यदि ३ साल में रुपया खर्च नहीं हुआ तो इसके लिये सरकार ही जिम्मेदार है। यदि सरकार यह चाहती ही है कि हमें तो किसी भी तरह से रुपये खर्च करने ही हैं तो यह पहली भूल से भी अधिक भयङ्कर भूल होगी। चेयरमेन महोदय, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन कमियों की चर्चा मैंने की है उसका दृष्टिकोण यह नहीं है कि मैं सरकार की आलोचना करूं। मेरे सामने यदि कोई दृष्टिकोण है तो वह यह है कि मैं विधान सभा का सदस्य हूं और सरकार का एक अंग हूं, इसलिये मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि जो बहुत बड़ी धन-राशि खर्च करने की है, उसके लिये जल्दबाजी से काम न लें और जो कमियां हैं वे पूरी करें, यह बात सरकार के ध्यान में लाऊं। मन्त्रीजी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे, बल्कि जिन कमियों की चर्चा की गई है उनकी ओर ख्याल रखेंगे। ऐसी मुझे आशा है।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, मेरे मित्र जो परबतसर से तशरीफ लाये हैं, उन्होंने सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कटौती प्रस्ताव रखा है। हमारे सामने आज प्रश्न यह है कि हमको सेन्टर से पैसा मिलता है, उसको खर्च कैसे किया जाय। यदि इसको तोड़-मरोड़ कर रखा जाय और सीधा कहा जाय तो सीधा अर्थ यह है कि आज से पहले जो सरकारें थीं, वे इस पैसे को खर्च करने में असमर्थ रही हैं और अभी जो सरकार है वह उत्साही है और पैसे को जल्दी से जल्दी खर्च करना चाहती है ताकि हम और पैसा वहां से ले सकें। यह उत्सुकता तो बहुत ही अच्छी है लेकिन सभापति महोदय, देखना यह है कि आप किसी भी फाइनेन्स की मिसाल ले लीजिये। उसमें यह है कि हमको पैसा खर्च करने के मामले में बहुत ही संजीदगी और धैर्य से काम लेना चाहिये। यदि पैसा खर्च करने के मामले में हम जल्दबाजी करते हैं तो नतीजा यह होता है कि ६० प्रतिशत पैसे का दुरुपयोग होता है। ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी।

राजस्थान में जल बोर्ड बनाया गया है व बाहर के सेटों को उसमें रखा गया है। विधान सभा के जितने प्रतिनिधि उसमें होने चाहिये थे उतने नहीं हुए, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इन बातों पर बहुत चर्चा हो चुकी है। उनके ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा और इस मुद्दे पर आऊंगा कि इस जल-बोर्ड के गठन के बाद सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि

[श्री चांदमल मेहता]

पंचायतों को भी पैसा खर्च करने का पॉवर दिया जाय। इससे मैं मतभेद रखता हूं। पंचायत विभाग राजस्थान में ऐसा करप्ट विभाग है जिसका जनता में कोई विश्वास नहीं है। यह ऐसा विभाग है जो बहुत ही करप्ट है और उसने ३ वर्ष में सिवाय रूल्स आदि बनाने और चुनाव कराने के कोई काम नहीं किया है। यह विभाग जनता का विश्वास खो चुका है। विभाग के इन्सपेक्टरों की मार्फत जो खर्चा करने की योजना है उससे मैं कतई सहमत नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

चेयरमेन महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए दो-तीन मिनट का समय मुझे और दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री सभापति (डा० मंगलसिंह)—आपका कट-मोशन नहीं था, फिर भी आपको समय दिया गया।

श्री मानसिंह महार—जल-बोर्ड का पैसा पंचायतों की मार्फत खर्च होगा, इसलिये मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति—जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री मानसिंह महार—(भाषण जारी रखते हुए) इस वजह से चेयरमेन महोदय, मैं आपके जरिये सदन से यह निवेदन करूंगा कि हमने जो पॉलिसी अपनाई है वह ठीक नहीं है। यह इतनी बड़ी धन-राशि है जो आखिर में १ करोड़ के करीब पहुँचेगी। इसके खर्च के लिए हमको खास अंकुश जरूर रखना चाहिये। मैं इस बात से हर्गिज सहमत नहीं हो सकता कि पैसा खर्च करने के लिये यह सोचें कि पैसा खर्च नहीं हो सकता, इसलिये जल्दी खर्च करें। इसलिये मैं कहूंगा कि इसको पंचायत विभाग को न सौंपा जाय और यदि जिला कलेक्टरों वगैरह को जिम्मेदार किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। जिला बोर्ड का जो गठन हुआ उसमें यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, वह तो जाने दीजिये। लेकिन पैसा खर्च करने में तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिये।

एक चीज मैं और कहूंगा जो कि कटौती प्रस्ताव से दूर है, लेकिन बहुत आवश्यक है। आप कितने ही कुए खुदवाइये, ग्रो मोर फूड कम्पेन चलाइये, लेकिन राजस्थान में जब तक बर्थ-कन्ट्रोल का इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा।

श्री महादेव प्रसाद बंका—चेयरमेन महोदय,......

श्री सभापति—मन्त्री महोदय जबाब देंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य—सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बोर्ड के बारे में आपत्ति की है, उस सम्बन्ध में पहले भी विचार हुआ और मैं समझता था कि इस विचार के बाद उनके मन में

[श्री कुम्भाराम आर्य]

कोई शंका नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने शंका प्रकट की है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिये इसके गठन के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि इसमें उन सब लोगों को लिये जाने की कोशिश की गई है, जिससे प्रतिनिधि भी आ जाय, जिसमें राज्य के नियन्त्रण की बात भी आ जाय, जिससे कार्यकर्त्ताओं का सहयोग भी मिल जाय और जिससे दानी-मानी लोगों का योग भी मिल जाय। इस प्रकार से सभी प्रकार के लोगों का इसमें समन्वय किया गया है। माननीय सदस्य ने एक बात पर जोर दिया कि इसमें संदन के प्रतिनिधि ही आने चाहिये थे और कोई नहीं आना चाहिये था। यह प्रश्न काम करने का है, खाली प्रतिनिधित्व का नहीं है। काम करने में कौन लोग किस प्रकार से दिलचस्पी रखते हैं, यह बात देखने की है।

राजस्थान अकाल का घर रहता रहा है और इस अकाल के क्षेत्र में जो कार्य तथा काम करते रहे हैं और इस काम के लिए पैसा बाहर से कलकत्ता और बम्बई से इकट्ठा करके लाते रहे हैं और हमारे राजस्थान में लगाते रहे हैं, इस प्रकार के कार्यकर्त्ताओं को अगर हम इस बोर्ड से अलग रख देते तो बोर्ड की जितनी सफलता हम चाहते थे उतनी सलफता नहीं मिलती।

ऐसे कार्यकर्त्ताओं को जो पिछले कहत के समय में गर्मी-धूप की पर्वाह किये बगैर गांव-गांव में घूमते रहे हैं, गरीबों को देखते रहे हैं, उनकी सेवा करते रहे हैं, उन लोगों को हमने इसमें रखना आवश्यक समझा। इन कार्यकर्त्ताओं को लें और स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को लें और फिर सारे स्तर को देखेंगे तो जिन लोगों के नाम लेकर बाहर का कहा जाता है, ऐसे बाहर के लोग तो संख्या में चार-पांच से ज्यादा नहीं मिलेंगे। २३ आदमियों की लिस्ट में ४-५ आदमी, जिन्होंने कहत के समय में काम किया है उन्हें कैसे न लिया जाय? मैं नन्दलालजी भुवालका की बात कह देना चाहता हूं। रतनगढ़ में लाखों रुपया मरदाना अस्पताल और जनाना अस्पताल के नाम से लगा रखे हैं, इससे रतनगढ़ ही नहीं, अड़ोस-पड़ोस के इलाके आज भी राहत पा रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, इस प्रकार के लोगों को इसलिये नहीं लिया गया है कि उनको सीटें दी जायगी, या सीटों के लिये वहां आये हों। राजस्थान में राजाओं का राज्य था, तब भी ये धनी-मानी लोग कुए, तालाब, अस्पताल, धर्मशाला आदि बनाया करते थे, कितने ही गांवों में जहां पानी का समुचित प्रबन्ध नहीं है वहां धनी-मानी लोगों के बनाये हुए कूए, तालाब, कुण्ड वगैरह मिलेंगे। बहुत से ऐसे नगर मिलेंगे, जिनमें औषधालय, मातृगृह, अस्पताल मिलेंगे। जब राजाओं का राज्य था तब भी ये लोग बनाते थे और राजाओं के राज्य के बाद भी बनाते हैं। राजाओं के राज्य के बाद चूरू का लोहिया कॉलेज, जिसकी पांच-छः लाख की बिल्डिङ्ग है, बाद में बना है, धनी-मानी सेठों ने बनाई है। कलकत्ते में बैठ कर कमाते हैं और यहां आकर पैसा लगाते हैं। ऐसे लोगों के लिये सोच लेना कि ये लोग सीटें लेंगे, तो यह गलत होगा। राजाओं का राज्य था तब सीटों का सवाल नहीं था। श्री नन्दलाल भुवालका व चूरू वाले लोहिया यहां आकर सीटें मांगने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की भावना हम लोगों के हृदय में बैठ क्यों गई, इसका मुझे आश्चर्य है।

इस बोर्ड में चार आदमी सरकारी पक्ष के हैं। मिनिस्टर इन्चार्ज, चीफ पंचायत ऑफिसर, लोकल सेल्फ बोर्ड के सेक्रेट्री और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के सेक्रेट्री। इसमें तीन संसद सदस्य हैं,

[श्री कुम्भाराम आर्य]

४ एम० एल० एज० हैं और करीब पांच-सात कार्यकर्त्ता हैं, कुछ तो वे ही हैं जो अकाल का काम सदा से करते आये हैं, कुछ स्थानीय कार्यकर्त्ता हैं। एम० एल० एज० हैं, संसद सदस्य हैं, राज्य के लोग हैं और तीन-चार धनी-मानी लोग हैं जो सदा ऐसे कामों में खुद रुचि रखते आये हैं, धन देते रहे हैं। वह देखेंगे तो आपकी शंका कि इसका गठन अच्छा नहीं हुआ है, दूर हो जायगी। मैं कहूंगा कि इससे अच्छा कोई गठन इसका नहीं हो सकता। इसमें धनी-मानी हैं, जनता के प्रतिनिधि, संसद के सदस्य इसमें हैं, हमारे यहां की जनता का प्रतिनिधित्व इसमें हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हैं और सरकारी सदस्य हैं जो इसकी देख रेख करेंगे।

इसके अलावा शंका की गई कि पंचायतों को काम देंगे नहीं। यह शंका निमूल है। इसमें केवल इतना संशोधन रखा है कि जहां पंचायतें ऐसी हैं जो काम कर नहीं सकतीं, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं पंचायत टूटी हुई है, कहीं आपस में मत भेद हो जाता है, आधे कहते हैं इधर होना चाहिये और आधे कहते हैं कि उधर होना चाहिये, ऐसे स्थानों पर कमेटियां बना दी जावें; इस तरह के झगड़े हो सकते हैं इनका हमने ख्याल रखा है, फिर भी हम इन पंचायतों को इग्नोर नहीं करना चाहते, इसमें भी खास तौर से ऐसा निर्णय किया है कि जहां इस तरह की बात हो वहां उन पंचों में से ही चुन कर कमेटी बना देनी है, जो काम करे और जहां वह बनने वाली कमेटी कमजोर नजर आती है तो उस गांव के दूसरे मुखिया लोगों को भी साथ में ले लेना चाहिये।

जो खर्चा पहले हो रहा था उसकी देख-रेख में हमने सुधार तो बहुत किया है। पहले चीफ पंचायत ऑफिसर अकेला ही था वहां अब २३ आदमी रखे हैं; जिनमें एक मिनिस्टर, स्वायत्त शासन विभाग के सेक्रेट्री व फाइनेन्स विभाग के सेक्रेट्री, चीफ पंचायत ऑफिसर, तीन पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ४ एम. एल. एज. हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व है, सार्वजनिक कार्यकर्ता भी बढ़ाये गये हैं और धनी मानी लोग भी लिये गये हैं। ऐसा इनमें कहीं नहीं मिलेगा कि कोई काम ऐसा हो जो कि १० हजार रूपयों से ऊपर बढ़ जाय, उसका चैकिंग नहीं हो। टेक्निकल हैड की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस जगह यह रहा है वहां १० हजार के ऊपर का काम हमारे इन्जीनियर देखें १० हजार के नीचे का काम भी देख सकेंगे, देखने की आवश्यकता होगी तो देख लेंगे; जरूरत नहीं होगी तो बिना मतलब के गांव गांव में घूमना ठीक नहीं। हमारा राजस्थान बहुत बड़ा है और दूर २ में फैला हुआ है। एक एक गांव में इन्जीनियर भेजें तो इसका खर्चा सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर एक काम को चैक करने की सरकार व्यवस्था करे तो इतना स्टाफ नहीं मिले और न उनके आवागमन के लिये साधन जुटाये जा सकते हैं।

हमको बल इसके लिये देना चाहिये था कि जो रकम है, उसकी देख-रेख की व्यवस्था है या नहीं? वह इसमें पूरी तरह से की हुई है। १० हजार के ऊपर की रकम नहीं है उसकी देख-रेख के लिये ओवरसियर इन्जीनियर रखे हैं। १० हजार से नीचे की भी रकम हो और उसको चैक करने की आवश्यकता हो तो उसकी भी जांच कर सकते हैं। पहले तो पंचायतों में बिना देख-रेख के काम होता था, अब इतनी अधिक देख-रेख की व्यवस्था कर दी गई है तो शिकायत की जाती है इससे साफ मालूम होता है कि इस शिकायत के करने में कोई भूल है। पहले से तो ज्यादा अच्छा देख-रेख का इन्तजाम इसमें किया गया है।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

रही जिला कमेटियों की बात कि जिला कमेटियां इस काम को करने के बाद नही रहें। मैं कह देन चाहता हूं कि उन्होंने अपने इलाके का सर्वे किया और यह निश्चय किया कि किस जगह कितना कितना काम होना चाहिये और जब उन्होंने अपना प्रोपोज़ल गवर्नमेंट को मूव कर दिया तो फिर उस कमेटी की क्या आगे की कार्यवाही रह जाती है ? वह कमेटी तो सर्वे करके प्रोपोजल भेजने के लिये ही बनाई गई थी। अब एम. एल ए. बतावें कि इसके बाद इस कमेटी का क्या महत्व रह जाता है। हमने इसी-लिये इसे बनाई थी कि वह अपने इलाकों की सही राय दे सकें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जनता को राहत पहुंचा सकें। जब उन्होंने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट हमको दे दी तो उनका काम भी समाप्त हो गया। इसके अलावा जिला कमेटी बनेगी। इसमें जिले के कलेक्टर और पंचायत ऑफिसर के अलावा अन्य आदमी भी रखेंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो। जिस काम को पहले अकेला पंचा-यत अधिकारी करता था उसके साथ भी जोड़ दिया है। मैं तो यह समझता था कि इस बोर्ड की व्यवस्था से जनता को बहुत लाभ होगा और इसके लिये धन्यवाद सरकार को मिलना चाहिये था। धन्यवाद तो कहीं रहा, उल्टा विरोध हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे अच्छा नतीजा पैदा होगा। आप तीन-चार साल से चार-पांच लाख रुपया लेकर सब किये बैठे थे। हमने इसमें ध्यान दिया है। पंचायतों से भी कुछ काम कराया है। १५ लाख का काम पंचायतों से और बाकी बोर्ड से। पंचायत भी काम करेगी और बोर्ड भी काम करेगा, जिससे लोगों की जल्दी राहत मिलेगी। बोर्ड और पंचायत दोनों काम कर रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी पैसे को खर्च करना चाहते हैं और जो भी कमी रह जावेगी उसके लिये और पैसा लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा है उससे माननीय सदस्यों को संतोष हो गया होगा और वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की कोशिश करेंगे।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें करीब ७० या ७५ लाख रुपया खर्च करने की बात थी और कई माननीय सदस्य अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करने के लिये उत्सुक थे। लेकिन समयाभाव से उन्हें मौका नहीं मिला। माननीय मन्त्री के इस कलापूर्ण भाषण सुनने के बाद, जो भाषण की कला में बहुत ही कुशल हैं और जिसका जबाब देने के लिए कोई गुंजायश नहीं रह जाती, ऐसा मानते हुए भी मेरी आत्मा यह कहती है कि यह दुरुस्त नहीं है। कम से कम मैं इस मामले में उस हद तक प्रभावित नहीं हो सका, जितना दूसरे भाषणों को सुन कर प्रभावित हुआ हूं।

चेयरमेन महोदय, यह उन्होंने अपने भाषण में बताया कि बोर्ड में किस हिसाब से व्यक्तियों को चुना है, लेकिन मैंने जो चीज सदन के सामने रखी उसका प्रतिकार उन्होंने नहीं किया। मेरी मान्यता है कि एक डॉक्टर है, वह बहुत योग्य हो सकता है अपने कार्य में, लेकिन अगर हम उसको एक इन्जीनियर के स्थान पर बिठला दें, तो वह बेकार साबित होगा और दूसरी तरफ एक इन्जीनियर है, वह बहुत अच्छा काम जानने वाला है और अगर हम उसको एक डॉक्टर के स्थान पर बिठला देंगे तो वह डॉक्टर का काम नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार हमारे मन्त्री महोदय ने कलकत्ते के सेटों की चर्चा करते हुए कहा कि वे बहुत खर्च करते हैं, उन्होंने कुए खुदवाए, धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाए और भी कई प्रकार की चर्चाएं की। हां, उन्होंने यह सब कुछ किया और हमें, जैसा मैंने खुद

[श्री चांदमल मेहता]

ने कहा है कि उनसे दान लेना चाहिये और वे देते रहें। यदि जहां पैसे की दिक्कत हमको आ जावे, वहां उनसे धन की सहायता लें तो कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति होती है उनको जल-बोर्ड के सदस्य बनाने में। वे किस तरह से शासन और इन्तजाम करें और किस ढङ्ग से पानी की व्यवस्था करें ? मुझे इस बात से आपत्ति नहीं कि पूंजीपतियों से सहयोग नहीं लिया जावे। धन देने में एम० पी० और एम० एल० ए० लिये जावें। लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि डॉक्टर की जगह इन्जीनियर और इन्जीनियर की जगह डॉक्टर को नहीं लिया जावे और उस प्रकार के आदमी लेते, जो उस क्षेत्र की परिस्थिति से वाकिफ हों। अगर एम० पी० या एम० एल० ए० जल-बोर्ड के सदस्य बनाये जावें तो खास तौर से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जहां पानी की कमी हो और यदि कोई कार्यकर्ता लेने हों तो वे भी पानी की कमी वाले क्षेत्र से होना चाहिये ताकि उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम केवल महान् व्यक्तियों को लें। आवश्यकता इस बात की है हमें कि उन महान् व्यक्तियों के साथ उन लोगों को लेते जो उसी क्षेत्र में रहते हों और हालत को जानते हों, उससे डबल फायदा मिल जाता। इसके अलावा आपने बताया कि एक कमेटी मुकर्रर की गई है कामों की निगरानी के लिये जिसमें कलेक्टर, पंचायत ऑफिसर के अलावा और भी दूसरे आदमी होंगे। यह पांच आदमियों की होगी। मेरा यह निश्चित मत है कि उक्त कमेटी कामों को निगरानी करने में सफल नहीं हो सकी। कलेक्टर एवं पंचायत ऑफिसर के पास पहिले ही इतना अधिक काम है कि वे अधिक समय इस काम के लिये नहीं निकाल सके।

माननीय मन्त्री जी ने डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बारे में चर्चा की। अगर वही बात होती जो उन्होंने कही तो मुझे निश्चित तौर से सन्तोष होता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेम्बरों को सर्वे करने का मौका नहीं दिया गया। मैं यह कहूंगा कि जल-बोर्ड से कलेक्टर्स को जो पत्र भेजे गये थे उनमें यह लिखा गया था कि एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर रिपोर्ट भेजनी चाहिये। एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजी नहीं जा सकती थी इसलिये जो साथी उनसे पहले कॉन्टेक्ट रखते थे, वे ही फ्रोफॉर्मा जो उनको पहले मालूम था और चिट्ठी के साथ भेजा गया उसको भर कर भेज दिया। दूसरे इतनी जल्दी सर्वे नहीं कर सकते थे। अगर इस बात का जिक्र माननीय मन्त्री महोदय करते कि इतनी जल्दी क्यों की गई तो मुझे सन्तोष होता। यह कहा जाता है कि सर्वे कराई गई, मगर वास्तव में जो बात व्यवहार में आई वह दूसरी है। उनके भाषण की कला से मुझे सन्तोष होता है, लेकिन जहां तक मेरी आत्मा में उनकी कला को कार्यरूप में परिणत करने का प्रश्न है और वह भी इस विषय पर, यह ठीक नहीं है।

जहां तक इस बारे में यह प्रश्न है कि कमेटी सुपरवाइज़िंग के लिये बनाई जावे और उसमें कलेक्टर और चीफ पंचायत ऑफिसर हो, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जिले का कलेक्टर जिसके पास बहुत ज्यादा काम होता है, वह इस काम को अच्छी तरह से देख सकेगा, इसमें शंका है। जयपुर कलेक्टर को ले लीजिये, उसके पास १७ लाख की आबादी का काम है, क्या वह इस काम को अच्छी तरह से देख सकेगा ? क्या वह पंचायत ऑफिसर जो उसके साथ होगा, वह सारे राजस्थान में जो

[श्री चांदमल मेहता]

काम होगा, सारे कलेक्टरों के साथ देख-रेख कर सकेगा ? अतः मैं यह समझता हूं कि जो कमेटी बनाई जाने वाली है, वह एक नाम-मात्र की कमेटी होगी और यह किसी काम की नहीं होगी, यह मेरी धारणा है।

मैं इन शब्दों के साथ अधिक नहीं कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा लेकिन कुछ मेरे मित्र एक और इन्फोरमेशन दे रहे हैं कि कलकत्ते के पूंजीपति अपनी सेवायें जल-बोर्ड में मुफ्त नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके मुआवजे में कुछ लोगों को परमिट भी सरकार द्वारा दिये गये हैं।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप जिस व्यवस्था को करने जा रहे हैं और जिसके लिये बार-बार यह कहा गया है कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती, यह तो कार्यरूप में परिणत होने पर ही पता चल सकेगा। इतना निवेदन करना मैं आवश्यक मानता हूं कि जल-बोर्ड के मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जावे। प्रतिष्ठा इस बात में नहीं कि मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो, बल्कि प्रतिष्ठा इसमें है कि जो रुपया देहाती क्षेत्र के पानी की समस्या को हल करने के लिये मिला है, उसका सदुपयोग हो और इस सदुपयोग के लिये कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो वह भी किया जावे। इन शब्दों के साथ मैं मेरा कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति (डॉ० श्री मंगलसिंह)—प्रश्न यह है कि श्री चान्दमल मेहता अपना उक्त कटौती प्रस्ताव जो वापिस लेने की अनुमति चाहते हैं उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि अनुदान के लिए मांग संख्या १८, मेजर हैड ३६—जन-स्वास्थ्य, स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

यह मांग स्वीकृत हुई।

(राज्य-पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री मुक्तिलाल मोदी—१२ बज गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१ बजे तक चलने का है।

मांग संख्या २७-विद्युत से प्राप्तियां-कार्यवाहक व्यय

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिए मांग संख्या २७, मेजर हैड ४१—विद्युत से प्राप्तियां-कार्यवाहक व्यय के सम्बन्ध में

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,२३,८२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री सभापति—Motion moved. Cut motion by Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा कटौती का प्रस्ताव संख्या २२ बिजलीघर विभाग के सिलसिले में इस बात के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सरकार ने अब तक सिरोही पॉवर हाउस को अपने संरक्षण में नहीं लिया है और अब तक उसकी जैसी बुरी व्यवस्था थी उसी हालत में चलने दिया जा रहा है। इससे जनता को वे ही परेशानियां और वे ही तकलीफें हो रही हैं जो आज से पांच साल या दस साल पहले से हो रही थीं। इस विषय में सरकार की नीति कई दफा स्पष्ट की गई थी कि आखिर राजस्थान सरकार क्या चाहती है, हमारे राजस्थान के जितने पॉवर हाउसेज़ हैं, उन तमाम को राजस्थान सरकार खुद लेकर चलाना चाहती है या प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में जितने पॉवर हाउसेज हैं उनको उन्हीं की व्यवस्था में रहने देना चाहती है? कहने के लिए और नीति के रूप में तो इस बात को अवश्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया है कि यह हमारी नीति है और जिसका आधार बताया जाता है केन्द्रीय सरकार। उनका कहना है कि राजस्थान के, हिन्दुस्तान के अन्दर प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में जो पॉवर हाउसेज हैं उनको सरकार द्वारा नहीं लिया जाय। उसी आधार को मानते हुए जवाब दिया जाता है कि सरकार पॉवर हाउसेज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। यह कुछ और चीज है और वस्तुस्थिति कुछ और है। मैं उस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; चम्बल नदी-घाटी-योजना से हमको काफी बिजली मिल सकेगी और भाखरा—नांगल योजना से भी काफी बिजली मिल सकेगी। इन दोनों योजनाओं से जितनी विद्युत हमको मिल सकेगी उन एरियाज़ में, जो कि उस विद्युत से कवर होने वाले हैं, उनमें जो पॉवर हाउसेज हैं उनको सरकार अपने संरक्षण में फिलहाल लेना चाहती है, ऐसा प्रश्नोत्तर-काल में विदित हुआ है। मुझे इस बात के लिए आश्चर्य है, जब कि एक तरफ सरकार नीति को घोषित करती है कि प्राइवेट पार्टीज़ के पॉवर हाउसेज़ को नहीं लेना है और दूसरी ओर वह उन पॉवर हाउसेज़ को लेना चाहती है, जहां पंचवर्षीय योजना के तहत, भाखरा-नांगल योजना के तहत और चम्बल नदी-घाटी योजना के तहत बिजली जायगी और वे दो-पांच वर्षों में पॉवर हाउसेज़ समाप्त हो जावेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा-सा दृष्टान्त रखूंगा सीकर पॉवर हाउस का। उसको लेने के लिए सरकार लालायित है। हो सकता है कि कोई कारण ऐसा हो कि सरकार इतनी परेशान है कि उस पॉवर हाउस को जल्दी से जल्दी लिया जाय। लेकिन इसे गंभीरता के साथ सोचना है कि जब चम्बल नदी—घाटी योजना से और भाखरा—नांगल योजना से हमको बिजली मिल सकेगी तो क्या जरूरत है कि वहां के पॉवर हाउसेज़ को हाथ में लिया जाय। पॉवर हाउसेज़ खत्म हो जावेंगे और हमको उनकी जरूरत नहीं रहेगी। अब यह बताया जाता है कि अगले वर्ष के अन्त में भाखरा—नांगल योजना से बिजली मिल सकेगी, तो क्या आवश्यकता है कि उस पॉवर हाउस को हाथ में लें? जो एक नीति बताई जाती है सारे राजस्थान के लिए और जिसको पूरे हिन्दुस्तान की नीति बताई जाती है तो कुछ स्थानों के लिए दूसरी नीति अपनायी जाय, यह अच्छा नहीं।

[श्री जवानसिंह]

- एक दूसरी ओर बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करता चाहूंगा कि हमको किस प्रकार के पॉवर हाउसेज़ को लेना चाहिए। नीति इसमें घोषित कर दी कि कुछ पॉवर हाउसेज़ को लेना है। वस्तुस्थिति दूसरी होते हुए भी पॉवर हाउसेज़ को अपने संरक्षण में लेने जा रहे हैं तो यह देखना है कि कौन से पॉवर हाउसेज़ को पहले लेना है और कौन से ऐसे पॉवर हाउसेज़ हैं जिनको धीरे २ लेते जावेंगे। मेरा यह निश्चित मत है और मैं समझता हूं सदन की मान्यता होगी कि पहले उन पॉवर हाउसेज़ को लेना है जिनको विद्युत किसी योजना के तहत नहीं मिल सकेगी और दूसरी बात की ओर भी ध्यान देना है कि उन छोटे २ पॉवर हाउसेज़ को पहले हाथ में लेना है जो देशी रियासतों के वक्त में थोड़े सुभीते के लिए बनाये गये थे। विकास-कार्य जो हाथ में लेने जा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी को देखते हुए वे काबिल नहीं हैं। यदि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट करना है तो वहां के दस और पन्द्रह साल पुराने पॉवर हाउसेज़ से काम नहीं चलने वाला है। वे बड़ी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। देशी रियासतों में छोटे २ पॉवर हाउसेज़ बने हुए थे; केवल बाजारों में, म्युनिसिपल सप्लाई के लिए, छोटी २ आवश्यकताओं के लिए, बिजली देने के लिए। अब आवश्यकतायें काफी बढ़ गई हैं। यदि हम चाहते हैं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी हो तो यह आवश्यक है कि एक ही नीति अपनायी जाय।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब सवाल रह जाता है कि क्या चंबल-घाटी योजना की तहत जब कि एक स्कीम राजस्थान के लिये बनी थी, उस वक्त यह कहा गया था कि दो वर्ष में हम राणा प्रतापसागर डेम को बनायेंगे ताकि वहां से बिजली मिल सकेगी। कहा गया था कि उदयपुर, पाली और सुमेरपुर को चंबल-घाटी योजना से बिजली मिल सकेगी। शायद उस वक्त यह बात ठीक मानी गयी हो। तो अब कोई जरूरत नहीं रह जाती है कि उन जगहों के पॉवर हाउसेज़ को सरकार अपने हाथ में ले, वहां पॉवर हाउस बनाये। दो-चार दिन पहिले एक प्रश्न के उत्तर में यह साफ कर दिया गया था कि मौजूदा हालत में चंबल विद्युत योजना से न तो पाली को, न सुमेरपुर को और न उदयपुर को ही बिजली मिल सकेगी। यह आवश्यक और निश्चित रूप से मान लिया गया है कि वहां के पॉवर हाउसेज़ को जल्दी से जल्दी से ले लिया जाय और नये पॉवर हाउस बनाये जांय और जो पुराने पॉवर हाउसेज़ हैं उनको नये रूप से और सुचारु ढंग से बढ़े हुए पैमाने पर उन पॉवर हाउसेज़ को चलाने की कोशिश करें। इसके साथ-साथ विशेष रूप से मैं सिरोही पॉवर हाउस की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिरोही पॉवर हाउस की परिस्थिति एक विशेष प्रकार की है। सिरोही पॉवर हाउस सिरोही स्टेट के समय से बना हुआ है। दस वर्ष चलने के बाद करीबन पांच-सात वर्ष पहले सिरोही पॉवर हाउस की एक लिमिटेड कम्पनी ने मांग रख दी थी। उस वक्त करीबन ५० हजार के शेयर्स सिरोही स्टेट ने अपने हाथ में रखे, बाकी के शेयर्स दूसरे शेयर-होल्डर्स को बेच दिये थे जिनकी वेल्यु करीब पचास हजार की आज भी है। उस समय सिरोही पॉवर हाउस की गिरी हुई अवस्था थी, इसलिये इसको करीबन ६० हजार रुपये का कर्जा और दिया गया और उस कर्जे पर १५ हजार रुपये ब्याज के हो गये। अगर दोनों को जोड़ लिया जाय तो सवा लाख के करीब रुपया राजस्थान सरकार का सिरोही के पॉवर हाउस में लगा हुआ है। सिरोही पॉवर हाउस की कीमत करीब पौने दो लाख की बतायी जाती है। ऐसी स्थिति में जब कि सवा लाख रुपया राजस्थान सरकार का लगा हुआ है, अब केवल

[श्री जवानसिंह]

२५-३० हजार रुपये का सवाल रह जाता है, जो यदि लगा दिया जाय तो सिरोही का पॉवर हाउस राजस्थान सरकार का पॉवर हाउस बन जायगा। करीबन १५ साल हो गये, साठ हजार रुपये दिये गये कर्जे के रूप में। आज तक उस कर्जे में से एक पैसा भी राजस्थान सरकार के खजाने में नहीं आया। हमें इस बात को मानकर चलना चाहिये कि जो साठ हजार रुपया दिया गया है उसमें से एक पैसा वापिस आने वाला नहीं। शेयर्स मौजूद हैं, उनको उचित रूप से सरकार को चाहिये कि अपने संरक्षण में ले ले। वह मिल्कियत राजस्थान सरकार की हो, ताकि आगे बढ़ने के लिये गुंजाइश हो सके। आज जो सिरोही पॉवर हाउस की परिस्थिति है उसे देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि इसमें इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। आज जो पॉवर मिलता है उससे एक युनिट भी वह ज्यादा बढ़ाने के लिये तैयार नहीं। इससे हम यह उम्मीद करें कि पंच-वर्षीय योजना में सिरोही के आस-पास के इलाके को किसी प्रकार की पॉवर सप्लाई चीप रेट पर या मौजूदा रेट पर जो सिरोही शहर में मौजूद है, यह पॉवर हाउस कभी नहीं दे सकता; जब तक सिरोही पॉवर हाउस का डेवलपमेन्ट नहीं हो जाता, जब तक इस पॉवर हाउस के अन्दर दूसरा इंजन फिट नहीं कर देते। यह जरूर है कि इसमें हमें खर्चा होगा किन्तु माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम अब तो इसके ऊपर विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी कोई कदम लेंगे और इस पॉवर हाउस को अपने अधिकार में लेकर वहां तरक्की करने में सहयोग देंगे।

रावत श्री शम्भूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जवानसिंहजी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—पहले कटौती के प्रस्ताव मूव हो जाने दीजिये।

रावत श्री शम्भूसिंह—समर्थन के सिलसिले में ही मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। क्या मुझे बाद में मौका दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—अवश्य दिया जायगा।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. XXVII, Major Head XLI, Receipts from Electricity-Working Expenses etc. be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of Government to develop Kishangarh Power House.)"

माननीय उपाध्यक्ष, किशनगढ़ औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। औद्योगिक दृष्टि से और जनता के हित की दृष्टि से बिजली की कितनी आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या ध्यान दिया है, इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता अवश्य हो सकती है।

[श्री चांदमल मेहता]

माननीय उपाध्यक्ष, किशनगढ़ पॉवर हाउस को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये करीब चार साल हो गये। इस कार्यकाल में किशनगढ़ पॉवर हाउस की कार्यक्षमता घटी ही है, बढ़ी नहीं है। इस कार्यकाल में इस पॉवर हाउस की तरफ से कई चक्कियों को, कुछ दूसरे छोटे-मोटे उद्योगों को बिजली दी गई, उनसे रुपया वसूल किया गया। नतीजा उसका यह हुआ कि बिजली उनको नहीं मिलती। इस पॉवर हाउस द्वारा कई लोगों को कनेक्शन दिये गये लेकिन कई बार कई दिनों तक बिजली नहीं मिलती, कई बार कई घंटों तक बिजली नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के अन्दर एक्स-रे के लिये बिजली की आवश्यकता रहती है। उसमें वॉल्टेज की कमी के कारण कई बार टेलीफोन करना पड़ता है। इन दिनों में तो बिजली पूरी तरह से न मिलने के कारण एक्स-रे का काम बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है। आज वहां जो इन्जन हैं, वे गयी-गुजरी हालत में हैं। प्रतिवर्ष इन पर जो खर्च किया जाता है और उन इन्जनों की मरम्मत का आज तक का हिसाब इस पॉवर हाउस के लिये किया जाता है। उन इन्जनों पर प्रतिवर्ष होने वाले खर्चे का आज तक का हिसाब लगाया जाय तो जो खर्च आज तक हुआ है उस कीमत में तो वहां नये इन्जन फिट हो सकते हैं। इसके अलावा पुराने इन्जन जो हैं उनको बेच दिया जाता तो इतने रुपये वसूल हो सकते थे कि किशनगढ़ के लिए एक नया सेट खरीदा जा सकता था। उस खरीदने का नतीजा यह होता कि पॉवर की सुविधा मिल जाती। दूसरी ओर जो प्रतिवर्ष मरम्मत के लिये खर्च किया जाता है वह बच जाता। सरकार पॉवर हाउसेज के लिये यह कहती है कि वह व्यापारिक कन्सर्न मान कर चलाते हैं, लेकिन इसको यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि इसमें कभी व्यापारिक दृष्टि से उन्होंने सोचा तक नहीं।

पिछले सेशन के वक्त में किशनगढ़ पॉवर हाउस के बारे में मैंने अपनी आवाज बुलन्द की थी। उस वक्त माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया तो मुझे जरा तसल्ली हुई, उन्होंने यह कहा कि किशनगढ़ पॉवर हाउस के लिये ३ लाख ७० हजार रुपया हम देने जा रहे हैं और इस वर्ष उस पर दो लाख रुपये खर्च भी करने जा रहे हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे आश्वासन केवल प्रोसीडिंग्ज़ में ही रह गये, उस ओर कोई प्रगति नहीं हुई। अभी कुछ दिन हुए, जब मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया तो यह कहा गया कि हमें कुछ रुपयों की सहायता मिलने की आशा है। उसके बाद कहा गया कि हमने मशीनों के बारे में सारी दुनिया से टेण्डर मांगे हैं, अभी वे फाइनेलाइज़ नहीं हुए इसलिये यह काम नहीं हो सका। मामूली से जेनरेटर के लिये सारी दुनियां से टेण्डर मांगना मेरी समझ में नहीं आता, इसके लिये सारी दुनियां से टेण्डर मांगने की जरूरत नहीं। जहां ये चीजें बनती हैं वहीं से मांग लिये जाते तो ये चीजें मिल जातीं। सारी दुनियां से टेण्डर मांगने की वजह से ही इसमें डिले हो गई है। सारी दुनिया से टेण्डर मांगने की गलती को तो कम से कम दुरुस्त करते। अगर इस प्रकार से टेण्डर मांगने के बावजूद भी ये चीजें जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं तो नये पॉवर हाउस के लिये जो फंड है उसमें से सरकार खर्च कर सकती है और इस दृष्टि से खर्च किया भी जाना चाहिये, प्रतिवर्ष नुकसान होता है इसको ख्याल में रखकर और इसको व्यापारिक कन्सर्न के रूप में चलाना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

हालांकि इस सम्बन्ध में वर्तमान मन्त्रीजी की नियुक्ति के पूर्व पहले वाले मंत्रीजी के सामने, जिनके पास इरिगेशन और एग्रिकल्चर है, एक तसवीर सामने रखी थी। उनसे मैंने निवेदन किया

[श्री चांदमल मेहता]

कि जगह जगह से इस बारे में टेन्डर मांगने को जा रहे हैं। उसके लिये मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं वह यह कि रुपये आप बाद में दें, जहां से टेन्डर मांगे जा रहे हैं उनमें से सब से कम जिस टेन्डर में कीमत हो, उससे पांच प्रतिशत कम रुपयों में हम आपको मशीनरी देने को तैयार हैं, ताकि किशनगढ़ में जल्दी से जल्दी पॉवर हाउस बन सके। मशीनरी का पेमेन्ट आप बाद में करना और वह भी पांच प्रतिशत कम, सब से लोएस्ट टेन्डर आवे उससे। लेकिन वे उस स्थिति में थे कि वे इस मांग को मन्जूर नहीं कर सके। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम इस बारे में चीफ इन्जीनियर से बात करेंगे।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि औद्योगिक दृष्टि से और खास तौर से इस दृष्टि से कि किशनगढ़ में एक अस्पताल भी है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर भी है, एक्स-रे की मशीन भी है, इससे बिजली की जरूरत निहायत जरूरी है। इन सारी चीजों को मद्देनज़र रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि वे निश्चित तौर पर आश्वासन देंगे कि किशनगढ़ में पॉवर हाउस को बढ़ाने या नये पॉवर हाउस को बिठाने को तैयार हैं। यदि उनके सामने यह रुकावट है कि टेन्डर मन्जूर होंगे, तब करेंगे तो मेरा यह निवेदन है कि जब तक टेण्डर मन्जूर न हो, तब तक दूसरे किसी पॉवर हाउस से या इधर-उधर कहीं जेनरेटिंग मशीनें पड़ी हों तो उनको वहां लगाकर भी वहां की बिजली की हालत को ठीक कर दें।

मैं जनता में रहता हूं और जनता में इस मामले को लेकर सरकार की निन्दा की जाती है, वह सुनने को मिलती है। लोग आज आम तौर से यह बात करते हैं कि जब किशनगढ़ स्टेट थी तब वहां पॉवर हाउस की स्थिति अच्छी थी, व्यवस्था अच्छी थी। तो अब यह हालत है कि कांग्रेस की सरकार होने पर भी और राजस्थान बनने पर भी पॉवर हाउस की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जब जनता की यह आलोचना सुनते हैं तो हम नत-मस्तक हो जाते हैं, क्योंकि यह वास्तव में स्थिति है। ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय हमारे इस प्रकार होने वाले नत मस्तक को अब नीचे नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट-मोशन इस प्रकार है :—

"That the demand for grant No. XXVII, Major Head 52-Int. on Capital Outlay on Electricity Schemes be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to provide for electrification of rural and urban areas in Udaipur District.)"

माननीय अध्यक्ष, इस पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रिसिटी एक मुख्य आइटम था, लेकिन जबकि पंचवर्षीय योजना बनाई गई तब उसके आधार पर राजस्थान में कितनी कम रकम दी गई और इससे कितना नुकसान में रक्खा गया, यह सदन के सभी सदस्यों को विदित है। डेढ़ करोड़ की जनता के लिए केवल १८-२० करोड़ रुपया दिया गया और इतना कम भाग राजस्थान की जनता को मिला है। इस पर भी जब हम इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विचार करेंगे तो देखेंगे कि इसकी किस तरह से व्यवस्था की गई है। मुझे देख कर बड़ा आश्चर्य है कि उदयपुर जिले में जिसकी आबादी १३ लाख है और

[श्री सोहनलाल भटनागर]

जो कि इस राजस्थान का करीब-करीब १/१० वां हिस्सा है, उसके लिए इस पंचवर्षीय योजना में और इस वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था नहीं रक्खी है ।

मैंने प्रश्न भी इस मामले में पहले पूछे थे कि किन नये-नये कस्बों को इलेक्ट्रिफाई किया गया तो यह उत्तर मिला था कि १८ कस्बों के अन्दर नई बिजली लगाई गई। पर दुःख कि उदयपुर जिले में एक भी कस्बे में बिजली नहीं लगाई है । इसी तरह इस पंचवर्षीय योजना में मल्टी-पर्पज़ स्कीम भी है । इसका भी हमारे राजस्थान में कम लाभ हुआ है । एक भाखरा है, दूसरा चम्बल है । अगर इन योजनाओं पर बैठे रहें तो बहुत कम हिस्से को लाभ होगा । इसलिए कई थरमल प्लान्ट और कई तरह की अन्य योजनाएं बनाई गई और ढाई करोड़ की जो योजना है और जिसका प्रोवीजन इस बजट में रक्खा था उसको देखकर भी मुझे निराशा हुई । इसमें उदयपुर जिले में एक भी पाई की व्यवस्था नहीं है । एक भी नगर-गांव के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं रक्खी गई है । इस पर भी हमारे मुख्यमन्त्री महोदय पर आरोप लगाया जाता है कि किस तरह से उनमें रीजनल भावना उत्पन्न हो गई है और यह कहा गया है कि उस क्षेत्र पर अधिक से अधिक खर्च करने की वे व्यवस्था कर रहे हैं । पर इस एलीगेशन का निराकरण करने के लिए मैं आपका इस बजट की ओर ध्यान दिलाऊंगा तो आपको मालूम होगा कि उदयपुर जिले में बिजली जैसी एक महत्वपूर्ण चीज़ के लिए एक भी पाई की व्यवस्था नहीं की गई है ।

इसी तरह से उदयपुर शहर है । इसके पॉवर हाउस को लेने के लिए डेढ़ वर्ष से जनता ने संघर्ष किया । यहां तक कि सरकार ने यह मान भी लिया कि इसे ले लेंगे । पर इस सारे बजट में देखें तो विदित होगा और दुःख भी हुआ कि इस विशाल बजट में वहां की जनता की यह जो छोटी-सी मांग थी उसको भी नहीं पूरा किया गया है । तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा और यह चाहूंगा कि उदयपुर जिले की जिस तरह से इस बिजली के मामले में उपेक्षा की गई उसे ठीक किया जावे और वहां का जो अर्बन और रूरल एरिया है, उन दोनों के लिए बिजली की व्यवस्था की जावे ।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष के आदेश से ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका भी कट-मोशन है क्या ?

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

(श्री मुख्यमन्त्री से) जवाब दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री)—मैं समझता हूं कि इस पर जो वाद-विवाद हुआ, पहले भी इसके लिए काफी समय दिया जा चुका है । जनरल डिस्कशन के वक्त और दूसरी चीज के ऊपर भी और बिना कट-मोशन के इसी तरह वाद-विवाद काफी होता रहा तो बाद में दूसरे आइटम्स के लिए समय नहीं रहेगा और बाकी पर गुलेटिन लग जावे, अगर आप यह चाहते हैं तो इन्हीं को डिस्कस कर लें ।

श्री जवानसिंह—सामान्य रूप से सभी डिमान्ड्स पर समय दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह आता है कि अगर किसी मांग पर एक भी कट-मोशन नहीं होता है तो क्या उस पर जनरल डिस्कशन होना चाहिये ? कट-मोशन इसलिए दिया जाता है कि अमुक मुद्दे पर बहस की जावे। सामान्य डिस्कशन का तो स्कोप बजट की साधारण बहस का है और इस पर जो बोलना चाहें वे सामान्य डिस्कशन पर बोलें। पर खास मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहें तो वह कट-मोशन के जरिये से ही हो सकता है।

श्री तेजमल बापना—मैं अपना कट-मोशन मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य को कॉल किया गया था, वे उस समय थे नहीं इसलिए माननीय सदस्य का कट-मोशन लैप्स हो गया।

श्री तेजमल बापना—मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है साहब। Mine was the last No. 132.

श्री अध्यक्ष—But it has been written on the file that it was not moved. I do not know whether the Hon'ble Member's name was called out or not.

(श्री सचिव से विचार-विमर्श के पश्चात्)

It was called and since the Hon'ble Member was absent he lost his right.

श्री तेजमल बापना—जनरली ही बोल लूं साहब ?

श्री अध्यक्ष—जनरल डिस्कशन की वही हालत है जो औरों की है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कट-मोशन के जरिये तीन तरह की शिकायतें की गई हैं। एक तो यह कि सिरोही पॉवर हाउस को गवर्नमेन्ट ने टेक ओवर नहीं किया, दूसरा मौजूदा पॉवर हाउस किशनगढ़ का जो है इसको सरकार ने इम्प्रूव नहीं किया और तीसरा उदयपुर जिले को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई रुपया नहीं दिया गया और उदयपुर पॉवर हाउस को टेक ओवर नहीं किया गया।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि राजस्थान में २० पॉवर हाउसेज़ सरकार के कन्ट्रोल में हैं और ये पुरानी रियासतों के जमाने से चले आ रहे हैं। इतनी पुरानी मशीनें होने के कारण से इनकी हालत खराब है। इसके वास्ते मैं पहले भी कह चुका हूं।

दूसरी चीज यह है कि जो प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनके लिए सभी ने यह कहा है कि हमारे यहां जो पॉवर हाउसेज़ हैं उनकी हालत करीब-करीब इस तरह की है। उन सब के लिये यह कहा गया है कि उन पॉवर हाउसेज़ को सरकार ले ले।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

तीसरी चीज जो कही गई है वह यह है कि उदयपुर डिविजन में कोई नया पॉवर हाउस नहीं खोला गया है।

मैं समझता हूं कि इन तीनों बातों के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है; वह बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि मौजूदा पॉवर हाउसेज़ जो गवर्नमेंट के पास हैं उनको डवलप करने की एक स्कीम है, वह साढ़े तीन करोड़ रुपये की है। उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ का नाम मौजूद है और उस योजना के मुताबिक खर्च करने की व्यवस्था की जा रही है और हमारा ऐसा ख्याल है कि एक साल जो कि पचवर्षीय योजना का बाकी है, उसके अन्दर उस स्कीम को पूरा करने के लिए कोशिश की जायगी। उस रुपये से जैसा कि पहले कहा गया है टर्बाइन वगैरह खरीदे जायेंगे, परन्तु उस रुपये को खर्च करने के लिये राजस्थान सरकार स्वतंत्र नहीं है। सेन्ट्रल पॉवर कमीशन उसके टेन्डर कॉल कर रहा है और उन्होंने टेन्डर, जैसा कि नियम है सेन्ट्रल पॉवर कमीशन का, सारी दुनियां से मांगे हैं। हमें इस बारे में यह कहा जायगा कि राजस्थान सरकार अपने आप अलग टेन्डर कॉल कर ले, तो मैं समझता हूँ कि यह पंचवर्षीय योजना का नियम है। उनके ख्याल से उन नियमों की पाबन्दी हो, यानी जो कुछ प्लानिंग कमीशन तय करता है उसके मुताबिक करना चाहिए। किशनगढ़ ही एक ऐसी जगह नहीं है यद्यपि अभी हाल में ही जो पॉवर हाउस था उसकी रिपेयर करवाई थी। उसके लिए व्यवस्था करने की तजवीज करते रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट के पॉवर हाउसेज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की स्कीम है। वह साढ़े तीन करोड़ की है, वह शुरू होने वाली है। उससे टर्बाइन वगैरह खरीदे हैं तथा उनके खरीदने वगैरह की व्यवस्था के बारे में मैं अभी दिल्ली होकर आया हूं और दुबारा दिल्ली जाने वाला हूं ताकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलकर टेन्डर कॉल करने की व्यवस्था करूं। अगर किसी जगह खास कमी नजर आती है तो हम जरूर करते हैं। जो दिक्कत सामने आई है उसकी व्यवस्था किशनगढ़ में जरूर कर दी जायगी। मैं समझता हूं कि इससे मेरे मित्र को संतोष होना चाहिए।

दूसरी बात यह कही गई है कि उदयपुर जिले में इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर कोई ग्रान्ट नहीं दी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचवर्षीय योजना में जो रुपया खर्च किया जा रहा है उसमें इस बारे में साढ़े तीत करोड़ रुपया है जो कि मौजूदा पॉवर हाउसेज़ कायम हैं, गवर्नमेंट के अन्डर में उसके बारे में खर्च करने के under हैं। उदपुर डिविजन में कोई ऐसा पॉवर हाउस नजर नहीं आता है जिसको कि गवर्नमेंट रन करती हो। इसलिए मुमकिन हो कि उसमें नहीं आने की वजह से उदयपुर के पॉवर हाउसेज़ रह गये हों।

दूसरी, उदयपुर के पॉवर हाउस को टेक-अप करने की बात है। इस सम्बन्ध में यह बात है कि उदयपुर डिविजन में और भी ऐसे पॉवर हाउसेज़ हैं जिनके बारे में मैं अभी निवेदन करूंगा कि उनके लिये ऐसा विचार किया जा रहा है और गवर्नमेंट उनके बारे में विचार कर रही है।

जहां तक नये इलेक्ट्रिक पॉवर हाउस की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि मौजूदा पॉवर हाउसेज़ बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं, उनके ठीक होने के पहले ही नये पॉवर हाउस चालू कर दें

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

तो वाजिब नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने इसके लिए ६ करोड़ रुपया दिया है। नये पॉवर हाउसेज़ चलाने के बारे में अगले प्लानिंग में व्यवस्था की जायगी। इस प्लानिंग में इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

उदयपुर पॉवर हाउस को टेक-अप करने की बात है तो बहुत से ऐसे पॉवर हाउसेज़ को लेने का गवर्नमेन्ट का विचार है। मैं समझता हूं कि इसी तरह का एक सीकर के बारे में जिक्र किया गया है। सीकर डिस्ट्रिक्ट का हैड क्वार्टर है और ६०,००० की आबादी का शहर है। वहां का पॉवर हाउस बन्द पड़ा है, लेकिन कनेक्शन मौजूद है। मगर वहां के पॉवर हाउस की हालत खराब है। उसके बारे में जो बात कही गई थी, वही बात सिरोही पॉवर हाउस के बारे में कही थी। सीकर पॉवर हाउस के बारे में एक कमेटी बैठा दी गई है जो सीकर के पॉवर हाउस के बारे में जांच करेगी। वही कमेटी सिरोही के पॉवर हाउस के बारे में भी जांच कर रही है और मैं अपने मित्र को आश्वासन देना चाहता हूं कि वह कमेटी आज जयपुर से सिरोही जाने के लिए रवाना हो रही है।

मैं समझता हूँ कि इस बात का कोई यह ख्याल करे कि गवर्नमेन्ट किसी पॉवर हाउस को खास तौर से तरजीह दे रही है या किसी की रियायत की जा रही है; मैं समझता हूँ कि इस बारे में सदन को विश्वास दिलाना चाहता हू कि पॉवर हाउस ही नहीं बल्कि किसी भी काम में सदन को विश्वास रखना चाहिये कि मेरे डिपार्टमेन्ट में किसी को भी कोई रियायत न अब तक हुई है और न आयन्दा होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे जिन मित्रों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनको संतोष होगा और वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

श्री जवानसिंह— माननीय अध्यक्ष, जो आश्वासन माननीय मंत्री महोदय ने दिया है उसका ख्याल करते हुए मैं यह उचित मानता हूँ कि मुझे अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री चान्दमल मेहता— मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर— मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष— क्या सदन की यह अनुमति है कि तीनों कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री जवानसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वपिस लेता हूँ।

श्री चांदमल मेहता— मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर— मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि—

"अनुदान के लिये मांग संख्या २७, मेजर हैड ४१—विद्युत से प्राप्तियां-कार्यवाहक व्यय के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को सम्माप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को १, २३, ८२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

एक माननीय सदस्य— माननीय अध्यक्ष, समय होगया, बैठे-बैठे थक गये।

श्री अध्यक्ष— १ बजे तक का समय है।

श्री मुक्तिलाल मोदी— एलान नहीं किया था कि एक बजे तक का होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कहां से समय हो गया, एक बजे तक का समय रखा गया है। ८ बजे से १ बजे तक।

श्री मुक्तिलाल मोदी—१ बजे का एलान कल नहीं किया गया था ८ बजे तक का किया था महाराज।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि एक बजे तक उठें तो क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष—खूब बोलियेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—बोलने कहां देते हैं आप !

श्री अध्यक्ष—आपको भी यह शिकायत है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक डिमान्ड और पास कर लें।

मांग संख्या ३५—सिंचन, नौचालन इत्यादि

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिए मांग संख्या ३५, मेजर हैड ६८—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-विकास निर्माण-कार्य आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १०,३५,०१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री कस्तूरचन्द अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री कस्तूरचन्द—"कि मांग संख्या ३५, शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन तट-बन्धन आदि में १ रु० मात्र की कटौती की जावे (मेजा बांध को छोटा करने पर विचार प्रकट करने के लिये)।"

अध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव का रखने का इस कारण से मेरा विचार हुआ कि जो रकम इस बजट में सिंचन आदि के लिए दी गई है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, पर मैं माननीय हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि जिला भीलवाड़े के लिए जो आपने रकम प्रदान की है: उसके लिए तो वहां की जनता जरूर आपका स्वागत करती है कि हमारे जिले के अन्दर जो बांध बन रहे हैं, वह एक छोटी सी बात तो नहीं है, बड़े स्वागत की बात है; वहां की गरीब जनता आपका स्वागत करती है कि उनकी रोटी-रोजी का सवाल इससे हल होगा, पर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि जो रुपये लग रहे हैं इस बांध पर, उनके बारे में हमारे माननीय चीफ इरिगेशन इन्जीनियर साहब ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इस वक्त हमारे जिले में एक मेजर हैड चल रहा है। श्रीमान् इरिगेशन इन्जीनियर साहब, श्री पुरी जी की स्कीम के अनुसार इस डेम को नहीं बनाकर उसको बहुत तादाद में छोटा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इससे हमारे बहुत से एरिया को नुकसान होने वाला है। मैं इसके लिये खास तौर से हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी और हमारे माननीय श्री मिर्धाजी साहब से अर्ज करूंगा कि इस डेम की तरफ आप जरा ध्यान दें और आप वहां पधार कर देखें कि इस स्कीम में क्या परिवर्तन किया गया है ? अध्यक्ष महोदय, उसमें परिवर्तन यह कर दिया गया है कि उस डेम में एक जागीरदार साहब का गांव आने वाला था, उसको बचाने के लिये इन्जीनियर साहब ने न मालूम किस सांठ-गांठ से उस गांव को बचाकर इस डेम को छोटा कर दिया है। आपको इस तरह के संकुचित विचार में नहीं रहना चाहिये था। यदि उस गांव का हिस्सा आता था तो उसे आने देना चाहिये था लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा और जनता का नुकसान कर दिया। इस डेम से जनता को जितना फायदा होने वाला था उतना न हो सका। उससे बहुत सा नुकसान होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इस डेम से तहसील बनेड़ा को जो फायदा होने वाला था, वह फायदा उस तहसील को नहीं होगा। हमारे यहां की ७५ हजार जनता आप से इस बात की मांग करती है और मैं उनकी तरफ से इस बात के लिये अर्ज करना चाहूंगा कि आप कुछ इस तरफ विचार करें और उधर की ७५ हजार जनता की रोटी-रोजी का ख्याल रखते हुए इस ओर ध्यान लगावें। इस डेम से हमारे बनेड़ा तहसील को बहुत कम फायदा मिलने वाला है। इसी तरह मोसा नदी पर जो डेम बनने वाला है उसको भी छोटा कर दिया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री जी को उधर जाकर देखना चाहिये था। आपका दौरा जोधपुर की तरफ अधिक होता है। आपको ६ महीने हो गये हैं मन्त्री बने हुए। भीलवाड़ा की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये था। मैं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार वहां जाकर देखें।

गये साल चौमासे में जो वर्षा हुई उससे एक रात में तालाब टूट गये। उनको ठीक करवाने के लिये तहसीलदार से प्रार्थना की, मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना की और सम्बन्धित मन्त्री श्री पालीवालजी से प्रार्थना की थी कि इनकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करवा दें लेकिन हमारे साथ उपेक्षा हुई, गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि इस तालाब से

[श्री कस्तूरचन्द]

जनता को बहुत लॉस हुआ है। काश्त को जो फायदा होने वाला था वह न होकर बहुत नुकसान हुआ। इमर्जेन्सी फंड में भी ऐसे कामों के लिये रकम रखी गई है, लेकिन इस तहसील को एक भी पैसा नहीं दिया गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जोधपुर, जयपुर या जहां के मन्त्री जी होते हैं वहां पर मामूली सुधार की भी आवश्यकता होती है तो लाखों रुपये तुरन्त लगा दिये जाते हैं। लेकिन हमारे गरीबों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिये एक पैसा भी नहीं दिया गया।

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। भीलवाड़ा एरिया में ही एक जगह पर तालाब बनाने के लिये ३ साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं और उस तालाब को बनाना बहुत आवश्यक है। भूतपूर्व शासन में ठिकाने की तरफ से उसका सर्वे कराया गया था। हमने उस सर्वे की नकल भी पेश की है, समय-समय पर पार्थना-पत्र भी दिये हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में पानी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मेजा डेम से यहां पानी नहीं आने वाला है। इसलिये यहां पर एक तालाब की आवश्यकता है। मन्त्रीजी से इसके लिये प्रार्थना की थी और सदन से भी प्रार्थना करता हूं कि इस पर गौर से ध्यान दें। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको छोटी बात न समझ कर, खास बात समझ कर इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। शाहपुरा की तरफ से कहूंगा कि वहां पर राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी रकम दी है। इसके लिये वहां की जनता आपका स्वागत करती है लेकिन वहां के ठेकेदारों ने पुल वगैरह इतना निकम्मा बनाया है कि कुछ इशारे से ही दीवार वगैरह गिर जाती है, इसके लिये जांच करवाई जाय। इतना कहता हुआ प्रार्थना करूंगा कि मेरी छोटी बात की ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी—और भी कोई कटौती प्रस्ताव हैं क्या?

श्री अध्यक्ष—आपका तो कोई नहीं है। आप किस पर बोलना चाहते हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी—भीलवाड़ा में जो बांध बने हैं, वे मुझे मालूम है। उन पर बोलना चाहता हूं।

श्री चान्दमल मेहता—मेरे कट-मोशन्स दो और हैं, पहले मूव कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—कब दिये थे आपने?

श्री चान्दमल मेहता—बजट सर्कुलेट हुआ था उस रोज दिये थे और इसमें मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—कौन से डिमान्ड की बात करते हैं। यह मांग संख्या ३५ है। मांग संख्या ३५ पर श्री कस्तूरचन्द, श्री सुगनचन्द जैन और श्री हरिकृष्ण व्यास के कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री हंसराज आर्य—यह १० करोड़ की मांग है। इस पर बोलने के लिये थोड़ा और समय मिलना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—इस मांग के लिये थोड़ा समय और मिलना चाहिये। यह एक ऐसी अमाउन्ट है, जिस पर वाद-विवाद होना आवश्यक है। इससे आपको भी सहायता मिलेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कट-मोशन हैं, उन पर ही बोले तो आसानी हो जायगी, वर्ना सभी बोलने लग जायेंगे तो जनरल डिस्कशन हर कट-मोशन पर हो जायगा।

श्री हंसराज आर्य—इस पर बोलने के लिये समय अवश्य मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कट-मोशन पेश करने पर तो मेम्बर का अधिकार हो जाता है और वैसे अधिकार सीमित है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस मांग पर यदि समय कम मिला है तो समय निश्चित हो जाय। इसमें और लोग बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—पर यह मेरी दिक्कत हो जायगी कि किसको बोलने की इजाजत दूं और किसको नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप पर तो सभी दिक्कत है ही।

श्री कंवरलाल जेलिया—भाखरा, चम्बल आदि पर भी तो बोलना है।

श्री अध्यक्ष—पर आज इस मांग को पास करके ही उठेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इससे पहले २६ तारीख के बारे में कुछ निश्चित कर लिया जाय।

भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—२६ तारीख के बारे में बहस शुरू करें।

एक साथ कई सदस्य—२६ को तो छुट्टी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—पर बजट पास करने का सवाल आता है।

श्री शम्भूसिंह—एक दिन २ सिटिंग्स कर दीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—२८ तारीख को डबल सिटिंग्स कर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—२६ तारीख को एप्रोप्रियेशन के लिये निश्चित

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

डिस्कशन में टाइम लगे तो २८ तारीख को तो एप्रोप्रियेशन निश्चित रूप से निकल जाना चाहिये क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। २५, २६ और २७ को छुट्टी और २८ को एप्रोप्रियेशन, तो २८ को सुबह और शाम दोनों समय बैठना पड़ेगा। २८ को सुबह जल्दी नहीं आ सकते तो ऐसी सूरत में केवल शाम को ८ बजे तक मीट कर सकते हैं। २६ को राष्ट्रपति सुबह आ रहे हैं इसलिये २८ को पूरा हो जाना चाहिये क्योंकि फिर २६ को तो बजट के लिये मीट करने में दिक्कत रहेगी।

ऐसी सूरत में जो भी समय एडजस्ट किया जाय, २८ को समाप्त कर देने की दृष्टि से एडजस्ट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो २८ को डबल सीटिंग रखी जाय या ११ से ५ तक रखी जाय ?

श्री चान्दमल मेहता—३१ तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल पास हो सकता है। बजट पर बहस के लिये १५ दिन पाने का हक है, ६ दिन तो मिल गये हैं। पिछले समय लेट बजट सेशन बुलाया और बोलने के लिये आपत्ति उठाई गई तो कहा गया कि अबकी बार बजट सेशन जल्दी बुलायेंगे। जल्दी बुलाया, पर फिर एडजॉर्न कर दिया। इस पर बोलने का मौका तो पूरा दिया जाना चाहिये और ३१ तारीख को यह एप्रोप्रियेशन बिल पास हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अभी तक बजट के डिस्कशन के लिये जितने दिन एलॉट हुए उनसे १-२ दिन ज्यादा हो एलॉट हुए हैं, कम नहीं हुए हैं।

श्री चान्दमल मेहता—नहीं, पहले से कम समय मिला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले से कम कभी नहीं, ज्यादा समय दिया गया है। पहले २६ का तय किया गया तो इस चीज को सामने रखते हुए किया गया कि २८ तारीख तक एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जायगा। २६ और ३० को प्रेसिडेन्ट यहां होने की वजह से नहीं ले सकते। पहले जैसे जनरल डिस्कशन में चार रोज के लिये और उसमें मैं समझता हूं पूरा कहने का अवसर रहा। अब भी बहुत सा रिपीटिशन होता है, समय के अभाव का तो प्रश्न नहीं। जितना सम्भव था या जितना आवश्यक समझा गया, उतना समय दिया गया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—३१ को सुबह कर दिया जाय तो कैसा रहे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फिर भी डिस्कशन का तो समय नहीं बढ़ा, फिर मतलब क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—असेम्बली खत्म करें तो २८ को ही कर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—३१ को और काम है। जरूरी बिल्स ले सकते हैं। एप्रोप्रियेशन बिल तो २८ से पहले-पहले पास हो जाना चाहिये। इसके बाद तो राष्ट्रपतिजी ७ दिन तक राजस्थान में ही रहेंगे। वे जहां-जहां जायेंगे तो उनके रिसेप्शन और दूसरे कार्य-क्रम में हिस्सा लेने के लिये सदस्य साहबान जाते रहेंगे। पहले से ज्यादा समय देकर इसे समाप्त कर रहे हैं, फिर भी अगर बोलना चाहते हैं तो २६ की छुट्टी हटाइये।

श्री मानसिंह महार—२६ की छुट्टी भी हटा दी जाय तो ३१ को रखना बहुत उपयुक्त है। ३१ रखने में कोई हर्ज नहीं है। कट-मोशन पर बहुत कम समय मिला है।

श्री हरिदेव जोशी— हां, तो आज समय बढ़ा दिया जाय २६ को भी मिला जाय। जितने दिन काम हो सकता है उतने दिन काम पूरा करके एडजॉर्न किया जाय। कल भी सुबह और शाम को रखा जाय, २६ को भी रखा जाय।

श्री श्रीदास गोयल— हाउस से आधे से ज्यादा मेम्बर जा चुके हैं। अब दुबारा मीट होने की चर्चा कल हो। कल चाहे दो-तीन दफा मीट करिये, तैयार हैं। २८ से ३१ हो, तैयार हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— २६ को छुट्टी हो या नहीं हो, यह तय किया जाय। कई सदस्यों ने कहा कि होनी चाहिये, कई और सदस्यों ने कहा है कि नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष— ज्यादा डिस्कशन करना चाहते हैं तो मीट करियेगा, छुट्टी न मांगियेगा। छुट्टी मांगते हैं तो ज्यादा समय मीट करना होगा......

One Cannot have the best of both the things.

श्री मानसिंह महार— छुट्टी मत करिये।

श्री अध्यक्ष — कल ८ बजे मीट करें या ११ बजे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— सुबह ८ से मिलें, फिर ४ से आठ।

श्री अध्यक्ष— कल सुबह ८ बजे के लिये हाउस एडजॉर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५० मिनट पर दिनांक २४ मार्च, १९५५ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–२३ मार्च, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है।)

201 (46/P.W.M.) Shri H.K Vyas M.L.A. (Division No. 160): Will the P.W.D. Minister be pleased to state.

(a) At what rate is electric energy being charged from the Jodhpur Municipal Committee?

(b) At what rate is it being charged from the (i) National Ball Bearing Co. Ltd., Jaipur and (ii) the Jaipur Spinning and Weaving Mills Ltd.,

(c) Why is there such disparity in the rates charged from a public body on the one hand and private millionaire industrialists on the other hand.

(d) Will the Government take steps to see that local bodies and other such institutions are charged for electricity and water supply at a rate at least equal to, if not less than the rate charged from such millionaire industrialists.

उत्तर

(1) The rate fixed for electric energy supplied to the Jodhpur Municipal Committee is the same as applicable to Power Consumers viz annas-/3/- per unit.

(2) The rate charged from the National Ball Bearing Co., Ltd. Jaipur, is pies-/-/10 per unit.

(3) The rate charged from the Jaipur Spinning & Weaving mills, Jaipur, is annas-/1/6 per unit.

(4) The rates for (2) and(3) were sanctioned by the Government of former Jaipur State in 1948 and 1946 respectively.

(5) The question is under consideration.

प्रश्न संख्या २०२

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister in charge Printing and Stationery Department please state:—

(a) Was a raid made on the Government Press Jaipur on 20-1-55 by the Superintendent Anti-Corruption Branch and the Assistant Secretary, General Administration Department?

Page No.91

(b) Was it made on the information supplied by a private individual ? If so, did he also accompany the raiding party ?

(c) Were any circulars issued in July 1952 and March 1954 relating to Anti-Corruption ? If so, were the requirements laid down therein Complied with ?

(d) What action has been taken by the Government upon the report of the raiding party ?

(e) Were any complaints made by the said informer or any inquiries made by the C.I.D. prior to this ? If so, with what result ?

उत्तर

(a) No raid as such was made. On receipt of an information about some irregularity in the Press an officer, viz. Assistant Secretary, G.A.D., was sent to make a preliminary enquiry.

(b) The informatien was received from a private individual and he was also taken by the officer with him.

(c) It was not a formal case of Anti-Corruption. It was purely a departmental matter and therefore no question of fulfilling the requirements of Anti-Corruption enquiry arises.

(d) No further action was called for.

(e) Yes and the cases are under enquiry.